

मुस्लिम राजनीतिक चिंतन और आकांक्षाएं

(दर्शन, इतिहास, प्रणाली, प्रेरणा स्रोत तथा सम्भावनाएं)

“हम तो पूरे भारत को ही इस्लामी देश बनाना चाहते थे।”

(मौलाना मौदूदी पृ.—55)

“मुस्लिम भी भारत की स्वतन्त्रता के उतने ही इच्छुक थे जितने दूसरे लोग किन्तु वह इसको एक साधन, एक पड़ाव मानते थे मंजिल नहीं।”

(मौलाना मौदूदी पृ.—57)

“पाकिस्तान का निर्माण इसलिए आवश्यक था कि उसे पड़ाव (शिविर) बनाकर सम्पूर्ण भारत को (इस्लाम के लिए) विजय किया जा सके।”

(एफ.कै. दुरानी पृ.—57)

“प्रत्येक मुस्लिम को कर्तव्य है कि भारत पर खोई हुई मुस्लिम सत्ता को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करे।”

(आजाद पृ. 55)

□ पुरुषोत्तम



प्रकाशक : सांस्कृतिक गौरव संस्थान

सहयोग राशि : 30रु०

आमुख

प्रस्तुत पुस्तक श्री पुरुषोत्तम द्वारा लिखित पुस्तक “मुस्लिम राजनीतिक चिन्तन और आकांक्षाएँ” (दर्शन, इतिहास प्रणाली, प्रेरणा स्रोत तथा संभावनाएँ) का प्रथम खंड है। इसमें उपर्युक्त पुस्तक के दर्शन सम्बन्धी प्रथम चार अध्यायों का समावेश है।

इस्लाम के इस लगभग अज्ञान पक्ष को स्वयं इस्लामिक तथा विदेशी विद्वानों के ग्रन्थों के संदर्भ देकर उजागर करती हुई कदाचित हिन्दी में प्रकाशित यह प्रथम पुस्तक है। “सत्य ज्ञान का प्रसार” सदैव हितकारी होता है। इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने अपने स्वतंत्रता अभियान में जिन नितांत निरर्थक तथा तर्कहीन सिद्धान्तों का प्रचार किया उनमें से दो सिद्धान्तों ने जन साधारण में विशेष रूप से भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी। वे दो सिद्धान्त हैं - “सर्व धर्म समभाव” तथा “राजनीति में धर्म का समावेश नहीं”। इससे हमारा पूरा राजनीतिक चिंतन ही गड़बड़ा गया। जनतंत्र में जन साधारण के तथ्यों के विषय में जागरूक होने से ही वे अपने राजनीतिक अधिकारों का सही उपयोग कर सकते हैं। इसके अभाव में वे राजनीतिक पार्टियों के दुष्प्रचार के शिकार हो जाते हैं। और अनजाने में ही अपने और राष्ट्र के हितों को हानि पहुँचाने के साधन बन जाते हैं।

इस लघु पुस्तिका के पढ़ने पर पाठकों को यथार्थ वस्तुस्थिति का ज्ञान हो जाएगा कि “सर्व धर्म समभाव” तथा “राजनीति में धर्म का समावेश नहीं” जैसे नारे इस्लाम के विषय में कितने थोथे हैं। इस्लाम में मजहब तथा राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। इस्लाम बिना राजनीति और मुस्लिम राजनीति बिना इस्लाम टिक ही नहीं सकता।

लेखक की सवा दो सौ पृष्ठों की संपूर्ण पुस्तक ८० रु० मूल्य की दृष्टि से जिन पाठकों की पहुँच के बाहर हो उनके लिए यह लघु पुस्तिका संस्थान द्वारा प्रकाशित और प्रचारार्थ लगभग मात्र मूल्य पर वितरित की जा रही है।

संस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद ५१ (क) में वर्णित भारत के नागरिकों के कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाने के कार्य के प्रति समर्पित है जिनमें देश की एकता, अखण्डता और संप्रभुता की रक्षा करना प्रमुख है। ऐसा प्रकाशन इस हेतु महत्त्वपूर्ण है।

प्रथम आवृत्ति चैत्र शुक्ल १, संवत् २०५६ वि.

दिनांक १३ अप्रैल, २००२ ई.

विनीतः

डॉ महेश चन्द्र

महामंत्री

द्वितीय आवृत्ति विजया दशमी २०६३ वि.

दिनांक २ अक्टूबर, २००६ ई.

समर्पण

उपनिषद् हिन्दू धर्म की अमूल्य धरोहर हैं। ऋषिकुल से स्नातक होकर निकलने वाले प्रत्येक छात्र को दीक्षांत के समय जो उपदेश दिया जाता था वह तैत्तिरीयोपनिषद् की शिक्षा वल्ली में दिया हुआ है। उस में दूसरे आदेशों के साथ एक आदेश है-

“स्वाध्यायान्मा प्रमदः” “स्वाध्याय में प्रमाद मत करना,” इसके महत्व को दृष्टि में रखते हुए फिर दोहराते हैं :

“स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं” स्वाध्याय और उससे संग्रहीत ज्ञान के उपदेश में प्रमाद मत करना।

वास्तव में स्वाध्याय और प्रवचन पर ऋषि ने इतना बल दिया है कि वह शिक्षा के समय भी इसे बार-बार दोहराते रहे हैं। दमः च स्वाध्याय प्रवचने च।

शम च स्वाध्याय प्रवचने च।
अग्नयशः च स्वाध्याय प्रवचने च।
अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च।
अतिथः च स्वाध्याय प्रवचने च।
मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च।
प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च।
प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च।
प्रजातिः च स्वाध्याय प्रवचने च।

दुर्भाग्यवश स्वाध्याय और फिर स्वाध्याय द्वारा अर्जित ज्ञान के प्रसार में प्रमाद ही हिन्दू जाति के पतन का मुख्य कारण बना। इस पतन से उभरने का मार्ग भी “स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं” ही है। शहीद लेखराम ने मरते समय कहा था “हिन्दुओं! स्वाध्याय और लेखनी बंद न होने पावे।”

मेरे जिन माता-पिता ने मुझे बचपन से ही स्वाध्याय में प्रमाद न करने की प्रेरणा दी उन देवता तुल्य माता-पिता को मैं यह तुच्छ भेंट अर्पित करता हूँ।

पुरुषोत्तम

अध्याय १ - इस्लाम का आध्यात्मिक पक्ष	५
मुसलमानों की दुविधा।	
शरीयः क्या है-	
शरीयः का महत्त्वः राजनीति में इस्लाम की प्रचंड प्रेरणा शक्ति-	
अध्याय २ - भारतीय संविधान क्या कहता है ?	८
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	
संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार	
मूल कर्तव्य	
इस्लाम की मान्यता और मुस्लिम आचरण	
अध्याय ३ - मुसलमानों की मजबूरी : शरीयः इस्लाम के विद्वानों की दृष्टि में	१०
क्या बताते हैं शरीयः का दृष्टिकोण, इस्लाम के विद्वान निम्नलिखित सिद्धांतों पर?	
१- इस्लामी शरीयः में दया, मानवता, बंधुत्व, समरसता, धार्मिक अलगाववाद, तथा न्याय।	
२- इस्लामी शरीयः में धर्मनिरपेक्षता।	
३- इस्लामी शरीयः में राष्ट्रीयता।	
४- इस्लामी शरीयः में धर्म और राजनीति।	
५- इस्लामी शरीयः का राजनीतिक ध्येय।	
६- इस्लामी शरीयः में राज्य की परिकल्पना।	
७- इस्लामी शरीयः में जनतंत्र (लोक तंत्र)	
अध्याय ४ - अंतिम भाग : संपूर्ण भारत के इस्लामीकरण की घोषणा	३८
परिशिष्ट -	४४

प्रथम खण्ड

आ नो भद्राः ऋतवो वन्तु विश्वतः
उत्तम विचारों को चारों दिशाओं से हम ग्रहण करें।
(ऋग्वेद)

अध्याय 9

इस्लाम का आध्यात्मिक पक्ष

इस्लाम के मुस्लिम विद्वान जी. एम. जानसेन ने अपने जीवन के २५ वर्ष मध्य पूर्व के १६ अरब देशों में व्यतीत किये हैं। वह काहिरा, इस्तंबूल, जकार्ता और बेरुत में राजनीतिक पदों पर आसीन रहे हैं और उसके पश्चात पूर्णकालीन पत्रकारिता से संलग्न हैं। अपनी पुस्तक “मिलिटेंट इस्लाम” में वह लिखते हैं।

इस्लाम, “धर्म” शब्द के साधारणतया समझे जाने वाले तथा विकृत अर्थों में, “धर्म” नहीं है, जिसका सम्बन्ध व्यक्ति के केवल वैयक्तिक जीवन से समझा जाता है। यह एक सम्पूर्ण जीवन प्रणाली है जो मनुष्य के सर्वांगीण जीवन का परिचालन करती है। इस्लाम मनुष्य के जीवन काल में उसके सामाजिक, भौतिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं में मार्ग-दर्शन करता है। सभी मुस्लिम और गैर-मुस्लिम विद्वान इस्लाम धर्म के इस स्वरूप पर सहमत हैं। इसके जैसा धर्म का स्वरूप और किसी भी दूसरे उच्च श्रेणी के धर्म में नहीं है।

“इस कारण से इसको बार-बार दोहराने में कोई हानि नहीं है कि इस्लाम केवल एक धर्म ही नहीं है। वह एक सम्पूर्णतया संगठित जीवन प्रणाली है- धार्मिक भी और धर्म के अतिरिक्त दूसरे विषयों से सम्बन्धित भी। यह एक प्रकार के विश्वासों का संग्रह भी है और पूजा की एक विशेष पद्धति भी। यह कानून का एक सम्पूर्ण तंत्र भी है। यह एक संस्कृति भी है और व्यवसाय का एक तरीका भी। यह एक विशेष प्रकार का समाज भी है और परिवार को चलाने का दर्शन भी। इसके उत्तराधिकार और तलाक के विषय में अपने नियम हैं। यह एक आध्यात्मिक और भौतिक सम्पूर्णता है, इहलौकिक भी और पारलौकिक भी।”^(१)

इस प्रकार के दर्शन में अध्यात्म को भौतिक से अलग करना सहज नहीं है। फिर भी हम इस अध्याय में इस्लाम का आध्यात्मिक पक्ष समझने का प्रयास करेंगे। मुस्लिम विद्वानों द्वारा इस्लाम के निम्नलिखित स्तम्भ बताये गये हैं।

विश्वास वाक्य : कलमा: “अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं”। उन्हीं को अल्लाह ने फरिश्ते जिबराइल द्वारा कुरान का सन्देश भेजा। मौखिक सन्देश की प्रामाणिकता सन्देशवाहक की प्रामाणिकता पर निर्भर करती है। इसलिये सन्देश में विश्वास आवश्यक है। यही कलमे का आधार है।

पहला स्तम्भ : नमाज़-दिन में नियमित समय पर पाँच बार।

सामूहिक रूप से मस्जिद में पढ़ी गई नमाज़ विशेष रूप से कल्याणकारी समझी जाती है।

दूसरा स्तम्भ : साल भर में एक बार रोज़ा (विशेष प्रकार का एक मास उपवास)

तीसरा स्तम्भ : ज़कात् अर्थात् अपनी पूंजी का एक विशिष्ट भाग गरीब (केवल) मुसलमानों की सहायता के लिए व्यय करना।

चौथा स्तम्भ : हज्ज-मक्का मदीना पवित्र स्थानों की जीवन में एक बार यात्रा करना उसी अवस्था में यदि सामर्थ्य हो। इससे मुसलमानों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से सम्पर्क और मेलजोल का अवसर प्राप्त होता है।

स्पष्ट है कि हज्ज को छोड़कर शेष सभी इस्लाम के स्तम्भों पर आस्था और आचरण मुसलमान का ऐसा वैयक्तिक कर्तव्य है जिस पर किसी भी न्यायप्रिय धर्म निरपेक्ष व्यक्ति को आपत्ति नहीं होनी चाहिए किन्तु हज्ज तभी अनिवार्य है जब व्यक्ति में उसके लिए समुचित आर्थिक क्षमता हो। यहाँ एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है-हज्ज के लिए स्वदेशी और विदेशी दोनों मुद्राएँ चाहिए। व्यक्ति के पास विदेशी मुद्रा हो नहीं सकती जब तक कोई विदेशी नागरिक उसे विदेश में यह मुद्रा उपलब्ध न कराये। भारत विदेश मुद्रा के अभाव में अपने सुरक्षा साधनों और कुछ महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय व्यय में कटौती कर रहा है। धर्म निरपेक्ष राज्य ऐसी महत्त्वपूर्ण मुद्रा को एक ऐसे धार्मिक कार्य के लिए कैसे खर्च करे जो यात्री की सामर्थ्य न होने की स्थिति में अनिवार्य नहीं है?

इसका एक उपाय यह हो सकता है कि इच्छुक व्यक्ति मुद्रा, अपने विदेशी धार्मिक बन्धुओं के ज़कात से प्राप्त करे। जैसे आगे के पन्नों में बताया गया है करोड़ों की संख्या में धन-धर्म-परिवर्तन, मस्जिद, मज़ार, मदरसे बनाने के लिए खाड़ी देशों से भारत में आ रहा है। इस धन पर शासन का नियंत्रण होना चाहिए और इसी में से कुछ विदेशी मुद्रा हाजियों की सहायता के लिये व्यय की जाय। अथवा विदेशी मुद्रा के मूल्य बराबर सोना रिज़र्व बैंक को देकर ही विदेशी मुद्रा इस कार्य के लिए उपलब्ध कराई जाय। कम्युनिस्ट देशों ने हज्ज पर लगभग प्रतिबन्ध ही लगा दिया था। सभी देशों ने हाजियों की तादाद सीमित कर दी है।

मुसलमानों की दुविधा।

हम जानसेन का उद्धरण दे आये हैं कि इस्लाम केवल अध्यात्म ही नहीं है। राजनीति, कानून, गैर मुस्लिमों के प्रति उसका व्यवहार निर्धारण इत्यादि भी उसके उतने ही अनिवार्य अंग हैं जितना कि विश्वास। इसलिये मुसलमान के लिए जन्म के समय से ही एक दैवी संविधान उपलब्ध है। वह किसी दूसरे मानवकृत संविधान के प्रति उसी सीमा तक वफ़ादार हो सकता है जहाँ तक उस संविधान का उसके दैवी संविधान शरीयः से विरोध न हो।

सन् १९६६ में अरब के शहंशाह फैजल ने अन्यथा ही नहीं कहा था :

“संविधान? किसलिये? संसार का प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ संविधान तो कुरान है।” (२) जहाँ कुरान से पर्याप्त मार्गदर्शन मिल सकता हो वहाँ पैगम्बर की जीवन गाथाओं से पथ प्रदर्शन लिया जा सकता है। पैगम्बर के जीवनकाल की उनकी उक्तियों के संग्रह को “हदीस” कहा जाता है और वह मुसलमानों के लिए कुरान के पश्चात् सबसे अधिक आदरणीय मार्गदर्शन हैं।

शरीयः क्या है-

शरीयः वह कानून है जिसके चार आधार हैं : १. कुरान, २. मोहम्मद साहब की हदीसों, ३. इजतिहाद-अर्थात् किसी कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक प्रश्न पर किसी अधिकारिक मुस्लिम विद्वान द्वारा तार्किक निर्णय,

४. मुस्लिम समाज की सामूहिक राय।

जहाँ तक मुस्लिम समाज की राय का प्रश्न है अब वह इतना बड़ा हो गया है कि उसके स्थान पर उतेमा की बहुमत राय ही पूरे मुस्लिम समाज की राय मानी जाती है। किन्तु यह आवश्यक है कि वह मुस्लिम विद्वान पारम्परिक शिक्षा प्राप्त हों और ऐसे विषयों पर राय देने के अधिकारी हों।

शरीयः का महत्त्वः राजनीति में इस्लाम की प्रचंड प्रेरणा शक्ति-

प्रोफेसर डैनियल पाह्लस कहते हैं : “दूसरे धर्मों के विपरीत इस्लाम में सामाजिक जीवन के परिचालक के लिए एक सम्पूर्ण प्रोग्राम है। दूसरे धर्म केवल मूल मौलिक मूल्यों के ही उपदेश देते हैं और भौतिक विषयों पर समयानुसार विधान और नियम बनाने का भार समाज पर ही छोड़ देते हैं। इस्लाम तमाम मुसलमानों द्वारा प्राप्त करने के लिए सुस्पष्ट ध्येय निर्धारित करता है और साथ ही साथ उन ध्येयों की प्राप्ति के लिए जिन नियमों का अनुसरण किया जाय वह भी निर्धारित करता है। सभी मुसलमानों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। दूसरे धर्मों में राजनीतिक कार्यक्रमापों के लिए कोई लिखित आदेश नहीं हैं। मुसलमानों के लिए इतने सम्पूर्ण और

सूक्ष्म लिखित नियम हैं कि उनका अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पूरा जीवन ही चाहिए। अल्लाह में विश्वास के साथ-साथ एक पवित्र क़ानून भी है जो मुसलमानों का प्रत्येक स्थान और समय पर मार्ग दर्शन करता है। यह क़ानून जिसको शरीयः कहा जाता है, इस्लाम को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। मुसलमानों का सामाजिक जीवन कितना भी भिन्नतापूर्वक हो वह चलेगा शरीयः की लक्ष्मण-रेखा के भीतर ही। वास्तविकताओं को शरीयः के अनुकूल बनाना ही मानव सम्बन्धों में इस्लाम की भूमिका की कुंजी है। शरीयः राजनीति में इस्लाम की प्रचंड प्रेरणा शक्ति है।^(३)

रोसेनथाल का कहना है कि “समाज और राज्य में शरीयः की केन्द्रीय स्थिति को किसी प्रकार भी कम नहीं आंका जा सकता है”^(४) जोसेफ शाष्ट का कहना है कि “इस्लामिक जीवन दर्शन का शरीयः प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में वह तो इस्लाम का हृदय ही है।”^(५) ग्रने बाम का कहना है कि इस्लाम मुसलमानों के जीवन को प्रति घंटे प्रभावित करता है।^(६) नाईपाल का मत है कि “धर्मनिष्ठ मुसलमान होने का अर्थ हर समय विश्वास के ज्वर में जीना है। उसको अपने विश्वास के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में ज्ञान रखना भी आवश्यक है।”^(७)

सर सैयद अहमद खाँ का भी कहना है कि “हिन्दुओं में अधिकांश लोगों को अपने धर्म-सिद्धांतों का कोई ज्ञान नहीं है।.....किंतु मुसलमानों के लिये अनिवार्य है कि उन्हें इस्लाम के सभी सिद्धांतों का ज्ञान हो और वह उन पर आचरण भी करें”^(८)

“तमाम प्रशासनिक विषय और वह तमाम प्रश्न जिनके स्पष्ट उत्तर शरीयः में उपलब्ध नहीं हैं मुसलमानों की आम सहमति से तय किये जाते हैं। हर एक मुसलमान को जो इतना समर्थ और उपाधि प्राप्त है कि वह इस्लामी कानून के विषय में युक्ति युक्त राय दे सके यह अधिकार है कि जब खुदा के क़ानून की व्याख्या अवश्यक हो जाय तो उसकी व्याख्या कर सके। इस विचार से इस्लामी राज्य जनतंत्र है।”^(९)

इस्लाम का जनतंत्र यहीं से प्रारम्भ होता है और यहीं समाप्त भी हो जाता है। इस विषय पर हम आगे विस्तार पूर्वक विचार करेंगे।

“खुदा के वाक्य को व्यवहार में लाने के लिए जिन विस्तृत आदेशों की समय-समय पर आवश्यकता पड़ती है वह कुरान और हदीस की व्याख्या करने वाले समर्थ और उपाधि प्राप्त उलेमा द्वारा ही निर्धारित किये जा सकते हैं।”^(९) ऐसे समर्थ विद्वान अरबी मदरसों से पारम्परिक शिक्षा प्राप्त उलेमा ही होते हैं। दूसरे लोगों को चाहे उन्होंने आधुनिक विश्वविद्यालयों से अरबी इत्यादि की कितनी ही उच्च शिक्षा प्राप्त की हो इस विषय में समर्थ नहीं समझा जाता।

भारतीय मुस्लिम नेतृत्व

यह मुस्लिम नेता रोषपूर्वक अपने को सौ प्रतिशत भारतीय होने का दावा करते हैं। साथ ही साथ काश्मीर पर पाकिस्तान के दावे के पक्ष में तर्क देते सुने जाते हैं। आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय मुसलमान मुस्लिम सिद्ध करते दिखाई देते हैं। कहने को उनका हिन्दुओं से कोई मनोमालिन्य नहीं किन्तु साथ ही साथ यह फतवा भी जारी करते हैं कि नेहरू के मृत्युपरान्त उनके शव के पास कुरान का पाठ इस्लाम के विरुद्ध है क्योंकि काफिर के शव पर कुरान नहीं पढ़ी जा सकती। वह जाकिर हुसैन को भारत का राष्ट्रपति तो देखना चाहते हैं किन्तु अच्छा मुसलमान होने के नाते उनके हिन्दी में शपथ और शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने पर आपत्ति करते हैं। (हामिद दलवाई : “मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेक्युलर इंडिया, पृ.-४७”)

अध्याय २

भारतीय संविधान क्या कहता है ?

उद्देशिका : हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारिख २६ नवम्बर १९४९ ई. मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

२५. अन्तःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता-

(१) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।

(२) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो-

(क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन या निर्बन्धन करती है।

(ख) सामाजिक कल्याण या सुधार को उपलब्ध कराती है या सार्वजनिक प्रकार की हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए खोलती है।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

२६. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण-(क) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

३०. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार-(१) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

मूल कर्तव्य

५१ क. **मूल कर्तव्य** - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह (ड.) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

इस्लाम की मान्यता और मुस्लिम आचरण

यद्यपि एक स्थान पर कुरान स्वदेश प्रेम की प्रशंसा करती है किन्तु ऐसे स्वदेश में जिसमें काफिर राज्य करते हों, जिसमें शरीयः कानून लागू न होता हो, उनका प्रथम कर्तव्य उस देश को शरीयः में लाना हो जाता है। मुसलमानों की इस विशिष्टता का विवरण देते हुए एम.आर.ए. बेग लिखते हैं।

..... “इस्लाम देश की सीमा से बाध्य नहीं है। यही विचार अधिकांश मुसलमानों को प्रेरित करता है। उसका एक परिणाम यह है कि वह भारतीय मुस्लिम भी जिनके पूर्वज हिन्दू थे पवित्र गंगा या हिमालय से भावात्मक रूप से इतना प्रभावित नहीं होते जितना काश्मीर में पैगम्बर के एक बाल से। हिन्दुओं के लिए भारत की मिट्टी पवित्र है तो मुसलमानों के लिए भारत के बाहर के मक्का और दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थानों की।.... भारतीय घटनाएं उन्हें विचलित नहीं करतीं, किन्तु अल-अक्सा मस्जिद में एक छोटे से अग्निकांड के कारण वह सहस्रों की संख्या में सड़कों में उतर आते हैं। फिर इसमें आश्चर्य क्या है कि उनके भारत के प्रति देश-प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लग जाया। यदि वह चाहते हैं कि उन पर यह शक न किया जाय तो उन्हें अपना रवैया बदलना चाहिए जिसके कारण हिन्दू मुसलमानों में सदैव तनाव बना रहता है। और अक्सर हिन्दू-मुस्लिम दंगे होते रहते हैं।”^(१)

“फलस्वरूप मुस्लिम शारीरिक तौर पर तो भारत में बसते हैं किन्तु उनकी भावनाएं पश्चिम एशिया से जुड़ी हुई हैं। इस कारण कुछ हिन्दू दलों की यह मांग कि भारतीय मुसलमानों का भारतीयकरण होना चाहिए, तर्क संगत हो जाती है।”^(२)

इस्लाम भौगोलिक राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करता। वह भौगोलिक, राजनीतिक और जाति जैसी सीमाओं से बाधित नहीं है। मुसलमान हब्शी अथवा मुसलमान एस्किमों भारतीय मुस्लिम के भाई हैं जब कि उसके हिन्दू पिता और माता शत्रु हैं जिनको हर प्रकार से प्रताड़ित करना उसका धार्मिक कर्तव्य है जब तक कि वह इस्लाम ग्रहण न कर लें। सैयद कुत्व इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं “मुसलमान के नाते रिश्तेदार उसके पिता, माता, भ्राता, पत्नी अथवा कबीले के लोग नहीं हैं यदि उनकी प्रारंभिक नातेदारी कर्ता से नहीं है” (अर्थात् वह मुसलमान नहीं हैं।)^(३) (देखें आगे चलकर “अज्जम और “कुत्व” और मौदूदी इत्यादि की व्याख्यायें : अध्याय ३ उद्धरण सं. १६ से १८ तक)

उनकी धार्मिक मजबूरी से ही उनका इस प्रकार का व्यवहार उत्पन्न होता है जो भारत के हिन्दुओं की आँखों में खटकता है। इस प्रकार के दोहरे मापदंडात्मक व्यवहार को ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए बेग कहते हैं :

“अरब इजरायली युद्ध में मुसलमानों ने अमेरिका दूतावास पर इजरायल को शस्त्रास्त्र देने के विरुद्ध प्रदर्शन किये और काफी हो हल्ला मचाया। किन्तु इस प्रकार का कोई आन्दोलन, भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय नहीं किया गया यद्यपि परिस्थितियाँ एक समान थीं।”^(४)

खेलों में भारत-पाकिस्तान मैचों के समय मुसलमानों की सहानुभूति और उत्साह पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पक्ष में होते हैं। भारतीय टीम के मुस्लिम खिलाड़ियों के अच्छे खेल के प्रति भी वह उत्साह देखने में नहीं आता। काश्मीर में आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्याओं और पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिये पाकिस्तान की मुस्लिम नेतृत्व द्वारा कभी भी निंदा नहीं की जाती।

पृथ्वी तो अल्ला और उसके रसूल की है। इसलिये उसके विधि सम्मत स्वामी मुसलमान हैं। ग़ैर मुसलमानों को सत्तारूढ़ होना उनका अधिकार हनन है। अपनी छिनी हुई वस्तु की पुनः प्राप्ति के लिये निरंतर जिहाद करना विधि सम्मत है। (१४वीं शताब्दी का विद्वान इब्न तमैया तथा सैयद कुत्व)

उदार धर्म निरपेक्ष और राष्ट्रीय सर सैयद अहमद खाँ : संस्थापक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

“मान लो कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाँय। क्या ऐसी दशा में यह सम्भव होगा कि हिन्दू और मुसलमान समानता के आधार पर सत्तारूढ़ हो जाँय? निश्चय ही नहीं। यह अनिवार्य है कि उनमें से एक दूसरे को पद दलित कर देना। याद रखो यद्यपि मुसलमान संख्या में हिन्दुओं से कम है उन्हें कमजोर मत समझना। कदाचित वह अकेले ही सत्ता छीनने में समर्थ होंगे। किन्तु यदि ऐसा न भी हुआ तो हमारे मुसलमान भाई पठान, टिड्डी दल की भाँति अपने पहाड़ों की वादियों से निकल पड़ेंगे- जी हाँ टिड्डीयों के दल की भाँति वह (भारत पर) छा जायेंगे-और उत्तर में अपनी सीमा से लेकर बंगाल के छोर तक रक्त की नदियाँ बहा देंगे।

(जॉन स्ट्रेची : “एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोग्रेस पृ.-५००)

अध्याय ३

मुसलमानों की मजबूरी : शरीयः इस्लाम के विद्वानों की दृष्टि में

अधिकांश मुस्लिम विद्वान श्रद्धानन्द और लाजपत राय को कांग्रेस के साम्प्रदायिक हिन्दू नेता कहते आये हैं। मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्नाह ने तो गाँधीजी को भी घोर साम्प्रदायिक बताकर कहा था कि वह भारत के करोड़ों मुसलमानों को हिन्दुओं का गुलाम बनाना चाहते हैं।

मुसलमानों के तीव्र आगह पर सन् १९२१ में स्वामी श्रद्धानन्द को दिल्ली जामा मस्जिद में प्रवचन करने के लिए आमन्त्रित किया गया। मस्जिद का आंगन खचाखच भरा था। खिलाफत आन्दोलन में अपनी भूमिका के कारण श्रद्धानन्द मुसलमानों के हृदय सम्राट बन गये थे। एक काफिर द्वारा जामा-मस्जिद के धार्मिक मंच से मुसलमानों को धार्मिक प्रवचन देने की यह एक अभूतपूर्व घटना थी। किन्तु सन् १९२६ में केवल ५ वर्ष बाद एक मुसलमान अब्दुल रशीद ने उन्हीं श्रद्धानन्द की रुग्णावस्था में गोली मारकर हत्या कर दी। एक राष्ट्रीय मुस्लिम आसफ़ अली ने हत्यारे की वकालत की। राष्ट्रीय मुसलमानों की संस्था “जमायतुल-उलेमा” ने एक पत्रक निकालकर निंदा के स्थान पर इस हत्या को और हत्यारे को सम्मानित करने को उचित ठहराया। फांसी के बाद ५०,००० मुसलमानों की भीड़ उसके जनाजे के पीछे थी। उसे गाज़ी और शहीद जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। उसे सर्वोच्च जन्नत में स्थान दिलाने के लिये मस्जिदों में नमाज़े पढ़ी गईं और कुरान के अखण्ड पाठ किये गये।^(१)

लाला लाजपत राय ने सन् १९२१ में कहा था-“किसी भी दूसरी कौम की गुलामी से हिन्दुओं को मुसलमानों की गुलामी करना श्रेष्ठ होगा।”^(२) उन्हीं लाजपत राय को सन् १९२५ में इस्लाम और शरीयः के अध्ययन के पश्चात कहना पड़ा “मैं हिन्दू-मुस्लिम एकता को आवश्यक समझता हूँ। मैं मुस्लिम नेताओं पर विश्वास करने को भी तत्पर हूँ। किन्तु कुरान और हदीस के आदेशों का क्या होगा? उन पर तो मुस्लिम नेताओं का भी हक नहीं है।”^(३)

यह जानना आवश्यक है कि ऐसा क्यों होता है? कुरान और हदीस (शरीयः) के यह आदेश क्या है जिनकी उपेक्षा मुस्लिम नेता भी नहीं कर सकते? जिनके कारण हिन्दू-मुस्लिम एकता के स्वप्न ध्वस्त होते रहे हैं? जिनका मूल्य हिन्दुओं को खून, बलात्कार और बलात् धर्म-परिवर्तन के रूप में चुकाना पड़ा है, किन्तु फिर भी यह एकता मृग मरीचिका ही बनी रही है? शहाबुद्दीन, इमाम बुखारी इत्यादि नेता आये दिन कहते रहते हैं कि शरीयः अमिट है। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे, पार्लियामेंट के प्रत्येक आदेश, न्यायालय के प्रत्येक निर्णय को वह शरीयः की कसौटी पर कस कर ही स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। किन्तु अंग्रेजों के समय से आज तक उन्होंने शरीयः साक्ष्य और फौजदारी विधानों-दो स्त्री साक्षियों को एक पुरुष साक्षी के समान मानना, काफिर के साक्ष्य को न मानना, काफिर-बध के लिए मुसलमान को दण्ड न देना, चोरी के लिए हाथ पैर काटना, व्यभिचार के लिये कोड़े लगाना और पत्थर मार-मार कर बध करना इत्यादि के विपरीत इण्डियन ऐक्ट तथा भारतीय दण्ड संहिता को क्यों स्वीकार किया ? बेग पूछते हैं “क्या इस प्रकार के शरीयः विरोधी विधानों को मानना कुफ्र नहीं है? यह तो मीठा-मीठा, हप-हप, कड़वा-कड़वा, थू-थू वाली बात हुई।”^(४)

शाहबानों केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को शरीयः विरुद्ध कहकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सरकार के एक मुस्लिम मन्त्री ने क्यों “तेली तम्बोली” तक कह डाला? उसके अभद्र व्यवहार के प्रति न पार्लियामेंट ने न सर्वोच्च न्यायालय ने उसके विरुद्ध कार्यवाही की?

संसार के समस्त देशों में भारत में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। उन्होंने भारत पर लगभग १००० वर्ष तक राज्य किया है। किन्तु स्व. मानवेन्द्रराय के शब्दों में “संसार का कोई भी सभ्य समाज इस्लाम के विषय में इतना अनभिज्ञ नहीं है जितना हिन्दू समाज है।”^(५) भारत की एकता और अखण्डता की रक्षा की बात सोचने से भी पहले इस अनभिज्ञता का अन्त आवश्यक है।

अरबी में एक सुन्दर उक्ति द्वारा उपदेश दिया गया है—“यदि तुम्हें मालूम नहीं है तो विद्वानों से पूछो।” मुसलमान इसका अक्षरशः पालन करते हैं। इस प्रकार के पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में ही इस्लाम के विद्वान फ़तवे जारी करते हैं जिनका पालन करना प्रत्येक मुसलमान के लिये अनिवार्य है।

इस्लाम में इन उलेमा की परम्परा अद्वितीय है। अनुयाइयों की संख्या के अनुसार इस्लाम संसार के महान धर्मों में ईसाई मत के पश्चात दूसरे नम्बर पर है। उसने संसार के महानतम साम्राज्य पर शताब्दियों राज्य किया है। अनगिनत युद्ध और संधियों की हैं। विजय और पराजय का मुख देखा है। इन सभी अनुभवों का विश्लेषण कुरान और हदीस के प्रकाश में समर्पित उलेमा भावी मार्ग दर्शन के लिए करते रहे हैं। इस प्रकार एक विशाल साहित्य का सृजन हुआ है। इनमें कुछ उलेमा ऐसे भी हैं जिन्होंने महाबलशाली और कूर सुल्तानों के सामने ऐसी व्यवस्थायें दी हैं जिनके कारण उन्हें अपना जीवन भी दाँव पर लगाना पड़ा है।

उलेमा, मौलवी, मुफ्ती, काज़ी इत्यादि धर्माचार्य मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हर प्रकार के नियन्त्रण के बाहर सहस्रों मदरसे, लाखों मस्जिदों में चलने वाले छोटे-छोटे मकतब, जिनमें मुस्लिम शिशुओं की मानसिकता का निर्माण होता है, इन्हीं के द्वारा चलाये जाते हैं। देहरादून में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार वयस्क मुस्लिम पुरुषों का लगभग ५३ प्रतिशत जन समुदाय भारत की लाखों मस्जिदों में और त्योहारों और विशेष अवसरों पर भी नमाज़ के बाद इन्हीं के प्रवचन धार्मिक श्रद्धा भाव से सुनता है।

मुशीरूल हक के अनुसार- “मदरसों और फ़तवों की प्रणाली के माध्यम से मुस्लिम जन साधारण की सोच पर उलेमा की निःसंदेह ज़बरदस्त पकड़ है। वह उनको जिस दिशा में चाहे मोड़ सकते हैं।”^(६) डॉ. ताराचंद का भी कहना है कि फ़तवों और मदरसों के माध्यम से (इन) उलेमा की जनसाधारण पर ज़बरदस्त पकड़ है.....
 . वह अपढ़ कारीगरों, किसानों और मज़दूरों को उत्तेजित कर ऐसा उन्माद पैदा कर सकते हैं कि जिसके कारण वह अपना जीवन भी न्योछावर करने को उद्यत हो जाते हैं।”^(७)

इसी कारण से उलेमा का राजनीतिक मूल्य भी बहुत है। एक-आध साम्प्रदायिक हिन्दू कहे जाने वाले राजनीतिक दलों को छोड़कर सभी उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। उलेमा उन्हें यह आशीर्वाद कड़ी शर्तों और मूल्य पर देने को तैयार होते हैं। इसी कारण साम्प्रदायिकता पनपती है।

इस प्रकार के प्रभावशाली वर्ग द्वारा अपने धर्म इस्लाम और शरीयः कानून की व्याख्या अथवा समीक्षा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यवश भारत में इनके विचारों, समीक्षाओं, व्यवस्थाओं इत्यादि का हिन्दू विद्वानों द्वारा अध्ययन लगभग नहीं के बराबर है। इस उपेक्षा के कारण देश का विभाजन जैसे रक्त रंजित परिणाम देखने वाले अभी पर्याप्त लोग जीवित होंगे। अब स्थिति यह हो गई है कि भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में इन विद्वानों के विचारों की यदि और उपेक्षा की गई तो भारत का धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक, विश्व बंधुत्व और मानवतावादी ढाँचा चरमरा कर टूटने ही वाला है। इसलिये यह अध्ययन तुरन्त अत्यावश्यक है। “भारतीय मुसलमान मोटे तौर पर दो भागों में बँटे हुए प्रतीत होते हैं। पहले समूह में जो अल्प संख्यक हैं.....अधिकतर आधुनिक शिक्षा पाये हुए मुसलमान हैं। उनका मत है कि एक आस्था के रूप में धर्म का धर्मनिरपेक्षता के साथ सह-अस्तित्व सम्भव है। दूसरा समूह जिसका नेतृत्व उलेमा करते हैं इस बात पर अटल है कि धर्म केवल आस्था ही नहीं शरीयः भी है। धर्मनिरपेक्षता के साथ आस्था का सह-अस्तित्व भले ही सम्भव हो पर शरीयः का नहीं।”^(८)

पहले वर्ग के विद्वानों का मुस्लिम जन साधारण पर प्रभाव नगण्य है। इसके लिए पिछले ४५ की राजनीति भी जिम्मेदार है क्योंकि मुसलमानों के वोट पाने के लिए कांग्रेस और उससे ही टूटी बिखरी विरोधी पार्टियों ने इस वर्ग को कभी महत्त्व न देकर दूसरे वर्ग के कट्टर वादी उलेमा को ही बढ़ावा दिया है।

मुसलमानों के ऐसे प्रभावशाली और आदरणीय विद्वानों के विचारों की उपेक्षा करना और इस्लाम की मनमानी व्याख्या करना न मुसलमानों के प्रति न्यायपूर्ण है न गैर-मुसलमानों के हित में है। इससे उपर्युक्त अनभिज्ञता के मिटने के स्थान पर उसे बढ़ावा मिलता है।

उलेमा की दो शीर्षस्थ संस्थाएं हैं जमाते-इस्लामी हिन्द और जमायत-उल-उलेमाये-हिन्द। लगभग सभी मुसलमान उन में से एक अथवा दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।

उपर्युक्त दोनों संस्थाओं के शीर्षस्थ नेताओं और कुछ गिने चुने इस्लाम के विख्यात विद्वानों के विचार भारतीय संविधान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर देने का प्रयास किया गया है, जिससे देशवासियों को मुसलमानों की धार्मिक सीमाएं और उनके कारण बनी हिन्दू मुसलमानों के बीच की खाई की गहराई-चौड़ाई का ज्ञान हो सके।

प्रश्न :-

क्या बताते हैं शरीयः का दृष्टिकोण, इस्लाम के विद्वान निम्नलिखित सिद्धांतों पर?

- १- इस्लामी शरीयः में दया, मानवता, बंधुत्व, समरसता, धार्मिक अलगाववाद, तथा न्याय।
- २- इस्लामी शरीयः में धर्मनिरपेक्षता।
- ३- इस्लामी शरीयः में राष्ट्रीयता।
- ४- इस्लामी शरीयः में धर्म और राजनीति।
- ५- इस्लामी शरीयः का राजनीतिक ध्येय।
- ६- इस्लामी शरीयः में राज्य की परिकल्पना।
- ७- इस्लामी शरीयः में जनतंत्र (लोक तंत्र)

१. इस्लामी शरीयः में दया, मानवता, बंधुत्व तथा समरसता, धार्मिक अलगाववाद तथा न्याय :-

सैयद-अबुल आला मौदूदी बीसवीं शताब्दी के इस्लाम के धर्माचार्यों में चोटी का स्थान रखते हैं। उनकी कुरान और शरीयः की व्याख्याएं विश्व प्रसिद्ध हैं। अरब देशों में भी उनको उपदेशों के लिए आमंत्रित किया जाता था। वह जमाते-इस्लामी नामक विश्व संस्था के संस्थापक थे और इस्लाम के पुनरोदय के कट्टर समर्थक। उनका कहना है कि “कुरान सारे संसार की पूरी आबादी में केवल दो ही पार्टियां देखता है, एक अल्लाह की पार्टी (हज्ब-अल्लाह) और दूसरी शैतान की पार्टी (हज्ब-उल-शैतान)। शैतान की पार्टी में चाहे पारस्परिक सिद्धान्त और प्रथा के एतबार से कितने की मतभेद हों कुरान इन सबको एक समझता है क्योंकि उनका सोचने और काम करने का ढंग बहरहाल इस्लाम नहीं है और आंशिक भेदों के बावजूद बहरहाल वह सब शैतान की आज्ञाकारिता पर एक राय है।”^(९)

मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी कहना है कि “मुसलमान खुदा की पार्टी हैं।”^(१०)

सैयद कुत्ब का भी मत है कि “समस्त संसार में दो पार्टी हैं: अल्लाह की पार्टी और “शैतान की पार्टी”। अल्लाह की पार्टी वह है जो अल्लाह के झंडे और अल्लाह के अधिचिन्ह के नीचे खड़ी होती है—और शैतान की पार्टी में वे सब सम्मिलित हैं जो उनके नीचे खड़े नहीं होते।”^(११) **भारतीय संविधान जहाँ बंधुत्व, समान भ्रातृत्व और सभी भेद-भाव से परे समरसता की भावना के विकास की अपेक्षा करता है वहाँ अलगाववाद इस्लामी दर्शन का अनिवार्य अंग है।** जिस प्रकार इस्लाम मानव जाति को “खुदा की पार्टी और शैतान की पार्टी” में विभक्त करता है उसी प्रकार वह विश्व की संस्कृतियों का भी विभाजन करता है। एक प्रकाशमय इस्लामी संस्कृति और शेष सभी जहीलिया (मूर्खता, अंधकार-युक्त अथवा अज्ञान-युक्त) संस्कृतियाँ। इस्लाम के आने के पूर्व की सभी संस्कृतियाँ और आधुनिक पश्चिमी संस्कृतियाँ भी इसी श्रेणी में आती हैं। कुत्ब के अनुसार “जहीलिया का सम्बन्ध किसी विशेष युग अथवा काल से नहीं है। यह स्थिति समाज में बार-बार उस समय उत्पन्न होती रहती है जब वह इस्लामी मार्ग से थोड़ा भी इधर-उधर भटक जाता है। यह भूत वर्तमान और भविष्य सब में होने वाली प्रक्रिया है।”^(१२)

मानव समाज और संस्कृति का मज़हब के आधार पर विभाजन करने के साथ-साथ इस्लाम राजनीतिक सत्ता का विभाजन भी इसी आधार पर करता है। जो देश मुसलमानों द्वारा शासित है वह “दारुल इस्लाम” और जो गैर-मुसलमानों द्वारा शासित है वह “दारुल हर्ब” (युद्ध स्थल) है। इन देशों में निरन्तर जिहाद की स्थिति मानी जाती है। अर्थात् दारुल हर्ब में इस्लाम अन्ततः दूसरे धर्मों पर अपना वर्चस्व और सत्ता पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने के लिये जिहाद के मुख्य रूप क्या हो सकते हैं वह आगे जिहाद के प्रकरण में बताये गये हैं।

यहाँ ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि हिन्दू धर्म की गुण कर्म और स्वभाव की मान्यता के विपरीत इन सब विभाजनों का आधार केवल विश्वास (मजहब) है। राज्य के विषय में भी “कुत्ब उन सभी शासन पद्धतियों को अस्वीकार करते हैं जो उनके विश्वास के अनुसार इस्लामी पद्धति के अनुसार आचरण नहीं करतीं। वह उनका तिरस्कार उनके दोषों के कारण नहीं करते अपितु इस कारण करते हैं कि उनके विचार से उन्होंने लोगों के जीवन को परिचालित करने के लिये कानून बनाकर अल्लाह की भूमिका का अपहरण कर लिया है।^(१३)

उनका मन्तव्य है कि “जहीलिया समाज (और सभी गैर मुस्लिम समाज उनकी दृष्टि में जहीलिया हैं) को समाप्त करने के लिये गतिशील इस्लामी सामाजिक संगठन का अस्तित्व जिसके पास श्रेष्ठ युद्ध नीति, (जी हॉ!) युद्धनीति भी धर्म है-लेखक) दर्शन और संगठन ही आवश्यक हैं।”^(१४)

जो लोग इस्लाम के इस दृष्टिकोण से अनभिज्ञ हैं वही संयुक्त राष्ट्रीयता, मिश्रित संस्कृति तथा मुस्लिम देशों और काफिर देशों के मधुर और दृढ़ सम्बन्धों की बात करते हैं। इस्लाम अपने विशुद्ध रूप में; अल्लाह की पार्टी और शैतान की पार्टी में, सुसंस्कृत इस्लामी संस्कृति और मूर्खतापूर्ण अथवा अंधकारयुक्त गैर-इस्लामी संस्कृति में, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब में, सहयोग अथवा सह-अस्तित्व को असम्भव मानता है और मुस्लिम विद्वानों द्वारा जैसी शरीयः की व्याख्या की गई है उसके अनुसार यह ठीक है। सैयद कुत्ब के अनुसार “इस्लाम की दृष्टि में मनुष्यों द्वारा बनाये हुए कानूनों के प्रति वफादारी सबसे बड़ी गुलामी है क्योंकि “सिवाय अल्लाह के कोई शासक नहीं हैं। सिवाय अल्लाह के कोई विधानकर्ता नहीं है। एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का कोई प्रभुत्व नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न एक मात्र अल्लाह ही है।”^(१५)

उपर्युक्त व्याख्याओं की दृष्टि से डॉ. अम्बेडकर का यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि “इस्लाम का भ्रातृत्व-वाद सार्वभौम भ्रातृत्ववाद नहीं है। यह मुसलमानों का केवल मुसलमानों के लिए भाईचारा है। बंधुत्व तो है किन्तु उसका लाभ केवल उन्हीं तक सीमित है जो इस्लामी दायरे के भीतर हैं। जो उसके बाहर हैं उनके लिये सिवाय घृणा और शत्रुता के और कुछ नहीं है।-दूसरे शब्दों में इस्लाम उसकी अनुमति नहीं देता कि एक धर्मनिष्ठ मुसलमान भारत को अपनी मातृभूमि स्वीकार करे तथा हिन्दुओं से कोई नाता रिश्ता जोड़े।”^(१६) जब तक यह ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विद्वेष बना रहेगा, हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच के इस सहज विरोध के स्थान पर उनसे एकता की आशा करना अस्वाभाविक है।”^(१७)

डॉ. अम्बेडकर के बयान की पुष्टि मिस्त्र निवासी धार्मिक विद्वान अब्दुल रहमान 'अज्जम' की इस व्याख्या से भी होती है कि “इस्लाम मुसलमानों और मूर्ति पूजकों में भेद करता है जिन्हें सम्मान के योग्य नहीं समझा जाता।----दया और भ्रातृत्व केवल मुसलमानों के लिए हैं।-----जब मुसलमान काफिरों के विरुद्ध युद्ध करते हैं, तो यह भी इस्लाम के मानव-भ्रातृत्ववाद के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त के अनुकूल ही है। मुसलमानों की दृष्टि में बहु-देवतावाद अति निकृष्ट व्यवहार है। मुसलमान की आत्मा, बुद्धि और नियति बहु-देवतावादी को अल्लाह के कोप से बचाने के साथ जुड़ी हुई है। यद्यपि वह काफिर से मानव-भ्रातृत्ववाद का नाता स्वीकार करता है, वह उसको तब तक प्रताड़ित करता है जब तक कि वह अल्लाह में विश्वास लाकर अपने पुराने (खुदा की एकता और पैगम्बर के प्रति) अविश्वास को त्याग न दे। इसीलिए काफिरों से युद्ध करना एक दयाजानित कार्य है।”^(१८)

एम.आर.ए. बेग के अनुसार भी “इस्लामी समतावाद केवल मुस्लिमों के लिये है”^(१९)

“यद्यपि मुहम्मद साहब की यह भी हदीस है कि तुम सब आदम की सन्तान हो.....किन्तु गैर-मुसलमानों के साथ मित्र-व्यवहार भी जब तक वह स्वार्थ साधन के लिए न हो, कुरान द्वारा मान्य नहीं है। वह मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के सहअस्तित्व की अनुमति नहीं देता जब तक कि वह उन्हीं की शर्तों पर रहना स्वीकार न करें। इसमें किसी प्रकार का समझौता (लेनदेन) सम्भव नहीं है। इसलिये वह केवल मुस्लिम देशों के लिये ही उपयुक्त है।^(२०)

वास्तव में मुसलमानों में मूर्ति पूजकों के विरुद्ध घृणा के भाव का उद्गम मूर्ति पूजा के विरुद्ध इस्लाम की तीव्र भावनाओं से हुआ। मोहम्मद साहब ने एक अवसर पर कहा बताते हैं कि “मैंने मूर्तियों से अधिक घृणा किसी से भी नहीं की।” जैसे बहुधा होता है “मूर्ति पूजा के विरुद्ध घृणा सुगमता पूर्वक “मूर्ति पूजकों के विरुद्ध घृणा” में परिवर्तित हो गयी। फलस्वरूप वे हिन्दू भी जो मूर्ति पूजक नहीं हैं कम घृणा के पात्र नहीं हैं।

“मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को यह शिक्षा दी थी कि वह काफिरों के निवास स्थान से इतनी दूरी पर निवास करें कि वहाँ से काफिरों की बस्ती का प्रकाश उन्हें दिखाई न दे।^(२१) कुरान का उपदेश है कि “एक मुसलमान गुलाम मूर्ति पूजक से उत्तम है, भले ही वह मुसलमानों को कितना ही अच्छा क्यों न लगता हो।^(२२)”

“अयातुल्ला खुमैनी, मूत्र, विष्ठा, सूअर, शराब इत्यादि जो ग्यारह (११) वस्तुएं अपवित्र मानते हैं उनमें गैर मुस्लिम स्त्री पुरुष और उनके अवयस्क पुत्र और पुत्री भी हैं।”^(२३)

“वास्तव में इस्लाम कहीं भी काफिरों के साथ सह-अस्तित्व को न प्रोत्साहन देता है न अनुमति, न उसकी सम्भावना पर विचार भी करता है।”^(२४)

सैयद अबुल हसन अली नवदी (अली मियां) इस्लाम के विश्वविख्यात विद्वान हैं। उनका भी कहना है कि धर्मनिष्ठ मुसलमान के लिये केवल इस्लाम के प्रति भावनात्मक लगाव ही काफी नहीं है। समस्त गैर इस्लामी दर्शनों, विचारों और सिद्धान्तों से घृणा करना भी आवश्यक है।^(२५)

इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि १९२६ की खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन की रिपोर्ट के अनुसार जब किसी सदस्य ने “हिन्दू भाईयों” कहा तो उपस्थित समुदाय के एक बड़े वर्ग ने काफिरों के लिये इस शब्द के प्रयोग पर कड़ी आपत्ति की और उसको वापिस लेने का अपुरोध किया।^(२६)

“मुसलमान और काफिरों के बीच इस विरोध की जड़ें शरीयः के पालन तक जाती हैं क्योंकि सम्प्रदाय के साथ बन्धुत्व मुख्यतया व्यवहार में दृष्टव्य होना आवश्यक है। जिसके लिये अल्लाह के आदेशों के प्रत्येक शब्द पर आचरण आवश्यक है।”^(२७)

“इस्लाम का कोई भी विद्यार्थी कुरान में वर्णित मुसलमानों और उनके विरोधियों के बीच में हिंसात्मक विरोध से चकित हुए बिना नहीं रह सकता.....कदाचित किसी भी दूसरे धर्म में प्रतिपक्षियों के प्रति विरोध का इतनी सफलतापूर्वक धर्म के नाम पर साम्प्रदायिक संगठन के लिए उपयोग नहीं किया गया जैसा कि इस्लाम में।”^(२८).....
...“उस बिरादरी (मुस्लिम समाज) के जो बाहर है वह बाहर रहेगा। जो बाहर है वह अशुद्ध है अपवित्र है कुफ़र है।”^(२९)

“जितनी भी तीव्र उनकी भावनाएं हैं उतनी ही सरल हठधर्मी से यह विरोधाभास बढ़ता जाता है।”^(३०)

“स्वाभाविक रूप से यह इस्लामी मानसिकता मुसलमान और गैर मुसलमान के बीच एक ऐसी खाई खोद देती है कि जो सामाजिक मानसिकता और बौद्धिक समागम में भी लांघी नहीं जा सकती। अपनी उग्र अवस्था में इसका परिणाम हिंसा और कभी भी समाप्त न होने वाले मनोमालिन्य में होता है।”^(३१)

इस प्रकार जहाँ भारतीय संविधान मुसलमानों और हिन्दुओं में सभी भेदभाव से परे समान बंधुत्व, समरसता तथा मानववाद के विकास की उपेक्षा करता है (धारा ५१क) वहाँ शरीयः हिन्दू ही क्यों सभी गैर मुस्लिमों, उनके धर्मों, विचारों, संस्कृतियों और दर्शनों के प्रति धर्मनिष्ठ मुसलमानों को घृणा के आदेश देती है।

भारतीय संविधान अपनी उद्देशिका में ही सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का संकल्प करता है। न्याय की पहली शर्त यह है कि उसके सामने सभी व्यक्ति समान समझे जायें। किन्तु गैर मुस्लिमों यहाँ तक कि मुस्लिम स्त्रियों के प्रति भी भेदभाव का इस्लाम के न्यायतंत्र पर भी प्रभाव पड़ा है। उदाहरणार्थ दो स्त्रियों का साक्ष्य एक पुरुष के साक्ष्य के बराबर समझा जाता है। मुसलमान द्वारा किसी काफिर का वध कोई जुर्म नहीं है। “१९१० ई. में बौत्रास पाशा का वध मिस्त्र निवासी एक मुसलमान द्वारा कर दिया गया। इसका वैयक्तिक कारण नहीं था। राजनीतिक कारण यह था कि पाशा ने अपने न्यायालय में देनशावई ग्राम के कुछ निवासियों को दंड दे दिया था। यद्यपि पाशा के क्रांतिल का दोष साक्ष्य द्वारा सिद्ध हो गया था किन्तु मिस्त्र के मुख्य काजी ने यह निर्णय दिया कि इस्लाम के अनुसार मुसलमान द्वारा गैर मुस्लिम का कत्ल कोई जुर्म नहीं है। एक आधुनिक देश में इस्लामी कानून के सर्वोच्च विद्वान का भी मत यह है।”^(३२)

इसी लाहौर के बैरिस्टर बरकत अली ने एक हिन्दू नथुरामल के हत्यारे अब्दुल कयूम की ओर से बहस करते समय यह तर्क दिया था कि मुसलमान द्वारा काफिर का कत्ल जुर्म नहीं है और कुरान ने इसकी अनुमति दी है।^(३३) स्वामी श्रद्धानन्द के क्रांतिल को किस प्रकार मुस्लिम नेताओं और उनकी राष्ट्रीय संस्था जमायतुल उलेमा तथा जन साधारण द्वारा सम्मानित किया गया उसका वर्णन हम पहले ही कर आये हैं।

अभी हाल ही में इस प्रकार की एक घटना सऊदी अरेबिया में दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त सुनील वधेरा नामक एक हिन्दू मिस्त्री की है। न्यायालय द्वारा एक ग्रीक नागरिक को लापरवाही से वधेरा की मृत्यु का दोषी पाया गया। उस ग्रीक नागरिक ने सऊदी अधिकारियों के पास सऊदी क़ानून के अनुसार वधेरा की मृत्यु के बदले में उसके सम्बन्धियों को दी जाने वाली राशि के एक लाख सऊदी रियाल जमा कर दिये। किन्तु छः वर्ष पश्चात् २ जून १९६० को सऊदी श्रम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि क्योंकि सुनील वधेरा हिन्दू था इसलिए इस्लामी क़ानून के अनुसार उसके सम्बन्धियों को इस धन का केवल १/५ भाग ही दिया जायेगा।

मालाबार में खिलाफत आन्दोलन के तुरन्त पश्चात् जो भीषण हिन्दू दंगे हुए उसमें ५,००० हिन्दू क़त्ल कर दिये गये और लगभग २०,००० का बलात धर्म परिवर्तन किया गया। कांग्रेस की विषय समिति में बोलते हुए विख्यात तथाकथित राष्ट्रीय मुस्लिम हसरत मोहानी ने कहा कि “यदि उन्होंने (मालाबार के हिन्दुओं ने) तलवा और इस्लाम में से इस्लाम को चुन लिया तो यह तो स्वेच्छा से ही इस्लाम ग्रहण करना हुआ।”^(३४)

किसी मुस्लिम नेता ने इस गर्हित कोड की निंदा नहीं की। इसलिए एम.आर.ए. बेग का यह कथन तर्कहीन नहीं है कि “अंतिम सत्य यह है कि न तो कुरान और न मुहम्मद साहब ने मानवता-वाद का समर्थन किया और न मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम के सहअस्तित्व का। कोई भी धर्मनिष्ठ मुसलमान मानवतावादी नहीं हो सकता।”^(३५)

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान की दया, मानव भ्रातृत्ववाद न्याय और समरसता की कल्पना इन मूल्यों पर शरीयः की कल्पना से न केवल भिन्न है अपितु नितांत विपरीत है और मुस्लिम अलगाववाद, कट्टरवाद और असहनशीलता का कारण उनमें शिक्षा का अभाव, आर्थिक पिछड़ापन और अल्पसंख्यक होने के नाते असुरक्षा की भावना नहीं है जैसा कि अधिकतर प्रचार किया जाता है। इसका कारण कुरान और हदीस की शिक्षाएं हैं जो मुस्लिम बच्चों को अति अल्प अवस्था से ही देनी प्रारम्भ हो जाती हैं।

२. इस्लामी शरीयः और धर्म निरपेक्षता (पंथ निरपेक्षता)

पंथ निरपेक्षता की व्याख्या संविधान में कहीं नहीं की गयी है। इस कारण भिन्न-भिन्न लोग इसका भिन्न-भिन्न अर्थ लगाते हैं। साधारणतया शासन के संदर्भ में इसका अर्थ यह समझा जाता है कि धर्म अथवा पंथ के कारण शासन किसी प्रकार का मतभेद न करे। व्यक्ति और समाज के संदर्भ में इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि व्यक्ति और समाज दूसरे धर्मों और पंथों का भी उतना ही आदर करे जितना वह अपने धर्म और पंथ का करता है। गाँधीजी की भी मान्यता यही थी। उनका कहना था “न केवल आदर अपितु समान आदर”। इस विचार के लिए “सर्वधर्म समभाव” सूत्र का बहुधा प्रयोग किया जाता है।

डॉ. मुशीरुल हक का कहना है कि “जब कि मुसलमान का विश्वास यह है कि यह ईश्वरीय ज्ञान (इस्लाम) उसे सारी दुनिया में फैलाना है तो वह उन लोगों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख सकता जिन्हें वह पथभ्रष्ट समझता।...कि जितने भी धर्म प्रचलित है सभी सच्चे हैं।”^(३६) इस प्रकार गाँधीजी की मान्यता “सर्वधर्म समभाव” निश्चय ही तर्कहीन सिद्ध होती है। विभिन्न मतों में इतने पारस्परिक नितान्त विरोधी सिद्धान्त हैं कि एक का मानने वाला दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देख ही नहीं सकता। समान सम्मान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जमाते इस्लामी ने इस भावना की बहुत ही स्पष्ट रूप से घोषण की है। उनका कहना है कि “सरकार की धर्म निरपेक्ष नीति से इस अर्थ में कि धार्मिक विश्वास के कारण किसी प्रकार का भेदभाव अथवा तरफदारी नहीं होनी चाहिए किसी का मतभेद नहीं होना चाहिए। जमायत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वर्तमान परिस्थिति में (अर्थात् जब तक भारत में हिन्दू बाहुल्य जनतंत्र है...लेखक) जमात चाहती है कि शासन का वर्तमान धर्मनिरपेक्ष स्वरूप बना रहे। किन्तु यदि उपरोक्त कार्य साधक उपयोगितावादी व्यवहार के अतिरिक्त कुछ लोगों के मन में इसके दूसरे गहरे दार्शनिक अर्थ भी हैं तो हमारा उनसे नम्रतापूर्वक मतभेद है। यह दार्शनिक लक्ष्यार्थ मूलरूप से पश्चिम की उपज हैं और उनके पीछे जो विचारधारा और इतिहास काम करता है वह हमारे स्वभाव और हमारी आवश्यकताओं के लिए नितान्त विदेशी है।”^(३७) डॉ. मुशीरुल हक जमायत के इस वक्तव्य को इंगित करते हुए कहते हैं कि “बहुतों का (उलेमा का) विश्वास है कि सरकार को तो धर्मनिरपेक्ष बना रहना चाहिए परन्तु मुसलमानों को धर्म निरपेक्षता से बचा कर रखना चाहिए।”^(३८) जैसा कि हम पहले भी कह आये हैं सैयद अबुल हसन अली नदवी (अली मियाँ)

का कहना है कि “धर्मनिष्ठ मुसलमान इस्लाम के प्रति प्रेम को प्रोत्साहन देते हैं तो गैर इस्लामी दर्शनों, विचारों और सिद्धान्तों के प्रति घृणा को।

अपनी धर्मनिरपेक्षता के लिये विख्यात, चोटी के राष्ट्रवादी मुसलम विद्वान, नेहरु के मंत्रिमंडल के आजन्म वरिष्ठ मंत्री, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी कहना है कि “कोई भी विचार जिसका स्रोत कुरान के बाहर है नितांत कुफ्र है।”^(३६) और मुसलमान के लिये कुफ्र से घृणित और कुछ भी नहीं है। सैयद कुत्ब धर्मनिरपेक्षता और धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन करने वालों को जहीलिया की उपज समझते हैं।^(४०) यह घृणा की भावना “सर्वधर्म समभाव” वाली भावना के नितान्त विपरीत है और इनका सहअस्तित्व सम्भव नहीं है।

वास्तव में इस्लाम के दृष्टिकोण को समझने वाला कोई व्यक्ति बेग के इस कथन से असहमत नहीं हो सकता कि “.....इसी कारण कोई भी देश जिसमें मुस्लिम बाहुल्य हो धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं बना सकता।”^(४१)

मुसलमानों का एक छोटा सा वर्ग और भी है यद्यपि भय और शासन की उपेक्षा के कारण वह उतना मुखर नहीं हो पाया जितना कि उसको पंथ निरपेक्ष भारत में होना चाहिए था।

उदाहरण के लिए उर्दू के समाचार पत्र अल-फुरकान के ५-८-७० के अंक में उसके सम्पादक अतीकुर्रहमान सम्भली ने उलेमा का ध्यान इस विरोधाभास की ओर दिलाया कि “यदि धर्म-निरपेक्षता इस्लाम विरोधी है तो संकट की परिस्थिति में उलेमा को धर्म-निरपेक्षता की दुहाई देकर शिकवा नहीं करना चाहिए। यह तो हो नहीं सकता कि आप अपना हलुवा खा भी लें और घी भी लें जांय।”^(४२)

मुसलमान अल्पसंख्यक होने के नाते विशेष अधिकारों, शासन में आरक्षण तथा इसी प्रकार की दूसरी मांग धर्म के नाम पर करते रहते हैं। स्वर्गीय एम.पी.छागला ने जो बम्बई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा केन्द्र सरकार में शिक्षा मंत्री और अन्तर्देशीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे है इन मांगों को धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त के विरुद्ध बताते हुए ध्यान दिलाया कि “कांग्रेस सरकार ने भी उसी नीति का अनुसरण किया जिसे मैं अंग्रेजों की साम्प्रदायिक नीति कहता हूँ। मेरी राय में यदि किसी प्रतिभाशाली मुस्लिम, ईसाई या पारसी की केवल उसके धर्म के कारण उपेक्षा साम्प्रदायिक है तो यह भी साम्प्रदायिकता है कि तुलनात्मक दृष्टि से कम योग्य व्यक्ति की नियुक्ति इसलिए कर दी जाये कि वह उसमें से किसी विशेष समुदाय का सदस्य है।”^(४३)

एम.जे. अकबर का भी कहना है कि “भारत धर्मनिरपेक्ष देश इसलिए नहीं है कि यहाँ की जनसंख्या के पाँचवे भाग का स्वार्थ इसके धर्मनिरपेक्ष संविधान में है। अपितु इसलिए है कि दस में से नौ हिन्दू अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा में विश्वास नहीं करते। यदि सभी हिन्दू धर्मान्ध होते तो विश्व का कोई भी कानून और प्रशासन मुसलमानों के कत्ले आम को रोकने में सक्षम नहीं हो सकता था।जो सारे भारत में बिखरे पड़े हैं।”^(४४) बहुत से विद्वानों का मत है कि मुसलमानों के दिन प्रतिदिन बढ़ते आक्रामक रुख और राजनीतिक दलों द्वारा उनके तुष्टिकरण के कारण हिन्दुओं की परंपरागत पंथ निरपेक्षता ओर सहनशीलता का क्षय होता जा रहा है।

कट्टरवादी मुस्लिम नेतृत्व कदाचित आश्वस्त है कि हिन्दू समाज अपनी स्वाभाविक धर्मभीरुता अनाक्रामकता को त्याग कर कभी आक्रामक नहीं हो सकता। इसलिये उन्हें इस विषय में भयभीत होने का कारण नहीं है। अन्यथा सैयद शहाबुद्दीन, इमाम बुखारी इत्यादि मुस्लिम नेताओं के यदा कदा किये गये दर्प-युक्त और अभद्र उतेजनात्मक वक्तव्यों का और क्या कारण हो सकता है?

३. इस्लामी शरीयः और राष्ट्रीयता (नेशनलिज्म)

इस्लाम में राष्ट्रीयता की कल्पना वह नहीं है जो आजकल के विद्वानों की है अथवा जिसकी कल्पना और आकांक्षा भारतीय संविधान करता है। “क्योंकि मुसलमान की निष्ठा उस देश के प्रति नहीं है जो उसका है। उसकी निष्ठा अपने धार्मिक विश्वास के प्रति है। जहाँ भी इस्लाम का राज्य है वही उसका देश है।”^(४५)

सैयद कुत्ब का भी कहना है कि “मुस्लिम की सिवाय उसके विश्वास में कोई राष्ट्रीयता नहीं है। अपने विश्वास के कारण वह इस्लामी उम्माह (समाज) का सदस्य है और इस्लाम के घर (दारुल इस्लाम) का निवासी है।”^(४६)

उपरोक्त इस्लामी सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक भारतीय मुस्लिम सभी मुस्लिम देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, ईरान, ईराक, लीबिया, सीरिया, सऊदी अरेबिया इत्यादि) का नागरिक है। इसलिये उनकी निष्ठा उन देशों के प्रति स्वाभाविक है। भारत के प्रति नहीं जो मदीना के अनुसार दारुल हर्ब है और सभी विद्वानों के अनुसार दारुल-इस्लाम नहीं है। देखें उद्धरण संख्या ५२ तथा ५३।

मौदूदी का निश्चित मत है कि “इस्लाम ओर नेशनलिज्म दोनों स्पिट और उद्देश्य के लिहाज से एक-दूसरे के विरोधी हैं। जहाँ नेशनलिज्म है, वहाँ इस्लाम कभी फल-फूल नहीं सकता। जहाँ इस्लाम है वहाँ नेशनलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। नेशनलिज्म की तरक्की के मायने यह है कि इस्लाम के फैसले का रास्ता बन्द हो जाये और इस्लाम के मायने यह है कि नेशनलिज्म जड़ बुनियाद से उखड़ जाये। अब यह जाहिर है कि एक शख्स एक वक्त में इन दोनों में किसी एक ही की तरक्की का हामी हो सकता है।”^(५७)

देवबंध मदरसे के सर्वोच्च अधिकारी गाँधीजी के विश्वस्त, विख्यात तथाकथित राष्ट्रीय मुस्लिम विद्वान जमायतुल उलेमा के अध्यक्ष मौलाना हुसैन अहमद मदीना प्रकटतः मौदूदी के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार मोहम्मद साहब ने मदीना में यहूदियों और मुसलमानों की एक संयुक्त राष्ट्रीयता स्थापित की थी, उसी प्रकार भारत में भी हिन्दू मुसलमानों को एक राष्ट्रीयता (कौम) में इकट्ठा किया जा सकता है।^(५८)

मौदूदी का तर्कसंगत उत्तर था कि “जिन अर्थों में आजकल राष्ट्रीयता शब्द का प्रयोग होता है उन अर्थों में काफिरों, हिन्दुओं और मुसलमानों की एक कौमियत में जमा होने की बात कुरान-शरीफ में कहीं भी ठीक नहीं बतायी गयी है.....। उनको (मदीने के इकरारनामे को, जिसका उदाहरण मुसलमानों और गैर-मुस्लिमों को मिलाकर संयुक्त राष्ट्रीयता बनाने के रूप में उद्धृत किया जाता है।) आजकल की राजनीतिक भाषा में ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री एलायन्स कह सकते हैं।.....दो तीन साल के अन्दर ही इस इकरारनामे का खात्मा हो गया और मुसलमानों ने कुछ यहूदियों को देश के बाहर निकाल दिया और कुछ को कत्ल कर दिया। क्या इसी का नाम संयुक्त राष्ट्रीयता है? क्या वहाँ संयुक्त विधानसभा बनायी गयी थी? क्या वहाँ संयुक्त अदालतें कायम हुई थीं जिनमें यहूदियों, और मुसलमानों के विवादों का एक जा (इकट्टे) और एक ही मुल्की कानून के अधीन निर्णय होता था।”^(५९)

मदीना साहब मौदूदी के इस तर्क का कोई संतोष जनक उत्तर नहीं दे सके। उन्हें मानना पड़ा कि “संयुक्त कौमियत का ताल्लुक सिर्फ हिन्द और उस पर बसने वाले लोगों से है।..... यह (हिन्दू-मुस्लिम संयुक्त राष्ट्रीयता) एक अस्थायी और अवास्तविक स्थिति है और जब कि किसी मुल्क में “मुखातिफ़” मज़हब के लोग बसते हों तभी तक इसकी ज़रूरत है। **सब मुसलमान हो जाने के बाद जो कि असली और पहला ध्येय है यह स्थिति नहीं रहती।**^(६०)

डॉ. मुशीरुल हक की मौदूदी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि “.....उसमें (मदीने के इस इकरारनामे में) अन्तिम निर्णायक अधिकार पैगम्बर के हाथ में था। भारतीय परिस्थिति में ऐसा नहीं है।”^(६१)

उपर्युक्त विख्यात विद्वानों के विचारों को पढ़ने के पश्चात् यह निष्कर्ष ही ठीक लगता है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिमों की संयुक्त राष्ट्रीयता स्थापित कर भी ली जाय तो वह एक अस्थायी स्थिति होगी और मदीने की तरह उसका अंतिम फल यही होगा कि गैर मुसलमानों का अस्तित्व ही मदीने के यहूदियों की तरह समाप्त हो जाय।

२ अप्रैल १९२५ के यंग इंडिया में गाँधी जी ने लिखा था कि यह आरोप तो सत्य है कि मुसलमान (राष्ट्रीय आन्दोलन में) कम रुचि लेते हैं। क्योंकि वह भारत को अपना घर नहीं समझते जिस पर कि उनको गर्व होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि बहुत से तो अपने को विजेताओं की संतति मानते हैं।”

उपर्युक्त कथन से गाँधी जी की इस्लाम विषयक अनभिज्ञता स्पष्ट है। इस्लाम के अनुसार कोई भी देश जहाँ मुस्लिम शासन न हो भले ही वहाँ अल्पसंख्यक मुसलमान जनतंत्र की ईकाई हों दारुल हर्ब (शत्रु देश) समझा जाता है। मौलाना मदीना के अनुसार “हिन्दुस्तान जब से वहाँ मुस्लिम शासन समाप्त हुआ दारुल हर्ब है।^(६२) वह तब तक दारुल हर्ब रहेगा जब तक वहाँ कुफ़ का गल्वा (वर्चस्व) रहेगा।”^(६३) इसलिये गाँधी जी द्वारा मुसलमानों से यह अपेक्षा करना कि वह शत्रु देश भारत को अपना घर मानें शरीयः संगत नहीं था। मुस्लिम विद्वानों के अनुसार जहाँ भी इस्लाम का शासन है वहीं मुसलमान का घर है।

जब सभी देशी विदेशी मुस्लिम विद्वान् इस्लाम को एक राष्ट्र मानते हैं भारतीय हिन्दू नेतृत्व की यह हठ कि यह सिद्धान्त असत्य है दुराग्रह से कम नहीं है। यह तो मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात हुई।

हिन्दू नेतृत्व का तर्क यह है कि यदि इस्लाम एक राष्ट्र होता तो मुस्लिम देशों में आपस में युद्ध न होते। पाकिस्तान-बांग्लादेश, ईरान-ईराक युद्ध और अब खाड़ी युद्ध के कारण वह समझते हैं कि उनके तर्क को बल मिला है। थोड़ा ध्यान से देखने पर इस तर्क का खोखलापन सिद्ध हो जायेगा। भारत के विभाजन का कारण यदि इस्लाम था तो बांग्लादेश, ईरान, ईराक और खाड़ी युद्ध का कारण भी इस्लाम था।

पाकिस्तान का जन्म मुस्लिम राष्ट्र के रूप में हुआ था। बंगाली, सिंधी, पंजाबी, बलूची मुसलमान सभी अपने प्रांतों में मुस्लिम शासन हो जाने से प्रसन्न थे। किन्तु वहाँ मुस्लिम शासन तो हुआ शरीयः शासन नहीं हुआ। इस्लाम में पश्चिमी मॉडल का जनतंत्र नहीं बन सकता। पाकिस्तान में शरीयः विरुद्ध जनतंत्र बना। इसका फल हुआ अधिक आबादी वाले बांग्लादेशी मुजीबुर्रहमान की चुनावों में जीत।

पाकिस्तान बनाने का श्रेय मुख्यतया बंगाली मुसलमानों को था। किन्तु पंजाबी और सिंधी मुसलमान बंगाली मुसलमानों को सत्ता में नहीं आने देना चाहते थे। उनको सत्ता से वंचित करने के लिये उन्होंने बंगालियों को अर्ध-मुस्लिम कहना प्रारम्भ कर दिया। यह शरीयः और इस्लाम की भावना, अनुशासन और सिद्धान्तों के नितांत विपरीत था। इसलिये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया।

ईरान ईराक युद्ध का कारण भी इस्लाम था। एक शिया दूसरा सुन्नी। दोनों एक दूसरे को वास्तविक इस्लाम से कोसों दूर समझने वाले।

खाड़ी युद्ध कुवैत के कारण नहीं हुआ। अमेरिका, दूसरे यूरोपीय देश और इज़रायल, उभरते इस्लामी उग्रवाद और सत्ता लोलुपता से भय खाते हैं। इनके प्रतीक थे गद्दाफी और सद्दाम। इसलिये पहले गद्दाफी को और फिर सद्दाम को सबक सिखाया गया। कुवैत तो केवल एक राजनीतिक बहाना था।

मुस्लिम देशों का आपस का मनोमालिन्य अथवा युद्ध दो भाईयों की लड़ाई है। काफिरों को उससे कोई लाभ नहीं हो सकता। किन्तु जब लड़ाई इस्लाम और कुफ्र के बीच होती है तब इस्लाम का राष्ट्रीय रूप उभर कर सामने आ जाता है। प्रो. डेनियल पाइप्स के अनुसार “मुस्लिम समाज को अपने धर्मावलम्बियों से युद्ध करना कदाचित कभी भी अच्छा नहीं लगता। यदि उन्हें ऐसा युद्ध लड़ना पड़ ही जाय तो उनमें उसका उत्साह नहीं होता। दूसरे मुसलमानों से युद्ध को कभी भी प्रजा को संगठित कर शासन से जोड़ने के लिये उपयोग में नहीं लाया जा सकता।”^(५४) मुस्लिम एकता के दर्शन केवल गैर मुस्लिमों के विरुद्ध युद्ध में होते हैं। बांगला देश सहानुभूति उसे अस्तित्व में लाने वाले भारत के साथ न होकर पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तानी सेना द्वारा अपने बुद्धिजीवियों और नवयुवकों का नरसंहार और अपनी पुत्रियों पर बलात्कार वह भूल गये हैं। क्योंकि वे मुसलमान थे। मुस्लिम देशों की मीटिंग में एकमत होकर भारत के विरुद्ध काश्मीर में अत्याचार विषयक प्रस्ताव पास हुआ जबकि इन देशों से भारत के बरसों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं। मुस्लिम कबीले १९४८ में बारामूला (काश्मीर) की १४००० स्त्रियों में से १२००० युवा मुस्लिम स्त्रियों को उठा ले गये थे। शेख अब्दुल्ला के अनुसार उन्होंने वहाँ की मस्जिदों को चकला घर बना दिया था।^(५५) किन्तु काश्मीर के अधिकांश मुसलमान पाकिस्तान के साथ सहानुभूति रखते हैं। भारत के साथ नहीं जिसने मुस्लिम आतताइयों से उनकी रक्षा की थी। काश्मीर में आपात स्थिति का कारण इस्लाम है। पाकिस्तान नहीं। क्या किसी ने कभी भी काश्मीर में निर्दोष नागरिकों की हत्या पर किसी मुस्लिम धर्माचार्य (उलेमा) को आतंकवादियों की भर्त्सना करते सुना है? क्या मुस्लिम देश पाकिस्तान की नियोजित सहायता द्वारा निरपराध पंजाबियों की हत्या के दोषी आतंकवादियों के विरुद्ध किसी आलिम ने एक भी शब्द कहा है? इसके विपरीत पुलिस दलों द्वारा जो मुस्लिम आतंकवादी अथवा दंगाई मारे जाते हैं उन्हें “शहीद” कह कर बहुधा सम्मानित किया जाता है।

खाड़ी युद्ध में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। जैसे-जैसे युद्ध में तीव्रता आई ऐसे मुस्लिम देशों में जिनका शासन अमेरिका की सहायता कर रहा था शासन विरोधी प्रदर्शन प्रारंभ हो गये थे। भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाखों की संख्या में स्वयंसेवक थल मार्ग से ईराक जाकर सद्दाम की ओर से युद्ध के लिए कमर कसने लगे थे। अमेरिका इस तथ्य से परिचित था। इसीलिये वह शीघ्रताशीघ्र युद्ध समाप्त कर देना चाहता था।

भारतीय इतिहास में इसका एक सशक्त उदाहरण मिलता है। जब हुमायूँ ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया, वहाँ का सुल्तान चित्तौड़ पर घेरा डाले पड़ा था। हुमायूँ के प्रस्थान की सूचना पाकर सुल्तान ने तुरन्त घेरा उठाकर गुजरात जाने की सोची। किन्तु उसके सेनापति ने कहा कि हुमायूँ मुसलमान है। हम इस समय काफिरों के साथ युद्धरत हैं। यदि हुमायूँ हम पर इस समय आक्रमण करता है तो वह हमारे विरुद्ध काफिरों को सहायता देने का गुनाहगार होगा। वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। सचमुच ही हुमायूँ गुजरात के बाहर कैम्प डाले पड़ा रहा जब तक कि सुल्तान चित्तौड़ के युद्ध से वापस नहीं आया। आक्रमण में देरी करने के कारण उसे बाद में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रो. एस. पी. शर्मा अपनी पुस्तक “क्रीसेंट इन इंडिया” में इसको हुमायूँ की घातक भूल कहते हैं। यह उसकी भूल नहीं थी। उसकी धार्मिक मजबूरी थी। अफगानिस्तान में भेजी गई रुस की मुस्लिम सेनाओं ने अपनी रुसी राष्ट्रियता को भुलाकर अफगानिस्तानी मुसलमानों के साथ सहराष्ट्रीयता का परिचय दिया।

बेग के अनुसार “दुर्भाग्यवश किसी भी कांग्रेसी हिन्दू नेता को यह अनुभूति नहीं हुई कि मुस्लिम मानसिकता में मुस्लिम अलगाववाद की जड़े कितनी गहरी गई हैं। उन्हें इस्लाम का कोई ज्ञान नहीं था।..... मुस्लिम लीग के नेताओं को बस इतनी भर आवाज़ लगानी थी कि “मुस्लिम संगठन और इस्लाम खतरे में है” और नेहरु के हिन्दू मुस्लिम एकता के सभी प्रयास विफल हो गये। मुस्लिम लीग की प्राण रक्षा भी हो गई।”^(५६)

१९१४ में एक फ्रांसीसी पत्रिका को दिये गये लेख में खिलाफत के मूर्धन्य नेता मोहम्मद अली ने इस्लाम की इस विशेषता पर एक स्पष्ट सत्य कहा था। उन्होंने इस्लाम को एक धर्म ही नहीं अपितु एक राजनीतिक दर्शन, एक संस्कृति और एक राष्ट्र बनाया था। उन्होंने इस्लाम के विषय में लोगों की अनभिज्ञता पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा था “एक मुसलमान के लिए इस्लाम क्या अर्थ रखता है, इस विषय पर उनकी कितनी अनभिज्ञता है? वह भूल जाते हैं कि इस्लाम धर्म ही नहीं है अपितु एक सामाजिक संगठन भी है, एक प्रकार की संस्कृति और राष्ट्रियता भी। इस्लामी भातृत्ववाद जिसे आप चाहें तो पेन-इस्लामिज्म (अर्थात् अन्तर्देशीय इस्लामवाद) कह सकते हैं देश भक्ति का पर्याय है। केवल अंतर यह है कि यद्यपि इसमें कानून और रीति रिवाज़ की समानता है पश्चिमी राष्ट्रियता की तरह इसका आधार जाति, देश अथवा इतिहास नहीं है अपितु हमारे विश्वास के अनुसार हमें सीधे-सीधे अल्लाह से प्राप्त हुई है।”^(५७)

४. इस्लामी शरीयः में मज़हब और राजनीति :

जी एच. जानसेन के अनुसार “धर्म और राजनीति इस्लाम रूपी सिक्के के दो पहलू हैं।”^(५८) डाक्टर मुशीरुल हक का कहना है कि “.....स्वयं इस्लामी चिंतन में धर्म और राजनीति इस प्रकार एक साथ गूँथ दिये गये हैं कि उनकी अलग-अलग कल्पना भी नहीं की जा सकती।”^(५९)

मौदूदी ने सत्य कहा था कि “मुसलमान इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे कि उन्हें अपने धार्मिक विश्वास और रीतिरिवाज़ के पालन करने की स्वतंत्रता देकर उनसे अपनी अलग पहचान को राष्ट्रीय धारा में विलीन करने की अपेक्षा की जाय। इस्लाम धार्मिक और नागरिक जीवन में भेद नहीं मानता और मुसलमान कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रस्तावित धर्म और राजनीति को अलग करने के सुझाव से सहमत नहीं हो सकते।”^(६०)

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी राजनीति को कुरान की दासी से अधिक नहीं समझते थे और राजनीति में कुरान के दायरे के बाहर जाने वाले मुसलमान को राजनीति काफिर मानते थे। उनका कहना था कि “कोई भी विचार जिसका स्रोत कुरान के बाहर है नितांत कुफ़्र है। -कोई भी मुसलमान जो किसी भी कार्य या विश्वास का समर्थन अथवा अनुमोदन कुरान के सर्वांगीण सिद्धान्त के प्रतिकूल किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी अथवा दर्शन प्रणाली में खोजता है, मुस्लिम नहीं रहता और उसे राजनीतिक काफ़िर माना जायेगा।”^(६१)

प्रोफेसर डेनियल पाइप्स के अनुसार “शरीयः इस्लाम और राजनीति को इस प्रकार एक-दूसरे से गूँथ देती है कि धर्म और राजनीति में सीमांकन संभव नहीं है। धार्मिक मजबूरियों के परिणाम राजनीतिक हैं और राजनीति क लक्ष्य धार्मिक है।”^(६२) “संसार के महान मज़हबों में अकेला इस्लाम ही राजनीति, युद्ध, अर्थव्यवस्था और न्याय के विषय में विस्तृत और सूक्ष्म आदेश देता है

जिससे उसके अनुयाइयों को इस बात का स्पष्ट ज्ञान रहता है कि उन्हें (प्रत्येक परिस्थिति) में क्या करना है।”^(६३) “इस्लाम के नियमों पर आचरण करने का अर्थ ही है राजनीति में सीधा प्रवेश।”^(६४).....“शरीयः कानून अल्लाह की इच्छा का शासन नीति से सम्बन्ध जोड़ता है और इन देशों का इस प्रकार से संगम कर देता है कि कुछ सूफियों को छोड़कर धार्मिक मुसलमान सामाजिक क्रिया कलापों से अपने को जुदा नहीं रख सकता। जो भी मुसलमान शरीयः के अनुसार रहना चाहता है उसे राजनीति से सम्बन्ध बनाना ही होगा। मुसलमान होने के लिए केवल वैयक्तिक विश्वास ही पर्याप्त नहीं है, उसका अर्थ है पृथ्वी पर अल्लाह की इच्छाओं को (जो कुरान और हदीस से प्रकट होती हैं) लागू करना।”^(६५) अर्थात् दूसरे धर्मों पर इस्लाम की वर्चस्वता स्थापित करने और सत्ता पर कब्ज़ा करने के लिये बल प्रयोग सहित सभी प्रयास करना।

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि इस्लाम में मज़हब को राजनीति से किसी प्रकार भी अलग नहीं किया जा सकता। मज़हब निष्ठ मुसलमान होने के लिए शरीयः और उसकी राजनीतिक आकांक्षाओं को प्राप्त करना भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि नमाज़, रोज़ा और हज़ इत्यादि। शरीयः की राजनीतिक मज़हब निष्ठ मुसलमान से क्या अपेक्षा करती है यह पीछे बताया जा चुका है आगे आने वाले पन्नों से पाठकों को और भी स्पष्ट हो जायेगा।

५. शरीयः का राजनीतिक ध्येय :

एक हदीस के अनुसार खैबर में मोहम्मद साहब ने कहा था कि भूमि तो अल्लाह और उसके पैग़म्बर की है। मुस्लिम विद्वानों ने इस हदीस का तात्पर्य यह निकला कि काफ़िरों का भूमि पर अधिकार ग़ैर-कानूनी है। भूमि तो अल्लाह ने उनके पैग़म्बर की मार्फ़त उनको दी है इसलिए यह अधिकार उनको वापिस मिल जाना चाहिए।

कुरान में कहा गया है कि “तुम (मुसलमानों) मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ सम्प्रदाय बनाये गये हो और तुम्हें मानव जाति के पथ प्रदर्शन और उसे सही मार्ग पर चलाने का दायित्व सौंपा गया है।” इस प्रकार मुस्लिम विद्वान प्रत्येक मुसलमान का यह दायित्व समझते हैं कि वह पूरे संसार को इस्लाम और कुरान की शिक्षाओं पर विश्वास लाने के लिए निरन्तर प्रयास (जिहाद) करता रहे, जब तक कि शरीयः का राजनीति ध्येय, पूरे संसार पर शरीयः शासन और इस्लाम धर्म का दूसरे सभी धर्मों पर वर्चस्व, स्थापित न हो जाए।

जिहाद-

मौदूदी का कहना है कि “जिन सुधारों को इस्लाम लाना चाहता है वह केवल उपदेश से सम्भव नहीं हैं। राजनीतिक सत्ता पर अधिकार होना आवश्यक है। इसलिए “दीन” की स्थापना के ध्येय से शासन तंत्र पर अधिकार करने के लिए संघर्ष की न केवल अनुमति है अपितु वह वांछनीय है और इस कारण से अनिवार्य भी।”^(६६) इसलिये सैयद कुत्ब के शब्दों में “प्रत्येक मुसलमान को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपने धर्म का पालन ऐसे मुस्लिम वातावरण में ही कर सकता है जहाँ इस्लाम ही सर्वोपरि हो।.....इस्लामी युद्ध का ध्येय केवल शरीयः कानून की स्थापना है।”^(६७)

“इस्लाम को अपना दैवी संविधान (शरीयः) स्थापित करने के लिए यह अनिवार्य है कि उन भौतिक शक्तियों को नष्ट कर दिया जाये जो उसके मार्ग में बाधा डालती हैं।”^(६८) इसलिये किसी देश पर विजय प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक उद्देश्य है वहाँ शरीयः कानून की स्थापना। शरीयः कानून द्वारा शासित राज्य का स्वरूप आगे स्पष्ट किया जायेगा। उसके पश्चात् उस देश की प्रजा और संस्कृति का इस्लामीकरण देर-सबेर स्वयं सिद्ध हो जाता है।

तदनुसार “जैसा कि शासन का दूसरा कर्तव्य बताया गया है मुसलमानों और ग़ैर मुसलमानों के बीच की खाई का प्रभाव सैनिक क्षेत्र में भी अत्यधिक पड़ा है। जहाँ एक ओर शरीयः मुसलमानों के बीच युद्ध को वर्जित करार देती है वहीं मुसलमानों को ग़ैर मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने की इज़ाजत देती है और कुछ परिस्थितियों में ऐसी अपेक्षा भी करती है।”^(६९) इस कारण से “जिहाद युद्ध की सामान्य और स्थायी स्थिति है जो कि केवल तभी समाप्त हो सकती है जब ग़ैर मुस्लिमों पर स्थायी प्रभुत्व स्थापित हो जाये।”^(७०) सैयद कुत्ब का कहना है कि “अल्लाह ने जब जब मुसलमानों को कुछ समय के लिए जिहाद से रोका तो उसका कारण युद्धनीति थी सिद्धान्त नहीं।”^(७१) “चौदहवीं शताब्दी का विख्यात मुस्लिम विधि वेत्ता इब्न तमैया युद्ध की स्थायी स्थिति को यह कहकर

उचित सिद्ध करता है कि काफिरों द्वारा पृथ्वी पर सत्ता गैर कानूनी है। यह सत्ता तो दैवी कानून के अनुसार सत्यमत इस्लाम के अनुयाइयों को वापिस मिल जानी चाहिए। इसलिए जिहाद तो काफिरों द्वारा छीनी गई मुस्लिम सत्ता मुसलमानों को वापिस दिलाने का विधिवत् माध्यम है।^{१७२} इस सिद्धान्त का परिशिष्ट यह है कि मुसलमान द्वारा काफिरों पर आक्रमण सदैव रक्षात्मक ही माना जायेगा।

“जिहाद के बहुत से रूप हो सकते हैं, लेखों द्वारा, उपदेशों द्वारा, समाज में आक्रामकता के विकास द्वारा, सुरक्षा द्वारा, सशस्त्र क्रांति द्वारा, सैनिक आक्रमण अथवा विद्रोह द्वारा, पड़ोसी की मदद द्वारा, आत्म रक्षा की तैयारी द्वारा अथवा गुरिल्ला युद्ध द्वारा।”^{१७३}

मौदूदी के अनुसार (भारत में) यह कार्य फिलहाल (इस समय) नसीहत (परामर्श) फहमाइश (उपदेश, चेतावनी) तरगीब (प्रेरणा प्रलोभन) और तबलीग (प्रचार, धर्म परिवर्तन) द्वारा ही हो सकता है।^{१७४} क्योंकि सशस्त्र जिहाद के लिये अभी स्थिति अनुकूल नहीं है।

मदनी साहब का कहना है कि “इकामते दीन (इस्लाम मज़हब की स्थापना) अल्लाह और रसूल के (दिये हुए) ब्यौरे और व्याख्या के अनुसार फर्ज है.....दीने हक (इस्लाम) में जिहाद फीसबीलिल्लाह (अल्लाह की राह में जिहाद) को इसी महत्त्वपूर्ण उद्देश्य के लिये सम्मिलित रखा गया है।.....इसी महान उद्देश्य के लिए जिहाद फीसबीलिल्लाह का एक रूप फीसबीलिल्लाह (अल्लाह की राह में लड़ना) है जिसमें बेशुमार जान व माल की हानि होती है। मगर किताल तो जिहाद की एक शक्त है और आखिरी ईलाज की तरह एक आखिरी तर्ज अमल है जबकि इसके सिवा कोई चारा न हो और उसके लिए **हालात और अवसर भी अनुकूल हों।**”^{१७५}

नोट-जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हों, गैर-मुस्लिम सैनिक संगठनों के होने के कारण सशस्त्र जिहाद के लिए हालात और अवसर अनुकूल नहीं होते। इसलिए साम्प्रदायिक दंगे करवाकर इन दलों पर मिथ्या आरोप लगाकर उन्हें निरुत्साहित किया जाता है। (देखें साम्प्रदायिक दंगों का अध्याय।)

यह समझ लेना चाहिए कि मोहम्मद-बिन-कासिम हो या गौरी या गज़नवी, खिलजी, लोदी, बाबर या औरंगजेब या सिकन्दर बुत शिकन, उनका हिन्दुओं के प्रति व्यवहार उनकी धार्मिक मज़बूरी थी। उस धार्मिक मज़बूरी को समझे बिना उनके इतिहास और चरित्र को नहीं समझा जा सकता।

“यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार का जिहाद सामूहिक तौर पर या किसी राजतंत्र द्वारा ही किया जाय। अलग-अलग कबीले और व्यक्ति भी अकेले जिहाद कर सकते हैं।”^{१७६}

इसका अर्थ यह है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अथवा संगठन बिना किसी रोकथाम अथवा प्रशासनिक नियंत्रण के गैर मुसलमानों के विरुद्ध जिहाद छेड़ सकता है। इस प्रकार की धार्मिक छूट के फलस्वरूप ही श्रद्धानन्द, राजपाल, बोत्रोस पाशा, अनवर सादात इत्यादि के जिहादी वध और मोपला, कोहाट, नोआखाली तथा काश्मीर के जिहादी साम्प्रदायिक सामूहिक नरसंहार, बलात्कार तथा बलात् धर्म परिवर्तनों की मुस्लिम विद्वान् और नेता कभी निन्दा नहीं करते।

“जिहाद एक अन्तर्राष्ट्रीय धारणा है जो संसार के प्राणियों को दो निरन्तर विरोधी गुटों में बाँटता है। एक दारुल हर्ब (युद्ध स्थल) जहाँ इस्लाम का राज्य नहीं है, दूसरा दारुल-इस्लाम (इस्लामी-स्थल) जहाँ इस्लाम का राज्य है। जिहाद उन दोनों में निरन्तर युद्ध की स्थिति है। जिसका अंत तभी होगा जब काफिरों पर मुसलमानों को पूर्णरूपेण प्रभुत्व प्राप्त हो जाये और सारे विश्व में दूसरे सभी धर्मों पर इस्लाम का वर्चस्व स्थापित हो जाये।”^{१७७}

“क्योंकि जिहाद स्थाई युद्ध की स्थिति है उसमें निष्ठापूर्वक शांति का कोई स्थान नहीं है। किन्तु राजनीतिक स्थिति के अनुसार अस्थायी संधियाँ की जा सकती हैं। यह संधिकाल अधिक से अधिक दस वर्ष का हो सकता है। इस संधि को मुस्लिम पक्ष शत्रु को चेतावनी देकर कभी भी तोड़ सकता है।”^{१७८}

“.....मुस्लिम धर्माचार्यों द्वारा जिहाद को इस्लाम का अनिवार्य अंग बताया गया है। प्रत्येक मुसलमान को उसमें भाग लेना अनिवार्य है-इस्लाम का सैनिक बनकर, धन देकर, लेखों द्वारा अथवा मुसलमानों में उग्रता के प्रचार द्वारा।^{१७९} “कुरान मुसलमानों को (काफिरों से) युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है (२,१६०) वह उन्हें विश्वास दिलाती है कि इस ध्येय के लिए मरना वास्तविक मृत्यु नहीं है।(३:१६६)। वह उन्हें बताती है कि अल्लाह की राह में मरने वालों को भुलाया नहीं जायगा (४७.४) बहुत सी आयतें मुसलमानों को धर्म युद्ध में खुले हाथ से खर्च

करने को प्रोत्साहित करती हैं और इस पर बल देती हैं कि जिन्हें अल्लाह में विश्वास है उन्हें उसके लिए युद्ध करना चाहिए।”^(८०)

गैर-मुस्लिम शासकों के विषय में सैयद कुत्ब की धारणा है “कि इस्लाम को अपना दैवी संविधान लागू करने के लिए यह अनिवार्य है कि उन भौतिक शक्तियों का नाश कर दिया जाये”^(८१) उनका कहना है कि “वही युद्ध कानून के अनुसार ठीक समझा जाता है जो अल्लाह के सन्देश के वर्चस्व को संसार में स्थापित करे। यह सन्देश उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति है। इस्लामी युद्ध (जिहाद) का मकसद अल्लाह के तन्त्र की स्थापना है जिसके ज़रिये संसार के ऊपर उसकी सत्ता की पुष्टि होती है।”^(८२)

कुरान बल पूर्वक कहती है जो कोई भी अल्लाह के सन्देश के अनुसार शासन नहीं चलाता है, वह काफिर है (५:४४) और समर्पित मुसलमानों को उसका आदेश नहीं मानना चाहिये और उससे युद्ध करना चाहिये।”^(८३)

जमाते-इस्लामी और जिहाद

मौलाना मौदूदी : संस्थापक जमायते इस्लामी के अनुसार :

- “इस्लाम केवल एक मज़हबी अकीदा (धार्मिक विश्वास) और कुछ इबादत (प्रार्थनाओं) का संग्रह नहीं है अपितु एक पूर्ण जीवन प्रणाली है जो अपना एक सुधारात्मक प्रोग्राम नाफिज (लागू) करना चाहता है। इसके लिए वह तमाम इन्सानों को दावत (निमन्त्रण) देता है। यह दावत जो लोग भी कबूल कर लें-इस्लामी जमाअत के सदस्य बन जाते हैं जिसका दूसरा नाम “उम्मेते मुस्लिमा” (मुस्लिम समुदाय) है। यह पार्टी (मुस्लिम समुदाय) वजूद (अस्तित्व) में आते ही अपने जीवन उद्देश्य के लिए जिहाद शुरु कर देती है। इसके वजूद (अस्तित्व) में आने का तकाज़ा (माँग) यही है कि वह गैर-इस्लामी निज़ाम की हुक्मरानी को (गैर-इस्लामी राज्य प्रणाली को) मिटाने की कोशिश करे और इसके स्थान पर तमुहुन व इज्तिमा (सामाजिक व सामूहिक जीवन) के उस मो-तदिल व जाबता (संहिता) की हुक्मत कायम करें जिसे कुरान एक जामा (संपूर्ण) शब्द “कलिमतुल्लाह” से प्रकट करता है.....यह मज़हबी तबलीग करने वाले वाइज़ीन (मिशनरीज-धर्म प्रचारकों) की जमाअत नहीं है बल्कि खुदाई फौजदारों की जमाअत है.....(आयत).....(अनुवाद)। उनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना (बिगाड़) बाकी न रहे और इताअत (मान्यता) सिर्फ खुदा के लिये हो जाये (अर्थात् खुद की मान्यता और जीवन विधि जैसे इस्लाम बतलाता है, कायम हो जाए।”^(८४)
- सैयद अहमद अरुज कादरी-सदर मजलिसे शोरा व सअवसर कायम मुकाम अमीर जमायते इस्लामी हिंद का कहना है कि :
“यह साबित हो चुका है कि दीने हक (इस्लाम) को बातिल आदियान पर (झूठे धर्मों पर) गालिब-ए-सर बुलन्द करना जिसके लिए कुरान ने एक जामा इस्तलाह (संपूर्ण पारिभाषिक शब्द) “इकामते दीन” इस्तेमाल किया है फर्ज है। उम्मेते मुस्लिमा को शाहदे हक (सत्य के गवाह) का जो मनसब (पद) सुपुर्द किया गया है और अल्लाह के जिस काम के लिए इस उम्मेद को चुना है, वह पूरे दीन की इकामत का फरीजा (कर्तव्य) है। राहेखुदा में जिहाद फरीजा (कर्तव्य) है।”^(८५)
- मौलाना मोहम्मद यूसुफ अमीर (प्रधान) जमायते इस्लामी हिंद भी इसी बात पर बल देते हैं:
“आलाए कलिमतुल्ला” (इस्लामी शासन की स्थापना और इस्लाम का दूसरे धर्मों पर वर्चस्व स्थापित करने) के लिए जद्दोजहद किसी एक देश की या एक संगठन की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि विभिन्न देशों में विभिन्न संगठन अपने-अपने तौर से सेवा कर रहे हैं। इसमें से बहुत से संगठनों के प्रतिनिधि आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है कि हम अपने इन आदरणीय मेहमानों के तर्जुबात और ख्यालात् (अनुभव और विचारों) से पूरा लाभ उठाएं.....“इकामते दीन” उम्मेते मुस्लिमा का मकसदे वजूद (जीवन लक्ष्य) है।”

“इकामते दीन” (दूसरे झूठे समझे गये धर्मों पर इस्लाम के वर्चस्व की स्थापना) की जद्दोजहद को दुनियां-तलबी ख्याल करना और इससे कतरा कर किसी कोने को पकड़ लेना कदापि सही नहीं है और यह भी वास्तविकता है कि दीन की सिर्फ दावत व तबलीग (धर्म परिवर्तन के मर्म) को काफी समझने से इकामते दीन की जिम्मेदारी अदा नहीं हो जाती, बल्कि ज़रूरी है कि इसका सच्चे दिल से पालन करने के साथ-साथ इस पर जैसा

कि हक है अमल-दरामद किया जाये और समस्त गलत व झूठी जीवन व्यवस्थाओं के मुकाबले में अनथक जद्दोजहद जारी रखी जाये यहाँ तक कि अल्लाह की दीन पूरी तरह गालिब हो जाये।”^(८६)

“जिहाद फिसबीलिल्लाह” का दूसरा नाम इकामते दीन के लिए जद्दोजहद करना है।”^(८७)

इण्डियन मुस्लिम लीग और जिहाद

निम्नलिखित वक्तव्यों से इस विषय पर किसी को सन्देह नहीं रह जाना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में मुस्लिम लीग वही पुरानी मुस्लिम लीग है और उसकी राजनीतिक दृष्टि में कोई अंतर नहीं आया है।

१. “सैयद उम्मर बाफकीहा थंगल के इस बयान ने कि इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग वहीं मुस्लिम लीग है जो १९०६ में हुई थी और जिसके रुहे रवाँ मिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह थे और जनाब इब्राहिम सुलेमान सेत, सदर इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग के इस बयान ने कि इंडियन मुस्लिम लीग आजादी से पूर्व की मुस्लिम लीग के बारे में किसी भी तरह घृणा-पूर्ण शब्द बरदाश्त नहीं करेगी” हमें कलम उठाने पर मजबूर कर दिया है।” (साप्ताहिक जमीयत टाइम्स-देहली २७-७-१९७३)^(८८)

“जनाब उम्मर बाफकीहा थंगल के इस बयान (के विरोध में) कि मौजूदा मुस्लिम लीग उसी मुस्लिम लीग का हिस्सा है जो १९०६ में कायम हुई थी, कांग्रेसी लीडरान विशेषकर कांग्रेस के युवा वर्ग ने प्रोटेस्ट किया है। जनाब अब्दु बकर (ज्वाइन्ट सेक्रेटरी केरल राज्य मुस्लिम लीग) ने दावा किया है कि १९५० में भी कायदे मिल्लत जनाब मुहम्मद इस्माइल साहब ने यह बात वाज़ेह कर दी थी कि मौजूदा मुस्लिम लीग उस मुस्लिम लीग की जानशीन है जो १९०६ में मुसलमानों का तहफफुज़ करने के लिए कायम हुई थी। पाकिस्तान की माँग १९४० में की गई लेकिन उसके पूरा होने का मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि मुस्लिम अकलियत (अल्पसंख्यक) के मसाइल (समस्या) खत्म हो चुके हैं।”^(८९)

धर्म के नाम पर हिन्दुओं के लिए छोड़े गये शेष भारत भूखण्ड में मुस्लिम अकलियत (अल्पसंख्यकों) के मसाइल (समस्याएं) मूल रूप से वही सब हैं जो विभाजन के पहले थे। फिर विभाजन का तात्पर्य क्या था? इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए मुसलमान विद्वानों द्वारा यह आवश्यक समझा जाता रहा है कि भारत में इस्लाम का वर्चस्व स्थापित किया जाय और शरीयः शासन लागू किया जाय।

इण्डियन मुस्लिम लीग के विचार जिसने पाकिस्तान बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। किसी से छिपे नहीं हैं।

फिर भी उस समय के कुछ वक्तव्यों का स्मरण करना लाभदायक होगा।

२ मार्च सन् १९४० को जिन्नाहसाहब की अध्यक्षता में लाहौर में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि “हज़ारों वर्षों के निकट सम्पर्क के बावजूद जो कौमों आज भी सदा की तरह भिन्न हैं उन्हें लोकतांत्रिक संविधान के अधीन रखकर या ब्रिटिश संसदीय कानूनों के आप्रकृतिक और कृत्रिम तरीकों से ज़बरदस्ती साथ रखकर कभी भी एक राष्ट्र में बदला नहीं जा सकता। जिस कौम को डेढ़ सौ वर्षों में सरकार एकात्म नहीं कर पायी, उसे केन्द्रीय संघीय सरकार के आरोपण से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह सोचा नहीं जा सकता कि इस तरह की संगठित सरकार के आदेश या आज्ञा सारे उपमहाद्वीप में, विभिन्न कौमों द्वारा सैनिक सहायता के बिना, कभी भी स्वैच्छिक या निष्ठायुक्त आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकते हैं।”

जिन्नाह साहब ने कहा कि “इस्लाम और हिन्दू वास्तव में दो धर्म नहीं बल्कि भिन्न और सुस्पष्ट सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। हिन्दू और मुसलमान दो भिन्न धार्मिक दर्शनों, सामाजिक प्रथाओं और साहित्य से सम्बन्ध रखते हैं। वे निःसन्देह दो भिन्न सभ्यताओं से सम्बन्धित हैं जो प्रधानतः परस्पर विरोधी तत्वों और धारणाओं पर आधारित हैं। जीवन के सम्बन्ध में प्रधानतः उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं। हिन्दू और मुसलमान इतिहास के दो भिन्न स्रोतों से अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनकी वीरगाथाएं भिन्न हैं उनके महापुरुष भिन्न हैं। उनके उपाख्यान भिन्न हैं। बहुधा एक का महापुरुष दूसरे के महापुरुष का शत्रु है। ऐसे दो राष्ट्रों को एक राष्ट्र में जोत देना, एक अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यक, बढ़ते हुए असन्तोष का तथा उस ढाँचे के आखिरी विनाश का कारण होगा, जिसे ऐसे राज्य की सरकार के लिए निर्माण किया गया है।”^(९०)

उनका कहना था कि “भारत की समस्या का स्वरूप साम्प्रदायिक नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय है। जब तक यह बुनियादी सत्य पूरी तौर पर नहीं समझा जाता कोई भी संविधान तैयार किया जाय घोर विपत्ति ही उसका परिणाम होगी। यह केवल मुसलमानों को ही नहीं ब्रिटिश और हिन्दुओं के लिए भी विनाशकारी और हानिकारक सिद्ध होगा। अगर ब्रिटिश सरकार वास्तव में इस उपमहाद्वीप की जनता के लिए शान्ति और सुख सुनिश्चित करने की इच्छा में सच्ची है तो स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों में हिन्दुस्थान को विभाजित करके प्रधान राष्ट्रों के लिए पृथक् स्वदेश (होमलैण्ड्स) का प्रबन्ध करना ही एकमात्र रास्ता है।”^(६१)

जिन्नाह साहब ने कहा कि “मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं, मुसलमान तो राष्ट्र की प्रत्येक परिभाषा के अनुसार राष्ट्र हैं और उन्हें अपना स्वदेश, राज्य-क्षेत्र और राज्य मिलना चाहिए।”^(६२)

२४ मार्च १९४० को मुस्लिम लीग ने पृथक् स्वदेश और स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की मांग की। मुस्लिम लीग ने धर्म को ही राष्ट्रीयता का आधार स्वीकार करते हुए मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत को पुष्ट किया।^(६३)

हमारे हिन्दू नेताओं ने जिन्नाह के द्विराष्ट्र सिद्धांत का कड़ा विरोध किया था। हमारे अब तक के अध्ययन से सिद्ध हो गया है कि जिन्नाह के द्विराष्ट्र सिद्धान्त को कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने भी परोक्ष रूप से स्वीकार किया था। फिर ६७: मुसलमानों ने भी वोट द्वारा इसे सत्यापित कर दिया। विभाजन के पश्चात भारत की वर्तमान परिस्थिति विभाजन पूर्व की परिस्थिति से किस प्रकार भिन्न है? क्या हिन्दू मुसलमानों की सामाजिक व्यवस्थाएं धार्मिक दर्शन, सामाजिक प्रथाएं और साहित्य एक अथवा एक जैसे हो गये हैं?

क्या मुसलमानों ने हिन्दू सभ्यता से नाता जोड़ लिया है? क्या जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण हिन्दू हो गया है? क्या मुसलमान और हिन्दुओं ने इतिहास के भिन्न-भिन्न स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त करना बंद कर दिया है? क्या उनके ऐतिहासिक महापुरुष एक हो गये हैं? क्या मुसलमानों ने हिन्दुओं को अल्लाह की पार्टी मानना स्वीकार कर लिया है? क्या उन्होंने हिन्दू संस्कृति को जहीलिया मानना बंद कर दिया है? क्या उन्होंने भारत के हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन करने का विचार त्याग दिया है? क्या उन्होंने भारत में शरीयः शासन स्थापित करने के अपने दैवी अधिकार का तिलांजलि दे दी है? ईमानदारी से कोई भी मुस्लिम विद्वान् इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में नहीं दे सकता।

इसके विपरीत हिन्दुओं की उपस्थिति गाज़ियों, शहीदों और सूफियों के मकबरों पर कई गुनी बढ़ गई है। ये गाज़ी शहीद और सूफी वे लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम काल में लाखों हिन्दुओं का भय, लोभ और उनकी अनभिज्ञता का कपटपूर्ण लाभ उठाकर धर्मान्तरण किया। आज हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म के नाम पर बंटे भारत के हिन्दू भाग के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता इन मजारों में जाकर नमाज़ पढ़ने का ढोंग करते हैं। उनके इमामों के सामने नाक रगड़ते हैं और जनता के धन से रोज़ा अप्तारी जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसे इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। क्या ऐसा दृश्य किसी दूसरे स्वाभिमानी राष्ट्र में देखने को मिलेगा? हिन्दू भारत में मैथिलीशरण गुप्त, भूषण, श्याम नारायण पाण्डेय, भगवान दीन इत्यादि की हिन्दू वीरों के गुण गान करने वाली कविताएं ढूँढे नहीं मिलतीं। स्कूलों में पढ़ाई नहीं जा सकती। अमीर खुसरो, टीपू सुल्तान, बहादुरशाह ज़फर, अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय महापुरुष हो गये हैं। मुस्लिम साहित्य प्रचुरता से उपलब्ध है और ३०००० मुस्लिम मदरसे, लाखों मकतब, सहस्रों मुस्लिम स्कूल, कालिज और कम से कम दो विश्वविद्यालय बच्चों को कट्टर इस्लाम की शिक्षा देने में प्रयासरत हैं। पंडित और संस्कृत भुला दिये गये हैं। उर्दू और उर्दू टीचरों का बोलबाला है। उर्दू विश्वविद्यालय बनाने की बात है। सैंकड़ों वर्षों से वीरान पड़ी मस्जिदों और मज़ारों का पुनर्निर्माण हो रहा है। हिन्दुओं के धर्मान्तरण और मुस्लिम घुसपैठियों की बाढ़ आ गई है। मुस्लिम आक्रामकता अब शासकीय सशस्त्र दलों पर गोली चलाने से संकोच नहीं करती। मस्जिदें कानून बनाकर सुरक्षित कर दी गई हैं। मंदिरों की सुरक्षा में शासन अक्षम है कम से कम काश्मीर में।

क्या इन तथ्यों से जिन्नाह हमारे समस्त नेताओं की तुलना में अधिक तथ्यवादी, दूरदर्शी और स्पष्टवादी नहीं सिद्ध होते?

क्या अंबेडकर का मुस्लिम नेताओं को हिन्दू राजनीतिज्ञों की अपेक्षा “कुशल राजनीतिज्ञ ; च्यतमिबज ैजंजमेउंदद्ध कहना अतिशयोक्ति माना जा सकता है?^(६३क) असुविधाजनक तथ्यों से आँखें मूंद लेना निकृष्ट राजनीति है और अधिकांश हिन्दू तथ्यों से आँखें और कान मूंदने को ही सर्वोकृष्ट राजनीति समझते आये हैं। यही भारत के दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण है।

जैसा कि मुस्लिम विद्वानों द्वारा बताया गया नियम है बंगाल में सुहरावर्दी के शासन और मुसलमानों में भावात्मक उफान आते ही स्थिति अनुकूल समझ कर १९४६ में कलकत्ता में जिहाद प्रारम्भ हुआ।

जुलाई ३०, १९४५ को मुस्लिम लीग के विख्यात नेता अदुल रब निश्तर ने कहा “पाकिस्तान केवल रक्त बहाकर ही प्राप्त किया जा सकता है और यदि अवसर मिला तो गैर मुस्लिमों का रक्त अवश्य बहाया जायगा क्योंकि मुस्लिम अहिंसा में विश्वास नहीं करते।”^(९४)

एस.एम. उसमान, सचिव कलकत्ता मुस्लिम लीग ने अगस्त १९४६ के लीग द्वारा मनाये जा रहे “सीधी कार्यवाही दिवस” के अवसर पर कहा: “अल्लाह की मर्जी से हम भारत के दस करोड़ मुसलमान हिन्दू और अंग्रेजों के गुलाम हो गये। या अल्लाह! हम तेरे भरोसे इस रमजान के पवित्र महीने में एक जिहाद प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमें सिवाय तेरे किसी दूसरे का भरोसा नहीं है। हमें काफ़िरोँ पर विजय प्रदान कीजिये जिससे हम हिन्दुस्तान में इस्लाम का राज्य स्थापित कर सकें।”^(९५)

कलकत्ता में जारी लीग के एक पत्रक से :

“हम मुसलमानों के पास ताज रहा है और हमने शासन किया है। दिल छोटा मत करो। तलवार उठाओ। ए मुसलमानों! सोचो आज हम काफ़िरोँ के दास क्यों हैं।.....

“ए काफ़िरोँ! तुम्हारा सर्वनाश दूर नहीं है। तुम्हारा कल्लेआम किया जाने वाला है। हम तलवार हाथ में लेकर अपनी कीर्ति स्थापित करेंगे और अन्तिम विजय हमारी होगी।”^(९६)

जमायत-ए-उलेमा और जिहाद

जमीसत-ए-उलेमाए हिन्द के विचार जानने के लिए निम्नलिखित सन्दर्भ पर्याप्त होने चाहिए। यह हमारे तथाकथित राष्ट्रीय, धर्म-निरपेक्ष और धर्मिक स्वतंत्रता के हिमायती मुस्लिम धर्माचार्यों और नेताओं का राष्ट्रीय संगठन है। सहयोग व आर्थिक सहायता के लिये मुसलमानों से अपील करते हुये कहा गया:

“हम निर्बल सेवक, जमायते उल्माए हिन्द की कार्यकारिणी के सदस्यगण “आलाए-कलिमतुल्लाह” के लिए....
.....हिम्मत किये हुए हैं।”^(९७)

“आलाए कलिमतुल्लाह” का अर्थ है दो उद्देश्यों को प्राप्त करना: इस्लामी हुकूमत की स्थापना और दूसरे धर्मों पर इस्लाम का गलबा (प्रभुत्व) कायम करना जिनके लिए जंग (अर्थात जिहाद) का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है।”^(९८)

एम.आर.ए. बेग लिखते हैं:

“वास्तव में औरंगज़ेब हिन्दू विरोधी नहीं था किन्तु इस्लाम था (जिसका वह कट्टर अनुयायी था) और अभी भी वह हिन्दू धर्म का विरोधी है। औरंगज़ेब का इतिहास और उसकी ख्याति से यदि मुस्लिम भारतीय सीखना चाहे तो यह पाठ सीख सकते हैं कि कुरान का रूढ़िवादी और दार्शनिक इस्लाम गैर-मुस्लिम ढाँचे में फिट बैठ ही नहीं सकता, जिसके कारण भारतीय मुस्लिम भारत में रहते हुए भी भारत के नहीं हैं.....^(९९) इस स्थिति से निपटने का एक मात्र उपाय है भारत के गैर-इस्लामी ढाँचे को ही इस्लामी ढाँचे में परिवर्तित कर देना। वह यही करने जा रह है।

६. इस्लामी शरीयः में राज्य की परिकल्पना :

“इस्लामी दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण नहीं है कि शासक किस देश का निवासी है? वह कौन सी भाषा बोलता है? अथवा उसकी राजधानी कहाँ है? महत्वपूर्ण यह है कि वह निष्ठावान, आचारवान मुस्लिम हो जो शरीयः का पालन करवाये और मुसलमानों की रक्षा करे।”^(१००)

“मुस्लिम शासन का विस्तार होते रहना चाहिये.....शरीय शासन लागू होने से गैर-मुस्लिमों को भी लाभ होता है क्योंकि ऐसे शासन में वह उन कार्यों को नहीं कर सकते जिनकी अल्लाह द्वारा मनाई की गई है।”^(१०१)

“अल्लाह का सामीप्य पाने के लिए शरीयः में इस प्रकार के प्रावधान हैं जो केवल शासन द्वारा ही पूरे किये जा सकते हैं इसलिये शासन का मुसलमानों के हाथों में होना आवश्यक है। वह तभी सम्भव है जब मुसलमानों का देश पर अधिकार हो। इसके लिए युद्ध करना पड़ता है। इसीलिये जिहाद का प्रावधान है।”^(१०२)

तुष्टीकरण निष्फल

“यदि मुसलमानों का शासन न होगा तो काफिरों का होगा। काफिरों के लिए शरीयः पवित्र कानून नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिए और राजनीतिक सुविधा के लिए गैर-मुस्लिम सरकारें कुछ इस्लामी मान्यताओं को लागू करती हैं। विशेष रूप से व्यक्ति सम्बन्धी। किन्तु वह कभी भी शरीयः कानून के सामाजिक प्रावधानों को लागू नहीं कर सकतीं। इस स्थिति में इस्लाम अपने अनुयाइयों से गैर-मुस्लिमों को सत्ता से हटाने की अपेक्षा करता है-यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा।”^(१०३)

नोट-भारत जैसे गैर-इस्लामी देश और उसकी गैर-इस्लामी सरकार को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि शाहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नया कानून बनाकर रद्द करने, उर्दू को राज्य भाषा बनाने, अलीगढ़ विश्वविद्यालय को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध मुस्लिम संस्था घोषित करने, मदरसों, वक्फों, हज्ज यात्रियों और रोज़ा अप्तारी समारोहों पर करोड़ों रुपया लुटाने, धर्म-स्थल कानून, अल्पसंख्यक आयोग बनाने इत्यादि जैसी राजनीतिक सुविधाओं का लालच देकर रुढ़िवादी मुसलमानों को (और अधिकतर मुसलमान उलेमा के प्रभाव के कारण रुढ़िवादी हैं) संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उनका पूर्ण सन्तोष तभी होगा जब सत्ता पूरी तरह उनके हाथ में हो और केवल शरीयः कानून लागू हों।

“जो गैर-मुस्लिम शासन का विरोध करें (हर्बी) उन सबका दमन आवश्यक है।”^(१०४)

“बहुदेवतावादियों को जिनके धर्म से अल्लाह कतई घृणा करता है इस्लामी शासन में अपने धर्म के पालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन पर (मुसलमानों द्वारा) विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें दारुल-इस्लाम को छोड़कर भाग जाना चाहिए अन्यथा उनको गुलाम बनना पड़ेगा अथवा कत्ल होना।”^(१०५) यदि भारत दारुल इस्लाम बन जाय जैसा कि इस्लाम की आकांक्षा है और धर्मनिष्ठ मुस्लिमों का प्रयास भी, तो हिन्दुओं की स्थिति क्या होगी? और यदि भारत को हिन्दू राज्य घोषित कर दिया जाय तो भारतीय मुसलमानों की स्थिति क्या होगी? यह दोनों प्रश्न विचारणीय है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर पाठक इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोजें।

विश्व में ३२ देशों में मुसलमान ८५ से ९६ प्रतिशत हैं। पाँच देशों में वह ५० प्रतिशत से ऊपर हैं। “जहाँ भी मुस्लिम शासन है वहीं मुसलमान का घर है” के नियम के अनुसार यह सभी देश १० करोड़ भारतीय मुस्लिमों को लेने के सिद्धांततः इन्कार नहीं कर सकते। किन्तु भारत के ६० करोड़ हिन्दू भारत से भाग कर कहाँ जायेंगे? मुनीर कमीशन की रिपोर्ट में दिये गये एक ज्ञानवर्धक नोट को पाठकों की जानकारी के लिये हम उद्धृत करते हैं। (रिपोर्ट के पृष्ठ २२१-२२३)

नोट:-धियासुल्लुगत के अनुसार दारुल हर्ब काफिरों के उस देश को कहा जाता है जिस पर इस्लाम का वर्चस्व स्थापित न किया जा सका हो। किसी देश के दारुल हर्ब होने के परिणाम शॉरटर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम में इस प्रकार दिये गये हैं।

“जब कोई देश दारुल हर्ब हो जाय तो सभी मुसलमानों का कर्तव्य है कि उसे छोड़ दें।.....“वास्तव में मौलाना अब्दुल हमीद वदायूनी अध्यक्ष जमायतुल-उलेमा पाकिस्तान का तो मत है कि भारतीय मुसलमानों के लिये भारत से हिजरत (पलायन) करने के यथेष्ट कारण पहले से ही हैं।

मुस्लिम देशों में गैर मुस्लिम

कमीशन- यदि पाकिस्तान इस्लामी राज्य हो तो गैर-मुस्लिमों की स्थिति क्या होगी?

उत्तर- (मौलाना कादरी अध्यक्ष जमायतुल उलेमा पाकिस्तान)-वह जिम्मी होंगे। उन्हें कानून बनाने, राज्य के प्रशासन और सरकारी नौकरियों में कोई स्थान नहीं मिल सकता। वह राज्य में किसी भी अधिकारी पद पर नहीं रखे जा सकते।

उत्तर- (मौलाना अहमद अली)- उनको प्रशासन में कोई स्थान नहीं दिया जा सकता।

उत्तर- (मियां तुफैल अहमद जमाअते इस्लामी)- यदि राज्य का जमाते इस्लामी के सिद्धांतों के अनुसार प्रशासन हो तो गैर मुस्लिमों के अधिकार मुसलमानों के समान नहीं हो सकते।

उत्तर- (मौलाना अब्दुल हमीद वदायूनी)- गैर मुस्लिमों को नागरिक अधिकार नहीं दिये जा सकते।”^(१०६क)

३२ लाख मस्जिदों में चलने वाले मकतबों की संख्या केवल ५: अर्थात् १,६०,००० मान लें और प्रति मकतब चार विद्यार्थी भी मान ले तो इन मकतबों में ६ लाख विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। ३०,००० मदरसों में २० विद्यार्थी प्रति मदरसे के हिसाब से ६,००,००० विद्यार्थी प्रतिवर्ष पढ़ के निकले। कुल संख्या १२ लाख। इस्लामी स्कूल भी कम से कम एक डेढ़ लाख विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष शिक्षा देते होंगे। इस प्रकार प्रति वर्ष लगभग १४ लाख मुस्लिम बच्चे यह सीखते हैं कि भारत में मुस्लिम राज्य और शरीयः शासन होना चाहिये। उसमें प्रशासक वहीं लोग होने चाहिए जिन्होंने जीवन भर शरीयः के अनुसार जीवनयापन किया हो। जिनका उसमें पूर्ण विश्वास हो और उसकी सूक्ष्म जानकारी हो।

मुस्लिम राज्य में गैर-मुस्लिम प्रजा जिम्मी बन कर रह सकती है। उन्हें मुस्लिम नागरिकों के बराबर अधिकार नहीं दिये जा सकते। राज्य की नीति निर्धारण में और जिम्मेदारी के पदों पर नियुक्ति में उनका कोई स्थान नहीं हो सकता।

मौदूदी का कहना है कि “इस इस्लामी दृष्टिकोण का सबूत यह है कि पैगम्बर अथवा खलीफाओं के काल में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि जिसमें किसी गैर-मुस्लिम को संसद का सदस्य, किसी सूबे का गवर्नर, न्यायाधीश, किसी सरकारी विभाग का निर्देशक अथवा खलीफा के चुनाव में वोट देने का भी अधिकार दिया गया हो।”^(१०५) सेनापति अथवा मंत्री बनाया गया हो।”^(१०५क)

मौदूदी साहब की स्पष्ट वक्तृता और ईमानदारी की प्रशंसा की जानी चाहिये कि भारतीय नेताओं की तरह उन्होंने कभी वास्तविकता से विपरीत बयानबाजी नहीं की। विभाजन के धार्मिक आधार की वास्तविकता को स्वीकार करने में भी उन्होंने कभी संकोच नहीं किया।

पाकिस्तान बनने के अपने विरोध को स्पष्ट करते हुए उन्होंने विभाजन के पश्चात् कहा था : “हम तो पूरे भारत को ही इस्लाम में लाना चाहते थे। फिर इस्लाम के नाम पर बने किसी भी भू-भाग का विरोध हम कैसे कर सकते हैं।”^(१०६क) विभाजन की संध्या पर पाकिस्तान जाते समय विभाजन के आधार पर भूत सिद्धान्त के प्रति ईमानदारी बरतते हुए उन्होंने भारत को हिन्दू राष्ट्र स्वीकार किया था: “अब यह निश्चय जान पड़ता है कि देश का विभाजन होगा। एक भाग मुसलमानों को दिया जायगा दूसरा गैर-मुसलमानों को। पहले भाग में हम समाज को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि वहाँ का शासन शरीयः पर आधारित हो। दूसरे भाग में हम मुसलमान अल्पसंख्यक होंगे और आप हिन्दुओं का बाहुल्य होगा। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरुनानक और दूसरे ऋषियों के जीवन चरित्र और शिक्षाओं का, वेदों, शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन करें। यदि आपको इनसे कोई दैवी मार्ग दर्शन मिले तो आप अपना संविधान उसी के अनुसार बनाएं...।”^(१०७)

पाकिस्तान बनने के बहुत बाद मुनीर कमीशन ने उनसे पूछा कि यदि वह पाकिस्तान में शरीयः शासन की वकालत करते हैं तो क्या भारत के मुसलमानों को हिन्दुओं का धार्मिक शासन स्वीकार करने को कहते हैं? मौदूदी साहब ने उत्तर दिया था “निश्चय ही मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा अगर हिन्दू अपने धर्म पर आधारित संविधान के अनुसार भारतीय मुसलमानों के साथ शूद्रों अथवा मलेच्छों जैसा व्यवहार करें और मनु के नियमों के अनुसार उनको शासन में सभी प्रकार के अधिकारों और नागरिकता से वंचित रखा जाय।”^(१०८)

दूसरे मुस्लिम धर्माचार्यों की साक्षी भी उनकी ईमानदारी और सिद्धान्तवाद की गवाह है। मौलाना अबुल हसनात सयद, मोहम्मद अहमद कादरी अध्यक्ष जमायतुल उलेमा पाकिस्तान, मौलाना अब्दुल हमीद बदायुनी इत्यादि सभी ने एक स्वर से स्पष्ट किया कि शरीयः पर आधारित राज्य में गैर-मुसलमानों को नागरिक अधिकार नहीं दिये जा सकते और किसी भी जिम्मेदार के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।^(१०९)

“हिन्दू राष्ट्र” में मुसलमानों की स्थिति पर मौदूदी के विचार ऊपर दे चुके हैं। अमीरे शरियत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने बयान दिया कि इस विषय में वह कुछ नहीं कह सकते किन्तु उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की स्थिति में भारतीय मुसलमानों का कर्तव्य है कि वे पाकिस्तान के विरुद्ध न लड़ें और न ऐसा कोई कार्य करें जिससे पाकिस्तान को खतरा हो।^(११०)

उपर्युक्त अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि विभाजन की जिम्मेदारी न जिन्नाह की है न गांधी अथवा नेहरू अथवा पटेल या राजेन्द्र प्रसाद की न ब्रिटिश सरकार की। विभाजन तो इस्लाम ने कराया और अपनी इस्लाम

विषयक नितान्त अनभिज्ञता के कारण विभाजन के समय हुए खून खराबे के जिम्मेदार हिन्दू नेता थे। आबादी की अदला-बदली के जित्राह और अंबेडकर के सुझाव को अस्वीकार करने से भारत में नये सिरे से फिर मुस्लिम समस्या के उभरने और उसके संभाव्य इस्लामीकरण के जिम्मेदार भी वही नेता और हिन्दू साधु संत और धर्म गुरु होंगे जो अभी भी इस्लाम के राजनीतिक दृष्टिकोण से आँखें मूँदे अज्ञान अथवा स्वार्थवश वास्तविकता को देश के सामने लाने से भय खाते हैं।

शान्तिकाल में इस्लाम :

इस्लाम के उपर्युक्त आक्रामक आदेशों का एक औचित्य तो यह बताया जाता है कि यह आदेश युद्ध की स्थिति में अवतरित हुए थे और साथ ही साथ कुछ दूसरी आयतें भी उद्धृत की जाती हैं जो निश्चय ही धार्मिक स्वतंत्रता तथा मानव बंधुत्व की वकालत करती मालूम होती हैं किन्तु क्या व्यवहार में यह आक्रामक आयतें केवल युद्ध काल में ही लागू होती हैं?

शांतिकाल में राज्य का टैक्स और जज़िया देने वाली शांतिप्रिय हिन्दू प्रजा के साथ इस्लाम का व्यवहार उलेमा क्या बताते हैं इसका पता इतिहास में काज़ी मुघीसुद्दीन द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को दिये गये एक प्रश्न के उत्तर से चल जाता है। काज़ी साहब फर्माते हैं।

“ये लोग (हिन्दू) खराज देने वाले हैं। जब माली अफसर उनसे चाँदी माँगे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। नम्रता और आदरपूर्वक चाँदी के स्थान पर सोना देना चाहिए। यदि कर्मचारी उनके मुँह में थूकना चाहे तो उनको चाहिए कि खुशी से अपना मुँह खोल दें जिससे वह उनके मुँह में थूक सके। इससे प्रकट होगा कि वे कर्मचारी का आदर करते हैं एवं नम्रतापूर्वक कर अदा करने से जिम्मी (खराजदार) की अधीनता प्रकट होती है और उनके मुँह में थूकने से भी यही बात है। इस्लाम की कीर्ति को बढ़ावा कर्तव्य है। धर्म से विमुख होना व्यर्थ है। ईश्वर हिन्दुओं से घृणा करता है कि इन लोगों को दबाकर रखो। हिन्दुओं को अधीन अवस्था में रखना धार्मिक कर्तव्य है क्योंकि यह लोग पैगम्बर के पक्के शत्रु हैं। पैगम्बर ने कहा है कि या तो इनको मुसलमान बना लो या इनको मार डालो या इनको दासता में जकड़ दो और इनकी सम्पत्ति नष्ट कर डालो। हनीफा के सिवाय किसी भी विद्वान ने हिन्दुओं पर जज़िया लगाने की अनुमति नहीं दी है। हम लोग हनीफा के सम्प्रदाय के ही हैं। दूसरे सम्प्रदाय के विद्वानों ने कहा कि हिन्दुओं को या तो मार डालो या मुसलमान बना लो।⁽⁹⁹⁾ (ज़िया बर्नी)

पंथ निरपेक्षता का इस्लाम में क्या स्थान है वह हम पीछे बता आये हैं। किन्तु जिनकी रोटी रोज़ी ही सत्ता पर निर्भर हो और “पंथनिरपेक्षता” का राग अलापने से ही चलती हो वह यदि पंथनिरपेक्षता को इस्लाम का विशिष्ट गुण और मुस्लिम राज्य काल को हिन्दुओं के लिये सुख, शांति और समृद्धि का कीर्ति काल दिन रात प्रचारित करते फिरते हों तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य और दुःख तब होता है जब इस्लामी धर्म, दर्शन और राजनीति से अनभिज्ञ स्वतंत्र हिन्दू भी बिना किसी अध्ययन के नितान्त बेसिर पैर की यही बात सार्वजनिक मंचों से प्रचारित करते हैं।

मुस्लिम शरीयः के अनुसार इस्लाम को झूठा कहने की सज़ा मृत्यु दंड है। इस्लाम से बाहर जाने वाले और इसमें उनकी सहायता करने वालों का भी दण्ड मृत्यु है। लेखराम, श्रद्धानन्द इत्यादि सैकड़ों शहीद यह मृत्यु चुका चुके हैं। इन लोगों ने इस्लाम अथवा पैगम्बर का अपमान नहीं किया था। इनका दोष यह था कि इन्होंने हिन्दू धर्म सहित सभी प्रचलित धर्मों में अंध विश्वास और विज्ञान विरुद्ध बातों की आलोचना की थी और बुनियाद पर सभी मतावलम्बियों से आग्रह किया था और उनको निमंत्रण दिया था कि मानवता के उज्ज्वल भविष्य के लिये सभी मतों में से इस प्रकार की मान्यताओं को निष्कासित कर असत्य का त्याग और सत्य को ग्रहण करें। दूसरे धर्मों में प्रचलित अंध विश्वासों को उजागर करने का एक परिणाम यह अवश्य हुआ कि प्रचलित हिन्दू धर्म की त्रुटियों को दिखा कर हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन करने वालों को बहुत धक्का पहुँचा और इस प्रकार का प्रचार करने वालों का वध ही उन्हें एक मात्र उपाय जान पड़ा। दूसरी बात और भी है कि इस्लाम दूसरे धर्मानुयायियों को इस्लाम ग्रहण करने का निमंत्रण देने का अपना एकाधिकार मानता है। दूसरे धर्मानुयायी यदि मुसलमान को गैर-इस्लामी धर्म में प्रविष्ट होने की प्रेरणा दें तो उनका दण्ड भी मृत्यु ही है।

हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है कि हमारे सेक्युरवादी योद्धाओं ने “न बुरा देखो, न बुरा सुनो और न बुरा बोलो” मंत्र की दीक्षा ले रखी है। इसलिये मुसलमानों के सभी व्यवहार के प्रति वह निस्पृह बने हुये हैं।

किन्तु यदि यह “सर्व धर्म समभाव” की वकालत करने वाले शिक्षा ग्रहण करना चाहें तो हम उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि मुस्लिम शासन में केवल इस्लाम को झूठा कहने वालों को ही मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाता है। जो इस्लाम के साथ-साथ अपने धर्म के भी सच्चा होने का दावा करें उनकी सज़ा भी मृत्यु ही होती है। उन लोगों को भी जो इस्लाम को सच्चा धर्म बताकर अथवा मोहम्मद साहब की पैगम्बरी को मान लेने के पश्चात् मुसलमान होने से इंकार करें उन्हें मृत्यु दण्ड दिया जाता है।

“अकबर-शाही” नामक ग्रन्थ का इतिहासकार अब्दुल्ला, सिंकदर लोदी के समय की एक घटना का वर्णन करते हुये कहता है : “बोधन नाम के एक ब्राह्मण ने कुछ मुसलमानों की उपस्थिति में कह दिया कि “इस्लाम और हिन्दू दोनों ही धर्म सच्चे हैं। “गांधी जी भी मौलाना आजाद, अजमलखाँ, डॉ. अंसारी इत्यादि के सामने यही कहा करते थे। आजम हुमायूँ नामक सूबे के गर्वनर ने उलेमा के आपत्ति करने पर बोधन को संभल में मुल्तान के सामने पेश किया। सुल्तान ने अपने राज्य के चारों कोनों से इस्लाम के विद्वानों को बुलावाया। पूरा विवरण सुनने के पश्चात् सभी विद्वानों ने निर्णय दिया कि बोधन को कारागार में डालकर उसे मुसलमान बनाया जाय। और यदि वह इसके लिए तैयार न हो तो उसको मृत्यु दण्ड दिया जाय। धर्म परिवर्तन से इंकार करने के कारण उसे मृत्यु दण्ड दिया गया। सुल्तान ने पारितोषिक देकर दूरस्थ स्थानों से बुलाये गये उलेमा को ससम्मान विदा कर दिया।”^(१११क)

“शेख जलालउद्दीन बुखारी सुहरावर्दी मख्दूये जहाँनियाँ जहाँगशत की रुगण्टा का समाचार सुनकर ऊछ का दरोगा नवाहू या नवाहन उसकी सेवा में उपस्थित हुआ और श्रद्धा विभोर होकर बोला : आप अंतिम संत है, जैसे मोहम्मद साहब अंतिम नबी थे।” इस पर शेख ने कहा : कि तूने आधा कालिमा पढ़ लिया अब पूरा कालिमा पढ़कर मुसलमान हो जा अन्यथा प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। उसने नहीं माना। अतः उसे सुल्तान फिरोज़ शाह तुगलक के समक्ष उपस्थित कर उसकी आज्ञा से उसका वध करा दिया गया।”^(१११ख)

भगवान को धन्यवाद दें या हिन्दू सहनशीलता को कि “सर्व धर्म समभाव” सिद्धान्त के मानने वालों और प्रचारकों का जन्म जो सभी मतों को इस्लाम के सदृश्य न केवल सच्चा आपितु समान रूप से सच्चा मानते हैं और न केवल “आदर अपितु समादर” करने की शिक्षा देते हैं सिकन्दर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोजशाह तुगलक, औरंगजेब इत्यादि के “हिन्दुओं के लिये शांति और समृद्धिपूर्ण शासनकाल” में नहीं हुआ, अन्यथा उनका भी वही हाल होता जो बोधन ब्राह्मण का अथवा नवाहन दरोगा का हुआ था। यदि उन्हें इसमें संदेह हो तो वह सउदी अरब में जाकर सार्वजनिक रूप से इस्लाम को हिन्दू धर्म के समान सच्चा कह कर देखें।

इस्लाम में धार्मिक स्वतन्त्रता :

इस्लाम के धार्मिक स्वतन्त्रता के पक्ष में एक आयत यह है :

“धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं” (२:२५६) देखने में इस आयत से दूसरे धर्मों के प्रति सहनशीलता प्रकट होती है और इसका उल्लेख इस अभिप्राय से अक्सर किया जाता है। किन्तु अब देखें कि विख्यात उलेमा इसकी व्याख्या किस प्रकार करते हैं।

१८वीं शताब्दी के महान् मुस्लिम विद्वान और विचारक शाहवलीउल्लाह जिनकी रचनाएं सभी मदरसों, मकतबों में आदर से इस्लाम की प्रामाणिक व्याख्याएं मानी जाती हैं इस आयत के विषय में लिखते हैं, “इस्लाम की घोषणा के पश्चात् बल प्रयोग नहीं है।”^(११२)

बहुत से मुस्लिम “विद्वान सहअस्तित्व की वकालत करने वाली इस आयत को आयत कताल (६:५) के अवतरण के पश्चात् रद्द कर दी गई मानते हैं।”^(११३) अबू बकर-इबन-अल-अरबी जो कुरान के प्रतिष्ठित विद्वान हैं मानते हैं कि कुरान की न केवल यह आयत अपितु १२४ आयतों जो कुफ्र के प्रति सहिष्णुता का उपदेश देती हैं रद्द कर दी गई हैं।^(११३क)

इस सम्बन्ध में सैयद कुत्ब इस बात पर बल देते हैं कि “धर्म चुनने की स्वतन्त्रता तो तभी होगी जब दमनात्मक परिस्थितियाँ हटा दी जाँय और यह उन्हीं स्थानों पर सम्भव है जहाँ लोगों को अल्लाह के मानवहित के

दर्शन का अनुसरण और अनुभव करना सम्भव हो। उनका कहना है कि यदि इसके रास्ते में कई बाधाएँ हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि पहले उन बाधाओं को बलपूर्वक हटा दिया जाये जिससे मानव हृदय और मस्तिष्क को उनके बन्धनों से मुक्त कर सीधे उपदेश दिया जा सके।^{११४)} इन व्याख्याओं के पश्चात् यह बताना आवश्यक नहीं है कि इस आयत में दी गई धर्म स्वतंत्रता के अर्थ क्या हैं?

एक प्रश्न सहज ही उठता है कि यदि यह शान्तिपूर्ण आयतें रद्द की जा चुकी हैं अथवा उनका वास्तविक मन्तव्य वही है जो शाह वहीउल्लाह और सैयद कुत्ब जैसे विद्वान बताते हैं, तो आजकल के भारतीय उलेमा गैर-मुस्लिमों को उनके द्रष्टव्य शान्तिपूर्ण अर्थ पर विश्वास दिलाने के प्रयास क्यों करते हैं?

हामिद दलवाई इस प्रकटतः विरोधाभास का उत्तर इस प्रकार देते हैं: “यह समझ लेना चाहिए कि स्वतन्त्रता और परतन्त्रता की मुसलमानों की व्याख्या का आधुनिक राष्ट्रीयवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है और न वह उसके अनुरूप ही है। मुसलमानों के अनुसार स्वतन्त्रता का अर्थ है पूर्ण सत्ता उनके हाथ में होना। इस व्याख्या के अनुसार वह पाकिस्तानी मुसलमानों को स्वतन्त्र और भारतीय मुसलमानों को अभी भी परतन्त्र मानते हैं।^{११५)}

“भारतीय मुस्लिम अपने को मक्का की स्थिति में समझते हैं और पाकिस्तानी मुस्लिमों को मदीना की स्थिति में। पैगंबर मोहम्मद को मक्का की विजय से पहले कुरैश नामक जाति के हाथों काफी कष्ट उठाना पड़ा था। इसके विपरीत मदीना में मुस्लिम राज्य स्थापित हो चुका था। जब मक्का विजय हुआ तो वहाँ के मुसलमानों को परतन्त्रता से छुटकारा मिला। मुझे लगता है कि भारत के ७५ प्रतिशत मुसलमान अपने को मक्का वाली उस स्थिति में समझते हैं जो पैगम्बर की मक्का विजय से पहले थी।^{११६)}

मक्का वाली आयतें मक्का में पैगम्बर की अल्पसंख्यक और कमजोर स्थिति के कारण समझौता-परक समझी जाती हैं। मदीना में स्थिति मजबूत हो जाने के पश्चात् अवतरित आयतें आक्रामक समझी जाती हैं।

सर जदुनाथ सरकार के अनुसार मुस्लिम राज्य की परिकल्पना।

“अपने उत्पत्ति काल के सिद्धान्त के अनुसार मुस्लिम राज्य एक मतावलम्बी (थियोक्रैसी) राज्य होता है। उसका असली शासक अल्लाह है और भौतिक शासक केवल उसके एजेन्ट हैं जो उसका कानून सब पर लागू करने के लिए बाध्य हैं। नागरिक कानून धार्मिक कानून के नितांत अधीन है और वास्तव में उसका अस्तित्व ही धार्मिक कानून में विलीन हो जाता है। शासन प्रणाली का अस्तित्व ही मत को लागू करने और उसके प्रचार के लिए है। ऐसे राज्य में कुफ्र को राजद्रोह समझा जाना नितांत तर्कसंगत है क्योंकि काफिर वास्तविक बादशाह की सत्ता से इंकार कर उसके प्रतिद्वन्द्वियों, झूठे देवी देवताओं की उपासना करता है। इसलिए शासन की तमाम शक्ति, उसके राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग, सत्य-मत (इस्लाम) के प्रचार-प्रसार के लिये हर समय उपलब्ध होना कानूनी आवश्यकता है।^{११७)}

इस प्रकार के दर्शन में धार्मिक सहनशीलता का अर्थ राजद्रोह है।

“इसलिए रुढ़िवादी इस्लाम के बाहर किसी भी दूसरे मत को सहन करना पाप से समझौता करने से कम नहीं है, बहुदेवतावाद-यह विश्वास कि अल्लाह के सहभागी दूसरे देवता भी हैं-सब से घृणित पाप है। ऐसा विश्वास (कुफ्र) उसके प्रति अत्यधिक अकृतज्ञता है, जो हमें जीवन और भोजन देता है।^{११८)} धार्मिक कर्तव्य के पालन का अर्थ हो जाता है काफिरों के विरुद्ध जिहाद।

“इस्लामी धर्म-दर्शन इसलिए सच्चे मुसलमानों को बताता है कि उनका सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य अल्लाह की राह में काफिर देशों (दारुल हर्ब) के विरुद्ध युद्ध द्वारा जिहाद करना है जब तक कि वह इस्लामी संघ (दारुल इस्लाम) का एक भाग न बन जाँय और उनकी समस्त प्रजा मुसलमान न हो जाय। विजय के पश्चात् तमाम हथियार बंद व्यक्ति या तो कत्ल कर दिये जाने चाहिये अथवा उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया जाना चाहिए। उसके बीवी बच्चे गुलाम करार कर दिये जाते हैं।^{११९)}

इस्लामी राज्य में काफिरों के अस्तित्व को स्थायी रूप से सहन नहीं किया जा सकता। “धार्मिक-कानून-विद शफी के अनुसार जो लोग युद्धरत नहीं रहे हों यदि वह कुरान के कानून के अनुसार कत्ल न कर दिये जाँय तो यह केवल उनको कुछ समय की मोहलत देने के विचार से ही होना चाहिए जिससे वह बुद्धिमत्तापूर्वक इस्लाम पर विश्वास ले आने के लिए तैयार कर लिये जाँय।^{१२०)}

मुस्लिम राज्य का ध्येय:

“मुस्लिम राज्य का ध्येय है तमाम प्रजा को मुसलमान बनाना और हर प्रकार के विरोध को ध्वस्त कर देना। यदि किसी मजबूरी के कारण काफ़िर का अस्तित्व सहन करना ही पड़ जाय तो वह एक आवश्यक दुष्कर्म है और उसे अस्थायी होना चाहिए। उस पर राजनीतिक और सामाजिक अक्षमता द्वारा दबाव डालकर और सरकारी खजाने से रिश्वत देकर उसके ज्ञान चक्षु जल्द से जल्द खोलकर उसका नाम सत्य विश्वास वालों की सूची में दर्ज किया जाना चाहिए। काफ़िरो की आबादी की संख्या अथवा उनके धन की वृद्धि से राज्य का ध्येय ही असफल हो जायेगा। इसलिये एक धर्मात्मा मुस्लिम बादशाह को प्रसन्नता होनी चाहिए जब उसके काफ़िर प्रजा जन एक दूसरे का गला काटें क्योंकि किसी भी पक्ष का कत्ल हो लाभ इस्लाम का ही है। उदाहरण के लिए जब हिन्दू संन्यासियों के दो दलों में इस बात पर युद्ध हो रहा था कि धार्मिक तीर्थ पर पहले कौन स्नान करे तो अकबर जैसा बादशाह भी अपनी प्रजा में शान्ति बनाये रखने जैसे राजसी कर्तव्य से विमुख होकर उन्हें एक दूसरे की संख्या घटाते देखता रहा।”^(१२१)

मुस्लिम राज्य में ग़ैर मुस्लिमों का राजनीतिक अधिकार हनन:

राज्यद्रोही को राज्य के आदरणीय नागरिक का सम्मान कैसे दिया जा सकता है? “इसलिये एक ग़ैर-मुस्लिम, इस्लामी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। उसकी हैसियत एक दलित समाज की है जो गुलामी का परिवर्तित रूप है। वह मुस्लिम राज्य में एक इकरारनामें (ज़िम्मा) के तहत निवास करता है। अपने जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिये जो अनिच्छापूर्वक उसे मुसलमानों के सेना नायक द्वारा दी जाती है उसे राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित होना स्वीकार करना पड़ता है। जज़िया नामक कर देना पड़ता है। संक्षेप में युद्ध में पराजय के पश्चात् अपने ही देश में रहने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व और सम्पत्ति को इस्लाम के ध्येय के अधीन करना पड़ता है।”^(१२२)

“उसे अपने भूमि के लिए टैक्स (खराज) देना पड़ता है.....उसके वस्त्रों और व्यवहार द्वारा हर समय यह परिलक्षित होता रहना चाहिये कि वह दलित समाज का सदस्य है। कोई भी ग़ैर-मुस्लिम उत्तम वस्त्र नहीं पहन सकता, घोड़े पर नहीं चढ़ सकता और हथियार नहीं रख सकता। उसे मुसलमानों के सामने आदरपूर्वक अधीनता का व्यवहार करना आवश्यक है।”^(१२३)

सरकार आगे लिखते हैं। “सिन्ध में अरबों द्वारा किसी भी नगर को विजय करने के पश्चात् उसके निवासियों को इस्लाम धर्म ग्रहण करने को कहा जाता था। यदि वह इस पर सहमत हो जाते हैं तो उन्हें विजेताओं के बराबर अधिकार मिल जाते थे, अन्यथा अपने धर्म के पालन के लिये कर (जज़िया) देना पड़ता था। विजित नगर का मुख्य मंदिर ध्वस्त कर उसके स्थान पर मस्जिद बनाना अनिवार्य नियम था। शुरु-शुरु में एक सिरे से मन्दिर और मूर्ति नहीं तोड़ी जाती थीं किन्तु जैसे-जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती गई, शिकंजा मजबूत होता गया। उनकी असहनशीलता और जुल्म बढ़ते गये। घटिया वस्त्रों और व्यवहार द्वारा अपमान के अलावा लालच और भय का प्रयोग भी किया गया। कत्ल के सिवा सभी प्रकार के हथकड़े हिन्दुओं के धर्म परिवर्तन के लिए अपनाये गये। धर्म परिवर्तन के लिए सरकारी नौकरी का प्रलोभन दिया गया। हिन्दू धार्मिक और सामाजिक नेताओं का पद्धतिक्रम दमन किया गया जिससे हिन्दुओं की धार्मिक शिक्षा समाप्त हो जाय। उनके धार्मिक जुलूसों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया जिससे उनका संगठन और एकता नष्ट हो जाँय। नये मन्दिर का निर्माण और पुरानों की मरम्मत रोक दी गई जिससे समय के साथ स्वयं नष्ट हो जाँय किन्तु कभी-कभी यह भी बर्दाश्त न हुआ तो उनको बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया गया।”^(१२४)

इस्लाम की इस विशिष्ट राजनीतिक अवधारणा के कारण “काफ़िरो का वध (काफ़िर कुशी) मुसलमानों में धार्मिक कर्तव्य समझा जाता है। उसके लिये अपने शरीर को सुखा कर इन्द्रियों को वश में करना आवश्यक नहीं है। इसके लिये आध्यात्मिकता उपार्जन करना भी आवश्यक नहीं है। उसे अपने कुछ मानव बंधुओं का कत्ल भर कर देना और उनकी भूमि और धन लूट (स्त्री बच्चे) लेना उसकी आत्मा को जन्नत में पहुँचाने के लिये पर्याप्त होता है।”^(१२५)

इस्लामी राजनीतिक चिंतन की कसौटी :

वास्तव में मुस्लिम नेतृत्व के (भारत में ही नहीं विश्व भर में) सभी व्यवहार की कसौटी यह अर्थपूर्ण शब्द “कलमतुल्लाह” और “इकामते दीन” ही हैं। इस कसौटी पर परखने से उलेमा की प्रतिक्रिया स्पष्ट समझी जा सकती है।

जिस-जिस कार्य से इस्लाम की मजबूती से स्थापना और उसका दूसरे धर्मों पर प्रभुत्व सिद्ध होता हो वही स्वीकार्य और जिस-जिस से इसमें बाधा पड़ती हो उसके विरुद्ध जिहाद। इसलिए शरीयः-विरुद्ध भारतीय साक्ष्य एक्ट और भारतीय दंड संहिता को कोई विरोध नहीं किया गया, किन्तु परिवार सीमित करने, मुस्लिम घुसपैठियों को निकालने, गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दीक्षित करने के उनके अधिकार को सीमित करने, मुसलमानों को दूसरे धर्म में परावर्तन कराने, समान नागरिक संहिता इत्यादि का विरोध किया जाता है। मस्जिदों की १५-८-१९४७ की स्थिति को बहाल रखने के लिए कानून बनाने की माँग की गई। हिन्दू समाज को संगठित करने, हरिजनों और दलितों में हिन्दुत्व की भावना जगाने, ऐसी कुप्रथाओं को हटाने वालों का जिससे उस समाज का विघटन होता हो विरोध किया जाता है। इसलिये जहाँ मुस्लिम राज्य और इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित हो गया है वहाँ परिवार नियोजन किया जा सकता है। मस्जिदें हटाई जा सकती हैं। बहुविवाह रोका जा सकता है। तलाक के नियम बदले जा सकते हैं। जहाँ अभी इस्लामी राज्य की स्थापना और इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित होने में कमी रह गई है वहाँ यह सब सुधार इस कार्य में बाधक होने से स्वीकार्य नहीं हो सकते।

भविष्य की तैयारियाँ : २२-३-१९८० को मौलाना असद मदनी ने जो कांग्रेस के एम.पी. भी थे और जमायतुल उलेमा नामक राष्ट्रीय मुसलमानों के संगठन के अध्यक्ष भी, दुनिया के मुसलमानों से दावते दीन और कलिमतुल्लाह अभियान के केन्द्र देवबंद मदरसे को मजबूत बनाने की प्रार्थना करते हुए कहा:

“आज अल्लाह का फज़ल है कि न सिर्फ अपने मुल्क हिन्दुस्तान में बल्कि पूरी दुनियाँ में दारुल, दावते दीन व आलाए कलिमतुल्लाह का एक मरकज़े अमल है। दारुल उलूम के सौ सालाह समारोह के उत्सव पर मेरी “हिन्दुस्तानी मुसलमानों” और दुनियाँ के मुसलमानों से यही अपील होगी कि “दावते दीन व आलाए कलिमतुल्लाह” के इस मरकज़े अमल को मजबूत बनाएं।^(१२६)

यह ध्यान देने योग्य बात है कि मौलाना मदनी कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे।

“यकीन कीजिए दारुल उलूम देवबंद से निकले हुए छात्र (ओल्ड-व्यॉयज) का एक विश्व संगठन २२-३-१९८० से कायम हो चुका है जिसका नाम “आलमी मोतमर फज़ला ब इबनाए कदीम दारुल उलूम देवबंद है” इसका केन्द्र देवबंद यानि हिन्दुस्तान में है और इसकी शाखाएं न सिर्फ हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रदेशों में हैं बल्कि विदेशों में जैसे पाकिस्तान, बंगलादेश और इंग्लैण्ड में अब तक कायम हुई हैं। इस विश्व संगठन के सदर मौलाना असद मदनी स्वयं हैं और नायाब सदरैन पाकिस्तान, बंगलादेश और इंग्लैण्ड में अब तक निर्वाचित हो चुके हैं।

“और इस संगठन का समस्त सिलसिला “आलाए कलिमतुल्लाह” के क़याम के लिए तेज़ी के साथ काम कर रहा है।”^(१२७) आलाउ कलिमतुल्लाह की व्याख्या ऊपर दी जा चुकी है।

उपर्युक्त वक्तव्यों को पढ़कर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन तीनों मुस्लिम संगठनों की कार्य प्रणाली में भले ही अंतर हो उनका ध्येय एक है- दावते-दीन लोगों को इस्लाम ग्रहण का निमंत्रण, और “आलाए कलिमतुल्लाह”-इस्लामी शासन की स्थापना और इस्लाम का दूसरे सब धर्मों पर प्रभुत्व स्थापित करना। इस ध्येय की पूर्ति के लिए उनके सुझाव भी, भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा की आड़ में, उसी प्रकार दिये जाते हैं जैसे-पाकिस्तान के निर्माण के लिए दिये गये थे। सलाउद्दीन औबैसी ने आंध्र प्रदेश विधान सभा में बोलत हुए कहा “भारत के प्रत्येक राज्य में एक अलग मुस्लिम राज्य (मिनी पाकिस्तान) बनाया जाना चाहिए।”^(१२८)

जमाते इस्लामी के मुख-पत्र रैडियंस के १७-५-१९७० के अंक में यह सुझाव दिया गया कि पाँच-छः राज्यों को मिलाकर भारत में एक अलग मुस्लिम राज्य (नया पाकिस्तान) बनाने का प्रयास किया जाय जिससे समस्त भारत के मुसलमान, वहाँ इकट्ठे होकर शान्तिपूर्वक रह सकें।^(१२९) तामीरे मिल्लत के अध्यक्ष खलीलुल्लाह हुसैनी ने जमाते इस्लामी पत्रिका इरशाद मे सन् १९६२ के भारत-चीन युद्ध के पश्चात् लिखा कि “भारत के वर्तमान शासकों को

शासन करना नहीं आता। इस देश को उन लोगों के हाथ में सौंप देने के अतिरिक्त जिन्होंने इस पर १००० वर्षों तक राज्य किया है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है”^(१३०)

हामिद दलवाई से मजलिसे मुशावरत के संस्थापक विख्यात राष्ट्रीय मुस्लिम सैयद महमूद ने भी एकदम यही बात कही। “हिन्दू शासन करना नहीं जानते। मुसलमान ही इस देश को बचा सकते हैं।”^(१३१)

आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ एम.जे. अकबर, छागला, दलवाई और बेग जैसे मुसलमान भारत को खण्डित करने और हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ाने में जमात-ए-इस्लामी, मुशावरत, जमायतुल-उलेमा के मुस्लिम धर्माचार्यों (उलेमा, मौलाना, मौलवी, मुफ्ती इत्यादि) की खतरनाक भूमिका के विषय में चेतावनी देते नहीं अघाते, वहाँ हिन्दू नेता उन लोगों को सिर पर बैठाने में ही अपनी राजनीतिक बुद्धिमानी समझते हैं।

दूसरा आश्चर्य यह है कि इतनी ठोकरें खाने के बाद भी हम मुसलमानों द्वारा अथवा उनके कारण उत्पन्न हुई समस्याओं को धार्मिक समस्या न मान कर, जो कि वास्तव में होती हैं, उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और न जाने कैसी-कैसी समस्यायें मान कर चलते रहे हैं।

दैनिक जागरण लखनऊ ८-६-६२ के अनुसार पाकिस्तानी संसद से संयुक्त अधिवेशन में बोलते हुए ईरान के राष्ट्रपति अली अकबर हाशमी रफसंजानी ने काश्मीर की समस्या को इस्लामी मुद्दा बताया और कहा कि वह जितनी पाकिस्तान की समस्या है उतनी ही ईरान की है। ईरान के राष्ट्रपति की बात की सच्चाई को समझना हो तो काश्मीर लदाख और बांगलादेश से भागे लाखों हिन्दू और बौद्ध शरणार्थियों और उन स्थानों पर ध्वस्त सैकड़ों हिन्दू और बौद्ध मंदिरों से पूछो। विभाजन से पूर्व ढाका, पूजाब, मालाबार, कलकत्ता, नोआखाली और पाकिस्तान में हिन्दू और सिक्खों पर किये गये अत्याचारों को अंग्रेजों के खाते में डालकर तो भ्रमित किया जा सकता था अब इन अत्याचारों को यदि आप इस्लाम के खाते में नहीं डालेंगे तो किससे खाते में डालेंगे? मुफ्ती मोहम्मद सईद इत्यादि भारतीय मुस्लिम नेता तो खैर काश्मीर को इस्लामी मुद्दा न बताकर राजनीतिक मुद्दा बताते ही हैं और नीति सिद्धान्त के अनुसार उन्हें यह कहना भी चाहिये। हिन्दू नेता भी उस झूठ को प्रचारित करते रहते हैं। इस कारण वह मुस्लिम अलगाववाद और अगल पहचान की इस राष्ट्रीय समस्या को इस्लामी चश्में से देखने में और उसका निदान खोजने में असफल रहे हैं। इस प्रकार की राजनीतिक, जिहादी, अलगाववादी, योजनाबद्ध विश्व इस्लामीकरण की आकांक्षा संजोये ४० से ऊपर लगभग पूर्णतया मुस्लिम देशों के पैन इस्लामिक दृष्टिकोण और दर्शन से प्रतिबद्ध समस्या का वास्तविक स्वरूप समझे बिना उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान, जिन्नाह, इक़बाल इत्यादि से नहीं बनाया। उसका निर्माण इस्लाम ने किया। अफ़गानिस्तान, ईरान, अज़र बेजान, साइप्रस, मिस्र, बर्मा इत्यादि देशों में जहाँ-जहाँ मुसलमानों की समस्या बताई जाती है उस समस्या को “यह इस्लाम की समस्या है” ऐसा समझ लेते ही उस समस्या का असली स्वरूप समझा जा सकता है। निराकरण के उपाय भी ठीक-ठीक सोचे जा सकते हैं। यूरोप और अमेरिका अब इस सत्य को समझने लगे हैं। किन्तु भारत जो उसका त्वरित शिकार है इस तथ्य से अनभिज्ञ आँखें मूँदे बैठा है।

तीसरा आश्चर्य यह है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् लगभग सभी मुख्य-मुख्य मुस्लिम संस्थाओं के इन वक्तव्यों के पश्चात् भी भारतीय हिन्दू नेता इस प्रकार के वक्तव्य देकर जनता को गुमराह करते रहते हैं कि अधिकांश भारतीय मुसलमानों ने द्विराष्ट्रीयता “अलग पहचान” सिद्धान्त को तिलांजलि दे दी है।

७. इस्लामी शरीयः और जनतंत्र : (लोकतंत्र)

मौदूदी साहब के विचार राष्ट्रीयता के विषय में हम पहले दे चुके हैं। हिन्दू बहुल भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में वह फरमाते हैं।

“लोकतंत्र में अक्सरियत (मैजोरिटी, बहुसंख्यक) खुदा बनकर लोगों पर हुकूमत करती है और इस व्यवस्था में अकलियत (माइनोरिटी, अल्पसंख्यक) गुलाम बनकर रह जाती है। इस कमी को दूर करने का तरीका यह है कि

गैर-अल्लाह की हाकमियत (शासन) से इंकार कर दिया जाय और उसकी हाकमियत कबूल की जाय जो इस कायनात (विश्व) का मालिक, हमारा खालिक (सृष्टिकर्ता) और रब (ईश्वर) है।”^(१३२)

यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर की हाकमियत से मौदूदी साहब का मंशा इस्लामी शरीयः की हुकूमत से ही है।

यह परिवर्तन किस प्रकार लाया जाय यह भी उन्होंने बताया “जो मुल्के खुदा के नाज़ायज मालिक बन बैठे हैं और खुदा के बन्दों को अपना बन्दा (सेवक) बना लेते हैं, वह अमूमन (साधारणतः) अपनी खुदाबन्दी (प्रभुत्व) से महज़ (केवल) नसीहतों (उपदेशों) के बिना (आधार) पर दस्तरबतरार (अलग) नहीं हो जाया करते और न वह इसको गवारा (सहन) करते हैं कि अवाम-उलनास में (जनता में) हकीकत की इल्म फैले, क्योंकि इससे उनको खतरा (भय) होता है कि उनकी खुदावही (प्रभुत्व) खुद ब खुद (अपने आप) खत्म हो जायेगी। इसलिये मो-मिन को मजबूरन जंग (युद्ध) करना पड़ता है ताकि हुकूमते इलाहिया के कयाम (स्थापना) में जो चीज सदेराह (रास्ते में बाधा) हो उसे रास्ते से हटा दें।”^(१३३)

जनतंत्र में विरोध अथवा असहमति ने केवल प्रकट करने अपितु उसका प्रचार करने के अधिकार का बहुत महत्त्व है। इस्लाम में विरोध अथवा असहमति का कोई स्थान नहीं है। “सही मुस्लिम” में दी गई हदीस संख्या-४५५३ के अनुसार यदि एक से अधिक खलीफा हों तो उन खलीफाओं को जिनके प्रति निष्ठा की शपथ बाद में ली गई है कल कर दिया जाना चाहिए।

दूसरी हदीस ४५५४ के अनुसार मोहम्मद साहब ने कहा बताते हैं “तुम अमीर की आज्ञा का पालन करोगे। यदि तुम्हारी पीठ पर कोड़े लगाये जाँय और तुम्हारी सम्पत्ति छीन ली जाय तब भी तुम आज्ञा पालन करोगे।”

एम.आर.ए. बेग इस मानसिकता के विषय में कहते हैं कि “इस्लामी जनतंत्र की जो डींगे मारी जाती हैं वह वास्तव उस व्यंग लेख की तरह हैं जिसमें कम्यूनिज्म के विषय में लिखते हुये कहा था कि सब लोग बराबर हैं लेकिन कुछ लोग अधिक बराबर हैं यदि इस्लाम का पूर्णतया अनुसरण किया जाय जैसा कि भूतकाल में औरंगजेब द्वारा किया गया था और वर्तमान में लीबिया और अरब में किया जाता है तो वह एकाधिकार है और दूसरे मुस्लिम देशों में जो थोड़ा जनतंत्र दिखाई देता है वह काफ़िर देशों से इन देशों में आती परिवर्तन की इस्लाम विरोधी बयार के कारण है।”^(१३४)

इस्लाम के इन अपरिवर्तनीय सिद्धान्तों को जानने वाले और उसके प्रत्येक शब्द पर अटल विश्वास व्यक्त करने और आचरण करने की सौगंध खाने वाले मुस्लिम नेता जब हिन्दुओं को संविधान प्रदत्त धर्म-निरपेक्षता और धर्म को राजनीति, से न जोड़कर मानवता, राष्ट्रीय एकता और बंधुत्व का उपदेश देते हैं तो उन्हें यही कहना पड़ेगा : “डॉक्टर पहले अपना इलाज करो।” उनका यह आचरण तो शैतान द्वारा धर्म ग्रन्थों के उद्धरण देने जैसा है और उन हिन्दू नेताओं को क्या कहें जो दिन-रात पानी पी-पीकर हिन्दू समाज को धर्म-निरपेक्षता, धार्मिक सहनशीलता और धर्म को राजनीति से अलग रखने का उपदेश तो देते रहते हैं किन्तु इस्लाम के मूल-भूत राजनीतिक सिद्धान्तों और उसके वास्तविक ध्येय का अध्ययन करने का समय उनको १८८५ में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् आज तक नहीं मिला। इस अध्ययन के अभाव में कांग्रेस ने तो १९२१ में ही मुसलमानों को भारत का दारुल इस्लाम बनाने और यहाँ शरीयः शासन और इस्लाम का सभी दूसरे “झूठे धर्मों” पर वर्चस्व स्थापित करने का अधिकार स्वीकार कर लिया था।

५-१०-१९२१ को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्तावपास किया उसमें कहा गया : “भारत स्वतन्त्र मुस्लिम देशों को यह गारंटी देता है कि जब वह स्वतन्त्र हो जायेगा वह अपनी नीति इस प्रकार निर्धारित करेगा कि जिससे वह मुस्लिम धर्म (शरीयः) के सिद्धान्तों के सर्वथा अनुकूल हो।”

१९१६ में खिलाफत के समय मौलाना अब्दुल बारी ने कहा था कि मौलवी होने के नाते वह कह रहे हैं कि इस्लाम में गौबध अनिवार्य नहीं है।^(१३५क) किन्तु ६-४-१९३८ को जिब्राह को लिखे पत्र में जवाहरलाल ने गौबध के प्रश्न पर मुसलमानों को आश्वस्त करते हुए लिखा : जहाँ तक गौ-वध का सम्बन्ध है कांग्रेस के विरुद्ध बड़े पहरणाम में एक झूठा और निराधार प्रचार किया गया है इसमें कहा गया है कि कांग्रेस विधान बनाकर बल पूर्वक

इसे बंद करने वाली है। कांग्रेस मुसलमानों के मान्य अधिकारों में कटौती करने के विषय में कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं करना चाहती।”^(१३५)

बीस वर्ष के अन्दर ही अब्दुल बारी के इस कथन को कि इस्लाम में गौ-वध अनिवार्य नहीं है मुसलमान तो भूल ही गये कांग्रेस भी भूल गई।

इस्लाम, शरीयः, इस्लाम मज़हब के सिद्धान्त और “मुसलमानों के मान्य अधिकार” राजनीतिक भाषा में पर्यायवाची हैं। मुस्लिम मज़हब के सिद्धान्तों के अनुकूल शासन चलाने का प्रण करने के पश्चात् कांग्रेस ने अनजाने में अपने को शरीयः सिद्धान्तों के अनुकूल शासन व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध कर लिया। शरीयः का मुख्य सिद्धान्त ही है शरीयः शासन की स्थापना और दूसरे सभी धर्मों पर इस्लाम कर वर्चस्व। वास्तव में इस्लाम का यह प्रथम मज़हबी कर्तव्य है। इस प्रकार कांग्रेस ने केवल भारत के एक भूभाग पाकिस्तान में ही नहीं अपितु पूरे भारत के इस्लामीकरण में मुसलमानों की सहायता करने का प्रण १९२१ में ही कर लिया था।

इस्लाम मज़हब (शरीयः) की भावना और आकांक्षा के सिद्धान्तों को समझना इतना आवश्यक है कि इस अध्याय को समाप्त करने से पहले उसके मुख्य सूत्रों को संक्षेप में दोहरा लेना उत्तम होगा।

- १) भारतीय धर्मों की तरह इस्लाम कोरा अध्यात्म नहीं है। कलमा (अल्लाह और पैग़म्बर में विश्वास), नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज्ज के अतिरिक्त उसका एक राजनीतिक दर्शन भी है जिसका मुसलमान को धर्मनिष्ठापूर्वक पालन करना उतना ही अनिवार्य है जितना पाँच वक्त की नमाज़ का। (अध्याय १, उद्धरण सं. १ से ३ तक)
- २) यह राजनीतिक दर्शन प्रत्येक मुसलमान से अपेक्षा करता है कि वह जिस देश में हो उसके गैर-मुस्लिम लोगों को इस्लाम में दीक्षित करे और उस देश में अंततः मुस्लिम शासन येन-केन प्रकारेण स्थापित करे। इस कार्य के लिए यदि और जब परिस्थितियाँ अनुकूल हों, बल प्रयोग, दूसरे मुस्लिम देशों से सहयोग, गुरिल्ला युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, धार्मिक अनुष्ठान से कम नहीं हैं। यदि यह असम्भव हो जाय तो उसे किसी मुस्लिम देश में चला जाना चाहिए। (हिजरत)। अध्याय ३, उद्धरण सं. १०२, १०४, ६७ से ८७ तक और अध्याय ४ उद्धरण सं. १
- ३) जहाँ-जहाँ मुस्लिम राज्य है वही-वही मुसलमान का देश है। दूसरे देशों में वह अपने मज़हब का पूर्णतः पालन नहीं कर सकता। (अध्याय २, उद्धरण सं. १-३ अध्याय ३, ४५, ४६)
- ४) शरीयः के अनुसार दया, मानवता, बंधुत्व, समरसता के बल मुसलमानों के लिये है। गैर-मुसलमानों के लिये और विशेष रूप से बहु-देवता वादियों और मूर्ति पूजकों के लिये उसमें सिवाय घृणा, घृणा और केवल घृणा, अपमान और प्रताड़ना के और कुछ भी नहीं है। इस सबका ध्येय है उन्हें इस्लाम पर विश्वास लाने के लिए मजबूर करना जिससे वह अल्लाह के कोप से बचाये जा सकें। ऐसी प्रताड़ना दयाजनित कार्य है। इस्लाम की घोषणा के पश्चात् बल प्रयोग नहीं है। ऐसी दशा में यदि काफिर तलवार और इस्लाम में से इस्लाम को चुन ले तो यह स्वेच्छा से इस्लाम ग्रहण माना जायेगा। (उद्धरण सं.-१८, १९, २३ से २४ तक)
- ५) अलगाववाद इस्लाम का अनिवार्य सिद्धान्त है। आर्थिक शैक्षिक पिछड़ापन, अथवा असुरक्षा का इस भावना से दूर का भी लेना देना नहीं है।
मुसलमान अल्लाह की पार्टी हैं। सब गैर-मुसलमान शैतान की पार्टी हैं। कुरान के बाहर के सभी स्रोतों से आने वाले सिद्धान्त कुफ़र हैं। इस्लामी संस्कृति के अतिरिक्त सभी पुरानी और नई गैर-सरकारी संस्कृतियाँ जाहिली (मूर्खता पूर्ण) संस्कृतियाँ हैं। धर्मनिष्ठ मुसलमान के लिए इस्लाम से भावात्मक प्रेम ही काफी नहीं है। उसे समस्त गैर-इस्लामी दर्शनों, विचारों, सिद्धान्तों और उनसे सम्बन्धित साहित्य और संस्कृति से घृणा करना भी आवश्यक है। वह देश जहाँ इस्लाम का राज्य नहीं है “दारुल-हर्ब” है। “दारुल-इस्लाम” और “दारुल-हर्ब” में सदैव युद्ध की स्थिति बनी रहती है: जब तक कि सभी देश दारुल इस्लाम न हो जायें। (अध्याय ३ उद्धरण सं. १० से ३५ तक)
- ६) पंथ-निरपेक्षता का बहुधा दोहराया जाने वाला सूत्र “सर्व धर्म समभाव”-इस्लामी शरीयः के नितांत विरुद्ध है (अध्याय ३ उद्धरण सं. ३६ से ४४ तक)

- 9) इस्लाम में मज़हब को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि शरीयः का अंतिम ध्येय ही शरीयः शासन की प्राप्ति और इस्लाम का दूसरे सभी धर्मों पर वर्चस्व प्राप्त करना है। (अध्याय ३ उद्धरण सं. ५८ से ६५ तक और १००)
- ८) जब तक उपर्युक्त दो ध्येयों की प्राप्ति न हो जाय गैर-मुस्लिम राज्य के विरुद्ध युद्ध की स्थिति मानी जाती है। इस काल में समय-समय पर १० वर्ष से कम समय की अस्थाई शांति बनी रह सकती है। किन्तु स्थायी शांति तब ही होती है जब उपरोक्त दोनों ध्येय प्राप्त कर लिये जाय। (अध्याय ३ उद्धरण सं. ६७ से ८७ तक)
- ९) शरीयः शासन में गैर मुस्लिम नागरिक दूसरे दर्जे का नागरिक (जिम्मी) बन कर ही रह सकता है। वह हथियार नहीं रख सकता, मुसलमानों जैसे वस्त्र नहीं पहन सकता, शासन में महत्त्वपूर्ण पद पर नहीं रखा जा सकता, उसे मुसलमानों के ऊपर प्रभुत्व नहीं दिया जा सकता और न शासक के चुनने में मदद दे सकता है। वह गैर-इस्लामी मत को सार्वजनिक रूप में नहीं मना सकता, अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, पुस्तकें अथवा साहित्य नहीं बेच सकता न ही वितरीत कर सकता है। (अध्याय ३ उद्धरण सं. १०५, १०५क, तथा ११७ से १२५ तक)

पाकिस्तान का मुनीर कमीशन

पश्चिमी पाकिस्तान में शुद्ध शरीयः शासन लागू करवाने और अहमदइया मुसलमानों को गैर-मुस्लिम घोषित कराये जाने के लिये भीषण दंगे हुए। अहमदइयों पर भीषण अत्याचार हुए और उनकी मस्जिदों को हानि पहुँचाई गई। पाकिस्तान सरकार ने यह निर्णय करने के लिये कि मुसलमान कौन है कौन नहीं एक कमीशन बिठाया। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति मुनीर थे और सदस्य न्यायमूर्ति कयानी थे।

इस कमीशन के सामने पाकिस्तान के शीर्षस्थ उलेमा की साक्षियाँ हुईं। उनमें मौलाना मौदूदी, मौलाना अमीन अहसान इलाही, मौलाना मोहम्मद कादरी, मियाँ तुफैल मोहम्मद, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, गाज़ी सिराजुद्दीन मुनीर, मौलाना हलीम कासिमी प्रमुख थे।

इन शीर्षस्थ मुस्लिम विद्वानों की साक्षियों में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये। (विशेष अध्ययन के लिये पढ़ें-मुनीर कमीशन की रिपोर्ट अथवा बलजीत राय की पुस्तक “मुस्लिम फंडामेंटलिज़्म इन द इंडियन सब - कॉन्टीनेन्ट” प्रकाशक-बी.एस. पब्लिशर्स, एस.सी.ओ. (टॉप प्लोर) चंडीगढ़। यह सिद्धान्त भारत के लिए भी विशेष महत्त्वपूर्ण हैं।

(१) यदि भारत को हिन्दू राज्य घोषित किया जाय तो उनको कोई आपत्ति नहीं। (२) भारत में यदि मनु के नियमों के अनुसार मुसलमानों से शूद्रों और स्तेच्छों जैसा व्यवहार किया जाय तो अनुचित नहीं होगा। (३) भारत के मुसलमानों को सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिये। हिन्दुओं के अधीन रहकर कोई कार्य नहीं करना चाहिये। (४) भारत पाक युद्ध में भारतीय मुसलमानों का पाकिस्तान के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करना इस्लाम विरुद्ध है। अपितु पाकिस्तान को हर प्रकार सहायता करना उनका कर्तव्य है। (५) यदि भारतीय मुसलमानों को शरीयः पालन सम्भव न रह जाय जिसमें राजनीतिक इस्लाम भी शामिल है तो उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिये। इस्लामी सिद्धान्त के अनुसार पाकिस्तान के लिये इन भारतीय मुसलमानों को खपाना धार्मिक अनिवार्यता है। (६) युद्ध बंदियों को (सीधे-सीधे कल्ल किया जा सकता है अथवा) फिरौती की रकम लेकर छोड़ा जा सकता है अथवा उन्हें जीवन भर गुलाम रखा जा सकता है। (७) शरीयः राज्य में मूर्ति बनाना, संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी, फिल्म और सिनेमा वर्जित हैं।

मुसलमान कौन :-

मुनीर कमीशन ने कहा :

“इस्लाम क्या है? और मुस्लिम कौन है? हमने यह प्रश्न उलेमा से पूछा। हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि हमें इस बात का दुःख है कि उलेमा, जिनका मुख्य कर्तव्य यह है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर एक मत हों, निराशापूर्ण स्थिति तक एक दूसरे के विरोधी विचार रखते हैं।.....

कोई भी दो विद्वान इस बुनियादी मुद्दे पर एक मत नहीं हैं। यदि हम इसकी अपनी कोई व्याख्या करें जैसे कि प्रत्येक आलिम ने किया है और हमारी व्याख्या दूसरे सभी उलेमा की व्याख्या से भिन्न हो तो हम निर्विरोध इस्लाम से बाहर गिन लिये जायेंगे और यदि हम किसी एक विद्वान की व्याख्या स्वीकार कर लें तो हम केवल उस विद्वान की दृष्टि में तो मुस्लिम बने रहेंगे किन्तु शेष सब की व्याख्या के अनुसार काफ़िर होंगे.....इस सब का अन्तिम परिणाम यह है कि न शिया, न सुन्नी, न देवबंदी, न अकलिये हदीस न बरेलवी ही मुसलमान है....”^{११(१३५क)}

हम समझते हैं कि इस खण्ड के अध्ययन के पश्चात् बहुत से भारतीयों द्वारा बहुधा पूछे जाने वाले इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि इस्लाम और शरीयः के प्रति पूर्णतया समर्पित और धर्मनिष्ठ मुसलमान उनके सभी सिद्धान्तों का पालन करते हुये भारत के संविधान द्वारा अपेक्षित अच्छा नागरिक क्यों नहीं बन सकता? धर्मनिष्ठ मुस्लिम शासक को महमूद गज़नवी और औरंगज़ेब ही बनना पड़ेगा, अकबर और काश्मीर का जुनैल आबदीन नहीं।

प्रो. डैनियल पाइप्स का कहना है कि : “भारत में मुसलमानों में शरीयः कानून लोक प्रिय इसलिये है कि वह उनके दलगाव का प्रतीक समझा जाता है। विडम्बना यह है कि इस्लामी पाकिस्तान ने तो १९६१ में शरीयः कानून का पश्चिमी-करण कर लिया किन्तु धर्मनिरपेक्ष भारत ने उसके अंग्रेजी साम्राज्य कालीन रूप को ज्यों का त्यों बनाये रखा। सम्भावना यही है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा क्योंकि शायद ही कोई राजनीतिज्ञ मुस्लिम मतदाताओं को अप्रसन्न करने की हिम्मत करेगा।”^{११(१३५ख)}

“हिन्दू आक्रामकता एक नई घटना है। मुस्लिम आक्रामकता मुसलमान का जन्म जात स्वभाव है। हिन्दू आक्रामकता की तुलना में वह कहीं अधिक पुरातन है। ऐसा नहीं है कि समय के साथ हिन्दू आक्रामकता बढ़ेगी नहीं अथवा मुस्लिम आक्रामकता से भी आगे नहीं निकल जायगी। किन्तु आज की स्थिति यह है कि मुस्लिम आक्रामकता हिन्दू आक्रामकता से बहुत आगे है।”

(डॉ.बी.आर.अंबेडकर : पाकिस्तान पृ. २३६)

“मेरा निजी अनुभव भी इसी प्रकार विचार की पुष्टि करता है कि मुसलमान स्वभाव से आक्रामक होता है और हिन्दू कायर.....”

(महात्मा गांधी :यंग इंडिया १९२४)

“मुसलमान सदैव आक्रामक कौम रही है। हिन्दू उतना आक्रामक नहीं होता। इसका इलाज है कि हिन्दू आक्रामक बने। मुसलमान के आक्रामक चरित्र के प्रति हमारे मन में स्वाभाविक आदर है.....हिन्दुओं को इससे पाठ सीखना चाहिये..... जो हम सीख चुके हैं। जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते वह सदैव कष्ट भोगते हैं।”

(कर्नल वेजबुड ब्रिटिश पार्लियामेंट में)

अध्याय ४

अंतिम भाग : संपूर्ण भारत के इस्लामीकरण की घोषणा।

ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम्
भवन्ति माया विषु ये न मायिनः
प्रविश्व हि घ्यन्ति शठास्तथा विधान्
असं वृतांगान्निशिता इवेषवः-

भावार्थ

वे मूर्ख लोग जो अपने धूर्त शत्रुओं की चालों का निराकरण करने में कुटिल उपायों के प्रयोग से संकोच करते हैं नष्ट हो जाते हैं। धूर्त लोग अपने असावधान शत्रु के कोमल अंगों पर प्रहार कर उसे इसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे तीक्ष्ण बाण अंग के उस भाग में घुस जाते हैं जो कवच से नहीं ढका है।

पिछले पृष्ठों के पढ़ने से पाठकों को स्पष्ट हो गया होगा कि इस्लाम मज़हब का ध्येय ही है गैर-मुस्लिम संसार को इस्लामी राज्य में लाना और सभी दूसरे धर्मों पर जिनको वह बातिल (झूठा) करार देता है, इस्लाम को वर्चस्व प्राप्त कराना।

इस्लाम मानवता को अल्लाह की पार्टी और शैतान की पार्टी में बांटता है देखें अध्याय-३ के उद्धरण २६, १०, ११ और १६) तमाम संस्कृतियों को इस्लामी और जहीलिया (मूर्खतापूर्ण) संस्कृतियों में (देखें उद्धरण १२, १४क, ६१) और तमाम देशों को दारुल इस्लाम और दारुल-हर्ब में विभाजित करता है। गैर इस्लामी मानव समुदाय, संस्कृति और देशों (दारुल हर्ब) के लिए घृणा उसका स्वाभाविक रूप है (देखें उद्धरण १८, १६, २०क, २१, २२-३६)। दारुल-इस्लाम (मुस्लिम देश) दारुल-हर्ब (गैर-मुस्लिम देश) को दारुल इस्लाम बनाने के लिए कृतसंकल्प होता है और इसके लिये निरंतर प्रयास करता रहता है। इस प्रयास को जिसमें बल प्रयोग और सशस्त्र क्रान्ति भी शामिल है जिहाद कहा जाता है (देखें उद्धरण ६६-८१)। बल प्रयोग और सशस्त्र क्रान्ति तभी होती है जब अवसर अनुकूल हों (देखें उद्धरण ७३, ७४, ७५)

राजनीति इस्लाम का अभिन्न अंग है (देखें उद्धरण ५८-६५)। गैर-मुसलमानों के साथ मुसलमानों की संयुक्त राष्ट्रीयता की कल्पना इस्लाम विरुद्ध है। वह एक अस्थायी स्थिति के रूप उसी समय तक स्वीकार हो सकती है जब तक कि सभी गैर-मुसलमानों को या तो इस्लाम में प्रविष्ट कर लिया जाय अथवा कत्ल कर दिया जाय (देखें उद्धरण ४५-५७)

उपरोक्त उद्धरण किसी गुप्त दस्तावेज़ के अंश नहीं है। यह खुले वक्तव्यों, लेखों और पुस्तकों पर आधारित हैं। हिन्दू-मुसलमानों के १२०० वर्ष के सम्बन्धों और मुसलमानों के ८०० वर्ष के शासन को भोगने के पश्चात् भी हिन्दू समाज इन तथ्यों से अपरिचित रहा।

पाकिस्तान के निर्माण से तो स्थिति स्पष्ट हो ही जानी चाहिए थी किन्तु इसके पश्चात् भी हिन्दू नेता नहीं चेतते। यह संसार के आठवें आश्चर्य से कम नहीं है।

इस अनभिज्ञता, इस उपेक्षा, इन तथ्यों से आँख कान मूंदने की प्रवृत्ति को किस प्रकार क्षमा किया जा सकता है?

हमारा नेतृत्व आज भी यह कहने में संकोच करता है कि काश्मीर राजनीतिक समस्या नहीं इस्लाम के सहज-स्वभाव अलगाववाद की समस्या है। मज़हबी समस्या है। पंजाब आतंकवाद में पाकिस्तानी संलग्नता, बांगलादेश से आती बौद्ध शरणार्थियों और मुस्लिम मुसपैठियों की भीड़ के कारण राजनीतिक नहीं मज़हबी हैं। आज एक भी राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने इस्लाम के हिन्दू विरोधी राजनीतिक दर्शन का गहन अध्ययन किया हो और उस पर पार्लियामेंट में अथवा प्रेस में बहस का सूत्रपात किया हो अथवा करने को तैयार हो। मुस्लिम नेतृत्व ने पूरे भारत के इस्लामीकरण की घोषणा बार-बार स्पष्ट शब्दों में खुले मंचों से की है।

अगस्त सन् १९४६ में भारत विभाजन से ठीक एक वर्ष पहले बंगाल के हत्यारे एच.एस. सुहरावर्ती ने एक प्रश्न पूछा था “क्या पाकिस्तान हमारी अंतिम मांग है?”

फिर सुहरावती ने स्वयं ही कृटिलता से उत्तर दिया “मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा किन्तु यह कहूंगा कि पाकिस्तान हमारी नवीनतम माँग है।”^(१)

सुहरावती ने मोहम्मद अली की तरह मुसलमानों की स्वाभाविक आक्रामक राजनीतिक सूझबूझ और स्पष्टवादिता का परिचय दिया है। स्पष्ट है कि उनकी अंतिम माँग भारत में शरीयः शासन लागू करना है। यह बात तीसरे अध्याय में उद्धरण संख्या १५, १८, १००-१०३ इत्यादि से स्पष्ट की जा चुकी है।

आइये देखें, मुस्लिम नेतृत्व इस विषय पर अपने विचार किस स्पष्टवादिता और निष्ठा से कहता रहा है।

हम सर्वप्रथम कांग्रेस के दो मूर्धन्य नेताओं और उसके समय-समय पर रहे अध्यक्षों से प्रारम्भ करते हैं।

हकीम अजमल खाँ ने जो सन् १९२१ में कांग्रेस और खिलाफत कॉन्फ्रेंस दोनों के अध्यक्ष थे अहमदाबाद में खिलाफत कॉन्फ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद से बोलते हुये कहा था। “उक ओर भारत और दूसरी ओर एशिया माइनर भावी इस्लामी संघ रूपी जंजीर की दो छोर कड़ियाँ हैं जो धीरे-धीरे किन्तु निश्चय ही बीच के सभी देशों को एक विशाल संघ में जोड़ने जा रही हैं।”^(२)

मौलाना अबुल कलाम आजाद भी पूरे भारत के इस्लामीकरण की जोरदार वकालत करते हैं: “..... भारत जैसे देश को जो एक बार मुसलमानों के शासन में रह चुका है कभी भी त्यागा नहीं जा सकता और प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि उस पर खोई हुई मुस्लिम सत्ता को फिर प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करे।”^(३)

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों कांग्रेस अध्यक्ष हकीम अजमल खाँ और आजाद अंग्रेजों से स्वतन्त्रता प्राप्त करने की बात इसलिये करते हैं कि भारत में फिर से मुस्लिम सत्ता को स्थापित किया जाय।

एफ.के. दुरानी ने इसी आकांक्षा की पुष्टि करते हुए लिखा “भारत-सम्पूर्ण भारत हमारी पैतृक सम्पत्ति है और उसका फिर से इस्लाम के लिये विजय करना नितांत आवश्यक है।”^(४)

उस समय के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इन आकांक्षाओं का खुले रूप में प्रचार किया जा रहा था। लाहौर से निकलने वाले “मुस्लिम आउटलुक” ने अपने सितम्बर सन् १९२५ के अंक में लिखा था।

“लेजिस्लेटिव असेम्बली में प्रस्तुत की गई माँगों को हमने इसलिये स्वीकार कर लिया कि जब ब्रिटिश, भारतीयों को आत्म-समर्पण करेंगे तो स्वाभाविक है कि मुसलमान उनके स्थान पर सत्ता हस्तगत कर लेंगे यदि आवश्यक हुआ तो अफगानों की सहायता से। यद्यपि हम जानते हैं कि इससे पहले कि मुसलमान भी ईमानदारी से घोषणा कर सकें कि वह स्वतन्त्रता के इच्छुक हैं अथवा उसके योग्य भी हैं, तंजीम (संगठन) का काफी कार्य करने को शेष है। किन्तु हम यह भी समझते हैं कि युद्ध से अधिक शिक्षाप्रद कुछ भी नहीं है और हिन्दुओं से स्वस्थ युद्ध के फलस्वरूप दोनों पक्षों को लाभ होगा यदि युद्ध के उपरान्त कुछ हिन्दू शेष रह गये।.....

“दूसरे शब्दों में हमें हिन्दू राजनीतिज्ञों को अपने हथियार के रूप में प्रयोग करने में और साथ ही उन्हें इस सच्चाई से स्पष्ट रूप से अवगत करा देने में कोई आपत्ति नहीं कि जब अगली बार भारत पर मुस्लिम शासन करेंगे, जिसकी हमें आशा है, तो हम आश्वस्त हैं, कि वह सुल्तान महमूद गज़नी ओर औरंगज़ेब द्वारा अधूरे छूटे हुये कार्य को पूरा करा देंगे।”^(५) अर्थात् यहाँ से हिन्दुओं का सफाया कर देंगे।

लाहौर का ‘मुस्लिम आउटलुक’ सर फजले हसन की पत्रिका थी और यह तर्क दिया जा सकता है कि मुस्लिम कांग्रेस जनों की नीति उस नीति से बिल्कुल उल्टी थी जो ऊपर के उद्धरण में वर्णित है। इस भ्रम के पूर्णतः निराकरण के लिये हम १८-१०-१९२५ की ‘पीपुल’ नामक पत्रिका के अंश उद्धृत करते हैं जिससे पाठकों का यह स्पष्ट हो जाय कि ‘मुस्लिम आउटलुक और कांग्रेस के एक विशिष्ट मुस्लिम नेता डॉ. किचलू के विचारों में कितना अन्तर है? “पीपुल” लिखता है : लाहौर के “मुस्लिम आउटलुक” (सर फजलेहसन-कट्टरवादी मुस्लिम नेता) और अमृतसर के “तंजीम” (डॉ. किचलू-एक विख्यात कांग्रेसी मुस्लिम नेता की पत्रिका) में आजकल इस प्रश्न पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है कि ब्रिटिश शासन के पश्चात् भारत में मुस्लिम राज्य होगा अथवा इस्लामी राज्य।

नोट-कोई भी राज्य जहाँ शासन मुसलमान के हाथ में हो “मुस्लिम राज्य कहलाता है किन्तु वह “इस्लामी राज्य” तभी कहला सकता है जब मुस्लिम शासक उस राज्य में पूर्णतः शरीयः कानून लागू करता हो। इस समय मुस्लिम देशों में केवल सऊदी अरेबिया इस्लामी राज्य कहा जा सकता है। शेष मुस्लिम राज्य हैं।

“मुस्लिम आउटलुक” का स्पष्ट मत है कि अंग्रेज या तो राजी से ही भारत में मुस्लिम राज्य बन जाने देंगे अन्यथा उनके यहाँ से जाते ही यहाँ के मुसलमान अफगानों के सहयोग से तलवार के बल पर इसे प्राप्त कर लेंगे। “तंज़ीम” का कहना यह है कि यद्यपि “मुस्लिम राज्य” उनका ध्येय है किन्तु भारत भी विशेष परिस्थिति के कारण हिन्दुओं के साझे में “इस्लामी राज्य” भी उन्हें स्वीकार होगा। “आउटलुक” इसका उत्तर यह देता है कि हिन्दुओं के साझे में “इस्लामी राज्य” सम्भव नहीं है क्योंकि हिन्दुओं से इस्लाम के अनुसार आचरण करने की आशा ही नहीं की जा सकती।”^(६)

वास्तव में डॉ. किचलू ने तो सन! १९२५ में ही लाहौर में एक जनसभा में बोलते हुए हिन्दुओं को कठोर चेतावनी दे डाली थी:

“सुनो! मेरे प्यारे हिन्दू भाईओं सुनो! ध्यान देकर सुनो! तुम यदि हमारी तंज़ीम में रोड़ा अटकाओगे। और हमें हमारे अधिकार नहीं दोगे तो हम अफगानो अथवा किसी दूसरे मुस्लिम देश की सहायता से देश में अपना राज्य स्थापित कर लेंगे।”^(७)

उपर्युक्त वक्तव्यों से किसी को इसमें किंचित भी संदेह नहीं रह जाना चाहिये था कि जब गांधीजी और उनके हिन्दू शिष्य पराधीन भारत को ब्रिटिश पंजे से मुक्त कराकर एक स्वतन्त्र, धर्म-निरपेक्ष जनतन्त्र के खयाली पुलाव पका रहे थे मुस्लिम नेतृत्व भले ही वह कांग्रेस में हो अथवा मुस्लिम लीग में भारत में महमूद गज़नी और औरंगज़ेब की तर्ज का मुस्लिम राज्य पुनः स्थापित करने के लिए ने केवल दृढ़ संकल्प था अपितु वह अपना हर पग बहुत सोच समझकर नियोजित ढंग से उसी दिशा में बढ़ाते जा रहा था। उसके लिए वह भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था समाप्त करना अत्यावश्यक पहला चरण मानते थे। उनके सभी क्रियाकलाप इस ध्येय की प्राप्ति के लिए तर्क संगत और दूरदर्शी थे : बम्बई प्रान्त के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग मुस्लिम बहुल प्रान्त सिन्ध की स्थापना, मुस्लिम बहुल बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमान्त क्षेत्र को केन्द्रीय प्रशासन से निकाल कर अलग प्रान्त बनाना, जिससे वहाँ मुस्लिम बहुल सरकारें बन सकें, बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को काटकर अलग पूर्वी बंगाल प्रान्त की स्थापना, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मुस्लिम लीग द्वारा माँग और कांग्रेस के मुस्लिम नेतृत्व द्वारा सहसा उसको स्वीकार करने के लिए कांग्रेस पर दबाव, हरिजनों की योजनायें, उन योजनाओं के निष्फल करने के हिन्दू संगठन और शुद्धि आन्दोलन का कड़ा विरोध और लेखराम, श्रद्धानन्द आदि हिन्दू नेताओं की हत्या यह सब पग एक-एक कर उसी दिशा में उठायें गये। फलस्वरूप एशिया माइनर से भारत तक की चिर-अपेक्षित मुस्लिम संघ शृंखला की दो छोर की कड़िया धीरे-धीरे किन्तु निश्चित तौर पर १५ अगस्त १९४७ को ३,६०,००० वर्ग मील (पाकिस्तान तथा बंगलादेश का क्षेत्रफल) पास आ गई जैसा कि कांग्रेस-अध्यक्ष हकीम अजमल खॉं ने केवल २६ वर्ष पहले भविष्यवाणी की थी। बचे हुये कार्य को सम्पन्न करने के प्रयास जारी हैं। पिछले ४५ वर्ष के हालात से उन्हें लगने लगा है कि मंज़िल दूर नहीं है।

मुस्लिम नेतृत्व के मन में कोई मति भ्रम नहीं था। पाकिस्तान की माँग करने वाले और उसका विरोध करने वाले दोनों ही अंग्रेजों से सत्ता छीनना सम्पूर्ण भारत के इस्लामीकरण के मार्ग में केवल एक पड़ाव मानते थे मंज़िल नहीं। एफ.के. दुरानी ने अपनी पुस्तक “मीनिंग ऑफ पाकिस्तान” में इसकी पुष्टि की है:

“पाकिस्तान का निर्माण इसलिए महत्वपूर्ण था कि उसको शिविर ;ठैमद्ध बनाकर शेष भारत का इस्लामीकरण किया जाय।”^(८)

पंजाब और काश्मीर में हिंसक आतंकवादियों की सहायता हिन्दुओं का सामूहिक योजनाबद्ध धर्मांतरण, अधिक बच्चे पैदा करना, सीमापार से मुस्लिम घुसपैठ, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक कट्टरवाद को फैलाने के लिये सहज्रों मदरसे मकतबों की स्थापना, पुरानी ध्वस्त मस्जिदों, मकबरों का पुनर्निर्माण, बढ़ती आक्रामकता, प्रोपगैंडा साहित्य पर करोड़ों रुपये का व्यय इत्यादि, उसी योजना के दूसरे चरण हैं। भारत में पता नहीं कितनी संस्थायें और व्यक्ति पेट्रो डालरों में बिक कर इस योजना में सहयोग कर रहे हैं।

मौदूदी का कहना है कि “मुस्लिम भी भारत की स्वतन्त्रता के उतने ही इच्छुक थे जितने कि दूसरे लोग। किन्तु वह इसको एक साधन, एक पड़ाव मानते थे ध्येय (मंज़िल) नहीं। उनका ध्येय एक ऐसे राज्य की स्थापना था जिसमें मुसलमानों को विदेश अथवा अपने ही देश के ग़ैर मुस्लिमों की प्रजा बनकर रहना न पड़े। शासन दारुल-इस्लाम (शरीयः शासन) की कल्पना के, जितना भी सम्भव हो, निकट हो। मुस्लिम, भारत सरकार में,

भारतीय होने के नाते नहीं, मुस्लिम की हैसियत से भागीदार हों। शर्त यह है कि उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा को संगठित करने का अधिकार हो। इस्लामी धार्मिक और सामाजिक नियमों के पालन करने की स्वतन्त्रता हो और गैर-इस्लामी (हिन्दू) रीति रिवाजों को उन्मूलन करने की भी। उनसे अपने सहधर्मियों के विरुद्ध युद्ध करने को न कहा जाये।”^(६)

हामिद दलवाई ठीक कहते हैं। “आज भी भारत के मुसलमानों और पाकिस्तान में भी प्रभावशाली गुट हैं जिनकी अन्तिम माँग पूरे भारत का इस्लाम में धर्मान्तरण है। उनको राष्ट्रीय धारा में लाने के लिये सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि उन का यह शानदार सपना भंग हो।”^(१०)

कहा जाता है कि जमाते-उलेमा के राष्ट्रीय मुसलमानों के विचार पाकिस्तान और पैन इस्लामिज्म के विरुद्ध थे। किन्तु यी नितांत भ्रतोत्पादक है।

अपने सनफ १९४० के अध्यक्षीय भाषण में इस संस्था के अध्यक्ष मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था।

“यदि इसका (पाकिस्तान का) ध्येय मुस्लिम बहुल प्रान्तों में पैगम्बरके शासन जैसा मुस्लिम शासन स्थापित करना है तो माशे अल्लाह! यह प्रशंसनीय योजना है। किसी भी मुसलमान द्वारा इसका तनिक भी विरोध नहीं किया जा सकता। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में इसके सफल होने की सम्भावना की कोई तनिक भी आशा नहीं कर सकता।”^(११) अर्थात् पाकिस्तान का निर्माण उनकी दृष्टि में प्रशंसनीय होते हुये भी परिस्थिति वश सम्भव नहीं था।

सन् १९४२ के अपने अध्यक्षीय भाषण में वह अपने दूसरे समान विचार वाले मुसलमानों द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम में कांग्रेस का साथ देने के कारणों को बिल्कुल ही स्पष्ट कर देते हैं: ‘अत्यावश्यक बात यह है कि इस्लामी शासन को मज़बूती से स्थापित किया जाय। जमात-उलेमा ने सदैव इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए परिश्रम किया है। किन्तु शोक! हमारे वास्तविक ध्येय की प्राप्ति सम्भव न हो सकी बस.... जरूरी प्रतीत हुआ कि आह्वानदल बलिया लैन (दो मुसीबतों में से छोटी मुसीबत) को अख़्तियार किया जाय। इसलिए जमात ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में हिन्दुओं का सहयोग किया। यद्यपि इस प्रकार से प्राप्त स्वतन्त्रता द्वारा “इस्लामी राज्य की स्थापना” का हमारा उद्देश्य तो पूरा न हो सकेगा किन्तु इसके द्वारा बहुत सी कठिनाइयों और कठिन रुकावटों के दूर हो जाने से हमें अपना अन्तिम ध्येय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा”^(१२)

गांधी नेहरु के भारत तुम धन्य हो-

देश विभाजन के पश्चात् भारत में इस्लामी राज्य स्थापित करने की उनकी कामना और भी बलवती हो गई। विभाजन से पहले पत्र संख्या ३३ में मौलाना हुसैन अहमद मदनी अध्यक्ष जमातुल उलेमा तथा कुलपति देवबंद मदरसा ने लिखा था “हिन्दुस्तान दारुल हर्ब है। वह उस वक्त तक दारुल हर्ब रहेगा, जब तक कि इस देश में कुफ्र को गल्वा (वर्चस्व) हासिल रहेगा।” पत्र संख्या ६४ दिनांक १ नवम्बर १९५० को विभाजन के पश्चात् उन्होंने फिर लिखा “हिन्दुस्तान, जब से इकतदारे इस्लाम (इस्लामी शासन) खत्म हुआ तब से ही दारुल हर्ब है।”^(१३)

“जब सल्तनत हासिल न हो अहाद (मुसलमानों) का फरीज़ा सिर्फ यह होगा कि अपनी ताकत के अनुसार इसकी जद्दो जहद करें कि इस्लामी हुकूमत कायम हो।”^(१४)

क्या संसार में कोई ऐसा दूसरा स्वतन्त्र देश होगा जहाँ उसका नागरिक उसे शत्रु देश बताकर, उसी की भूमि पर बैठकर, उसी की संवैधानिक सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते रहे, एक वर्ग को युद्ध के लिये उकसाता रहे और संविधान का विरोध करते हुये शासन का विशेष कृपापात्र भी बना रहे। गांधी नेहरु के भारत तुम धन्य हो।

विभाजन उपरान्त भारत में राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की सिद्धान्तहीन दौड़ में मुस्लिम वोटों की शक्ति और अरब देशों से पेट्रोडालर्स की विशाल सहायता ने मुसलमानों को शाह वलीउल्लाह की उस भविष्यवाणी की याद दिला दी, जिसमें कहा गया है कि “सम्भव है भारत में काफिरों का राज्य हो जाये। किन्तु यदि ऐसा हो भी गया तो उसके काफिर शासक स्वयं ही भारत में इस्लामी राज्य ले आवेंगे (स्वयं इस्लाम स्वीकार कर लेंगे)।”

इसलिए मौदूदी और मदनी जैसे परस्पर विरोधी कैम्पों के लोग पाकिस्तान का विरोध करते मालूम होते थे। उनका वास्तविक ध्येय पूरे भारत का इस्लामीकरण था। पाकिस्तान का सैद्धांतिक विरोध नहीं। यह पाकिस्तान बनने पर वहाँ चले जाने के पश्चात् मौदूदी के वक्तव्य से बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा था :

“वास्तविकता यह है कि यदि हमें एक गज़ भूमि भी ऐसी मिलती हो जहाँ अल्लाह की हुकूमत चलती हो तो हमारे लिए वह भूमि तमाम भूमि से पवित्र होगी। हम तो पूरे भारत को ही इस्लाम की भूमि बनाने का कृत संकल्प थे। फिर इस्लाम के नाम पर हम किसी दूसरे देश के निर्माण का विरोध कैसे कर सकते थे।”⁽⁹²⁾

सन् १९४५ में दिल्ली में हुए जमायत-उल-उलमाये-हिन्द के अधिवेशन में अध्यक्ष पद से बोलते हुए मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने स्पष्ट कर दिया था “इस्लाम को तबलीग (धर्म परिवर्तन प्रोग्राम) के लिए गैर मुस्लिम ही तो हमारी इस गौरवशाली क्रिया के कच्चे माल के सर्वोत्तम क्षेत्र हैं।.... हम इस्लाम के मिशनरी कार्य को किसी विशेष क्षेत्र (पाकिस्तान) में सीमित करने के विरुद्ध हैं। इस देश में (पूरे भारत में) अपने पूर्वजों द्वारा किये गये जद्दोजहद और कुर्बानियों के कारण हमारा इस देश पर एक कोने से दूसरे कोने तक अधिकार है। इस समय हमारा फर्ज़ है कि उस अधिकार को न केवल बनाये रखें अपितु उसके क्षेत्र को विस्तृत करें।”⁽⁹³⁾

एक दूसरे स्थान पर उन्होंने औरंगज़ेब की वकालत यह कहकर की थी कि “यदि दारा विजयी हो गया होता तो भारत में मुसलमान तो रहते किन्तु इस्लाम न रहता। औरंगज़ेब के विजयी हो जाने से यह दोनों ही भारत में सुरक्षित रह गये।”⁽⁹⁴⁾

दारा एक सुशिक्षित उदारवादी किन्तु पक्के मुसलमान थे। मदनी जैसे कट्टरपंथी लोगों की दृष्टि में उनका कुसूर यह था कि उन्होंने उपनिषदों इत्यादि का भाष्य कर उनको कुरान के समकक्ष ईश्वरीय ज्ञान कह दिया था। मदनी की उपरोक्त व्याख्या से यह पता लग जाता है कि यह तथाकथित राष्ट्रीय मुसलमान भारत में किस प्रकार का राज्य स्थापित करना चाहते थे।

मौलाना अबुल-कलाम आज़ाद पाकिस्तान का निर्माण क्यों मुसलमानों के हित में नहीं समझते थे इसके कारण भी लगभग वही थे जो मदनी के थे। अंतर केवल शब्दों का था :

“एक मुसलमान होने के नाते मैं एक क्षण को भी समस्त भारत के राजनीतिक और आर्थिक जीवन के निर्माण में अपनी भागीदारी और अपनी मित्कियत छोड़ने के लिये तैयार नहीं हूँ।”⁽⁹⁵⁾

“भारत दो भागों में विभक्त हो जायेगा। एक में मुस्लिम अल्पसंख्यक होंगे, दूसरे में हिन्दू। भारत में ३१/२ करोड़ मुसलमान रह जायेंगे, जो पूरी भूमि पर अत्यन्त अल्पसंख्या में बिखरे होंगे।.... वह हिन्दू बाहुल्य राज्यों में आज की स्थिति से निर्बल स्थिति में होंगे। वह यहाँ सहस्रों वर्षों से रहते चले आये हैं और उन्होंने यहाँ मुस्लिम संस्कृति और सभ्यता के विख्यात केन्द्रों का निर्माण किया है।.... वह एक “शुद्ध हिन्दू राज्य” की दया पर छोड़ दिये जायेंगे।”⁽⁹⁶⁾ भारत में मुस्लिम शासन पुनः स्थापित करने के इरादों की भिन्न-भिन्न मुस्लिम मंचों से इतनी बार और इतनी स्पष्ट घोषणा की जाती रही है कि राष्ट्रीय कहे जाने वाले और अपने को धर्म-निरपेक्ष कहने में गर्व करने वाले हिन्दू नेताओं द्वारा उसकी उपेक्षा करना जाति द्रोह और देश द्रोह से कम नहीं है।

भारत में मुसलमान सन् १९५१ में २.५ करोड़ थे जो अब १२.० करोड़ है, यद्यपि मुसलमान उनको १५ करोड़ या २० करोड़ बताते हैं। इसलिए भारत से कुफ़ को मिटाने के प्रयत्न जारी हैं। यह तब तक जारी रहेंगे जब तक सारे देश में इस्लाम का वर्चस्व और खुदा का राज्य स्थापित न हो जाये।

जहाँ मौदूदी और आज़ाद पूरे भारत को इस्लामी देश बनाना चाहते थे पाकिस्तान बन जाने पर कथित धर्म-निरपेक्ष हिन्दू नेताओं के विपरीत उन्होंने इस सत्यता को स्वीकार किया कि शेष भारत हिन्दू राज्य बन गया है। पाकिस्तान जाते समय मौदूदी ने कहा “अब यह यकीनी जान पड़ता है कि मुल्क दो हिस्सों में बँट जायेगा। एक हिस्सा मुसलमानों को दे दिया जायेगा..... उस भाग में जन साधारण को इस बात के पक्ष में संगठित करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का संविधान इस्लामी कानूनों पर आधारित हो। दूसरे हिस्से में हमारा अल्पमत होगा और आप (हिन्दू) बहुमत में होंगे। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध, गुरुनानक और दूसरे सन्त महात्माओं की जीवनि और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करें, कृपा करके वेदों, पुराणों और दूसरे ग्रन्थों को पढ़ें। अगर आपको इनसे कोई दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपना संविधान इसी मार्गदर्शन के आधार पर बनाइये।”⁽⁹⁷⁾

बाद में पाकिस्तान के मुनीर कमीशन के सामने भी उन्होंने विभाजन उपरान्त भारत का हिन्दू राज्य होना तर्क संगत बताया। आज़ाद भी उपरोक्त वक्तव्य द्वारा “शुद्ध हिन्दू राज्य” को स्वीकारते हैं। यदि नहीं स्वीकारते तो हिन्दू ही नहीं स्वीकारते। विनाश काले विपरीत बुद्धि।

राष्ट्रीय मुसलमान

“(अलीगढ़ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित) इस पूरे विवाद में यह अनुभव कष्टदायक भी था और ज्ञान वर्धक भी कि तथा-कथित “राष्ट्रीय मुसलमान” बेनकाब हो गये थे। मेरा सदा से यह विश्वास रहा कि कांग्रेस मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिये उन मुसलमानों का समर्थन करती रही है जो हृदय से घोर साम्प्रदायिक थे और उन्हें भोली जनता के सामने राष्ट्रीय मुसलमानों के रूप में पेश करती है”,.....

(एम.सी. छागला : रोजेज इन डिसेम्बर पृ.-३७६-८०)

परिशिष्ट-१

१४ सितम्बर १९८१ को कन्सल्टेटिव कमेटी की मीटिंग के लिए गुह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई टिप्पणी के कुछ अंश

जमाते-इस्लामी-हिन्द, इण्डियन-मुस्लिमलीग और दूसरे धर्म परिवर्तन के संगठन जैसे इशातुल-इस्लाम सभा और तबलीगी-जमात हरिजनों के धर्म परिवर्तन कराने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वह यह प्रचार करते हैं कि मुसलमान होकर ही उन्हें सांसारिक प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त हो सकती है।

विदेशों से आने वाले धर्म परिवर्तन में लिप्त संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा भारत के दौरे पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग दुगने हो गये हैं।..... खाड़ी देशों से मुस्लिम संस्थाओं, मस्जिदों और दूसरे संगठनों के लिए जो धन आ रहा है, वह सदैव विधि पूर्वक नहीं आ रहा है।

इस बात के पर्याप्त संकेत है कि जमात-इस्लामी और दूसरे पुनरुत्थानवादी संगठनों द्वारा हरिजनों के धर्मान्तरण में जो उत्साह और तेज़ी आयी है, उसका एक कारण पिछले दो-तीन वर्षों में इन संगठनों को मुस्लिम देशों और पेन-इस्लामिक संगठनों से मिला विदेशी धन है।

इन क्षेत्रों के धनाढ्य मुसलमान, जिनके खाड़ी देशों और मुस्लिम दक्षिणी पूर्वी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध हैं, इन संगठनों की सहायता कर रहे हैं।

कराँची स्थित मौतमार-अल-आलम-अल-इस्लामी (विश्व मुस्लिम कांग्रेस) ने १९८१ के मीनाक्षीपुरम् और उसके आस-पास के हरिजनों के धर्म परिवर्तन का श्रेय लिया है।

उसने कहा है कि १९८१ का उनका लक्ष्य ५०,००० हरिजनों का धर्मान्तरण करना था। उनमें से १७०० का धर्म परिवर्तन वह कर चुके हैं। और १९८२ के अंत तक यह संख्या २,००,००० तक पहुँच जायेगी।

सऊदी अरब द्वारा संचालित लन्दन स्थित इस्लामिक कल्चर सेंटर ने १२ करोड़ हरिजनों को मुसलमान बनाने की योजना बनायी है जिसका खर्चा पेट्रोल उत्पादक खाड़ी देश तथा अन्य मुस्लिम देश वहन करेंगे। इस योजना का उद्देश्य भारत की मुस्लिम जनसंख्या को अगले १० वर्षों में ८ करोड़ से बढ़ाकर २० करोड़ है।.....

इस धर्मान्तरण की लहर को गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। धर्मान्तरण की लहर ने हिन्दुओं के मन में यह उत्पन्न कर दिया है कि यह धर्मान्तरण नियोजित रूप से हिन्दू बहुल समाज की संख्या को घटाकर उन्हें अल्पसंख्यक बनाने का षडयंत्र है। यदि यह भावना बनी रही तो इसके कारण सांप्रदायिक तनाव पैदा होने के परिणाम गम्भीर होंगे। इस स्थिति से निपटने के लिये संगठित और दृढ़ निश्चयी पग उठाने की आवश्यकता है जिससे साम्प्रदायिक वातावरण खराब होने के कारण दंगा फिसाद न हो।^(२५)

प्रकट है कि शासन की चिंता का कारण बल और छल द्वारा भोले और दरिद्र लोगों के धर्मान्तरण नहीं हैं अपितु केवल यह है कि इसके कारण दंगा फिसाद न हो जाय।

परिशिष्ट-२

राज्य में धर्मान्तरण के विषय पर तमिलनाडु सरकार के विचार। धर्मान्तरण के पीछे खाड़ी देशों में नौकरियों का लालच।

“तमिलनाडु के रामनाथपुरम् जनपद में पिछले दो वर्ष में ४००० हरिजनों के धर्म परिवर्तन के पीछे कौन है, जिसके कारण और भी अधिक हरिजन धर्म परिवर्तन की धमकी दे रहे हैं? पेट्रो डालर का लालच, खाड़ी देशों में नौकरियों की चकाचौंध अथवा इस्लाम के प्रति प्रेम?

मदुरई रेंज के डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस श्री जी.वीर राघवन के अनुसार इन धर्मान्तरणों की प्रेरक खाड़ी देशों की नौकरियाँ हैं। उनका कहना है कि हमारे पास यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इसमें आगे भी छानबीन हो रही है।.....

“मुस्लिम नेताओं का कहना है कि नव-मुस्लिमों के बच्चों को उत्तरी अरकाट जनपद में बेलौर के निकट मुस्लिम स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया है जहाँ वह इस्लाम का ज्ञान प्राप्त करेंगे और वहाँ से लौटकर अपने-अपने माता-पिता को भी उसमें शिक्षित करेंगे।.....”

“हरिजन नेताओं का कहना है कि धर्मान्तरित हरिजन (नवमुस्लिम) पूरे जनपद में फैल गये हैं। वह दूसरे हरिजनों को धर्मान्तरण के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि सामूहिक धर्मान्तरणों की प्रतिक्रिया होती है उनसे कहा जा रहा है कि चुपचाप दो-दो चार-चार की संख्या में धर्म परिवर्तन करें।^(२६)

मुस्लिम देशों की अथाह धन की सहायता से और उन देशों में नौकरियों का लालच देकर धर्मान्तरण द्वारा हिन्दू बाहुल्य को घटा कर भारत को मुस्लिम बाहुल्य देश बनाना, एक सुनियोजित योजना है। अभी तक के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो गई होगी। कुवैत और सऊदी अरब जैसे हमारे तथाकथित मित्र अरब देश उन गतिविधियों में लिप्त हैं। फिर वह हिन्दू बाहुल्य भारत के मित्र कैसे हैं? प्रत्यक्ष रूप से लोभ और बल प्रयोग द्वारा धर्मान्तरण मुसलमान और ईसाइ दोनों ही वर्जित बताते हैं। फिर त्यागी बिल को जो इसी प्रकार के धर्मान्तरण पर रोक लगाता या क्यों न पुनर्जीवित किया जाय?

सऊदी अरब तथा दूसरे कुछ मुस्लिम देशों में इस्लाम के अतिरिक्त दूसरे धर्म की पुस्तकें रखना भी जुर्म है। भारत में यदि इस पर रोक न लगे तो हिन्दुओं के धर्मान्तरण पर तो रोक लग ही सकती है।

कहा जा सकता है कि यह देश हमें पेट्रोल देते हैं। किन्तु पेट्रोल का वह भरपूर पैसा लेते हैं। फिर भी क्या हम पेट्रोल के मूल्य के साथ-साथ अपना धर्म भी पेट्रोल के बदले देने को तैयार हैं?

सन्दर्भ

अध्याय-१ -पृ.-१

१. जी.एच. जानसेन : “मिलिटेंट इस्लाम” पृ.१७
२. एडवर्ड मॉर्टिमर: “फेद एंड पावर” पृ.-१५१
३. प्रो. डैनियल पाइप्स : “इन द पाथ ऑफ गॉड” पृ.-११
४. रोसेन्थाल : “इस्लाम इन मॉडर्न स्टेट” पृ.-८ डै.पा.-४३
५. जोसेफ शाष्ट : “लीगेसी ऑफ इस्लाम” पृ.-३६२, डै.पा.-३६
६. जी.ई.वॉन ग्रुनेबाम : “मॉडर्न इस्लाम” पृ.-२४, डै.पा. ३६
७. वी.एस.नाइपाल : “एमंग द बिलीवर्स” पृ.-१०६, डै.पा. ३६
- ७क. एम.आर.ए. बेग : “द मुस्लिम डिलेमा इन इंडिया”-पृ.-५०
८. खुर्शीद अहमद : “इस्लामिक लॉ एंड कांस्टीट्यूशन” पृ.-१४८
जा.एल.ए -११७ उपरोक्त-पृ.-१४८ जॉ.एल.ए. पृ.-११७

अध्याय-२-पृ.-५

१. एम.आर.ए.बेग : “द मुस्लिम डिलेमा इन इंडिया” पृ.-१२४

२. उपरोक्त
३. सैयद कुत्ब - "म-आलिम" पृ.-१८५-८६, जा.एल.ए.-७६
४. एम.आर.ए.बेग : "पूर्वोद्धृत" पृ.-७४

अध्याय-३-पृ.-८

१. टाइम्स ऑफ इन्डिया, ३० नवम्बर १९२७, हो.वे.शे., पृ.-८८
२. पी.सी.बैमफोर्स : "हिस्ट्री ऑफ खिलाफत एंड नॉन को आप्रेशन मूवमेंट्स-पृ.-२६
३. अम्बेडकर : "पाकिस्तान" पृ.-२७४
४. एम.आर.ए.बेग : "द मुस्लिम डिलेमा इन इंडिया" पृ.-२६
५. मानवेन्द्र राय : "हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम"
६. डॉ. मुशीरुल हक : "धर्मनिरपेक्ष भारत में इस्लाम" पृ.-६५
७. डॉ. तारा चन्द्र : "हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट" खण्ड-३, पृ.-२३०
८. डॉ. मुशीरुल हक : "पूर्वोद्धृत", पृ.-२७
९. मौलाना मौदूदी : "मसलम कौमियत" पृ. १०२, मु.बि.ला.-खंड-२, पृ.-५७६
१०. नन्दा : "गांधी पैन इस्लामिज्म इम्पीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म" पृ.-११४
११. सयद कुत्ब : "हदाह अल दीन" पृ.-८४, जॉ.एल.ए.-६०
१२. सयद कुत्ब : "म-आलिम" पृ.-२२४, जॉ.एल.ए.-८५-८६
१३. जॉन.एल.ए. एसपॉसिटो : "वॉयसेज़ ऑफ रिसर्जेंट इस्लाम" पृ.-७८
१४. सयद कुत्ब : "म-आलिम" पृ.-६४, जॉ.एल.ए.-८७
१५. उपरोक्त : पृ.-३१, जॉ.एल.ए.-८६
१६. डॉ. अम्बेडकर : "पूर्वोद्धृत पृ.-३२५"
१७. उपरोक्त : पृ.-३२४
१८. अब्दुल रहमान "अज्जम" : "द इटरनल मेसेज ऑफ मोहम्मद" पृ.-६५
१९. एम.आर.ए.बेग : पूर्वोद्धृत पृ.-१३
२०. एम.आर.ए. बेग : पूर्वोद्धृत पृ.-११
२१. डॉ. हर्षनारायण : "जिजिया" पृ.-२
२२. उपरोक्त
२३. उपरोक्त : पृ.-३
२४. उपरोक्त : पृ.-४
२५. सैयद अबुल हसन अली नदवी : "कैलैमिटी ऑफ लिंगुइस्टिक एंड कल्चरल शाविनिज्म" पृ.-१०
२६. ए हिन्दू नेशनलिस्ट : "गांधी मुस्लिम कॉसप्रेसरी" पृ.-१६३
२७. युनेबाम : "मार्डन-इस्लाम" पृ.-१०, डै.पा.-३६
२८. प्रो. डैनियल पाइप्स : "इन द पाथ ऑफ गॉड" पृ.-३६
२९. नाइपाल : "एमंग द बिलीवर्स" पृ.-३६७-६८, डै.पा.-४०
३०. प्रो. डैनियल पाइप्स : पूर्वोद्धृत पृ.-३६
३१. उपरोक्त : पृ.-४०
३२. सर जदुनाथ सरकार : "हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब खंड-३, पृ.-१६८-६९"
३३. डॉ. अम्बेडकर : पूर्वोद्धृत पृ.-१४७
३४. एडवर्ड मॉर्टिमर : "फेद एन्ड पावर" पृ.-१८६
३५. एम.आर.ए. बेग : पूर्वोद्धृत पृ.-११
३६. डॉ. मुशीरुल हक : पूर्वोद्धृत पृ.-२६
३७. उपरोक्त : पृ.-२१
३८. उपरोक्त : पृ.-२१

३६. नन्दा : पूर्वोद्धृत पृ.-११४
४०. जॉन. एल. एस्पासिटो : पूर्वोद्धृत पृ.-८५
४१. एम.आर.ए. बेग : पूर्वोद्धृत पृ.-११
४२. डॉ. मुशीरुल हक : पूर्वोद्धृत पृ.-३१
४३. डॉ. एम.सी. छागला : “रोजेज़ इन डिसेम्बर” पृ.-८३
४४. एम.जे. अकबर : “इंडिया द सीज विधिन” पृ.-२३-२४
४५. डॉ. अम्बेडकर : पूर्वोद्धृत पृ.-३२५
४६. सैयद कुत्ब : “म-आलिम” पृ.-१८५-८६, जॉ.एल.ए. पृ.-७६
४७. मौलाना मौदूदी : “मसलम कौमियत” पृ.-६६, मु.बि.ला.-२/५७७
४८. मौलाना हुसैन अहमद मदनी : “इस्लाम और मुत्तहिदा कौमियत” पृ.-४४, मु.बि.ला.-२/५६६
४९. मौलाना मौदूदी : “मसमल कौमियत” पृ.-५४, मु.बि.ला.-२/५७६
५०. मौलाना हुसैन अहमद मदनी : पूर्वोद्धृत पृ.-७८, मु.बि.ला.-२/५६६
५१. डॉ. मुशीरुल हक : पूर्वोद्धृत पृ.-२२
५२. बृजभूषण भटनागर : “धर्म परिवर्तन” पृ.-५
५३. उपरोक्त
५४. प्रो. डैनियल पाइप्स : पूर्वोद्धृत पृ.-१६३
५५. एम.सी.छागला : पूर्वोद्धृत पृ.-४०३
५६. एम.आर.ए. बेग पूर्वोद्धृत पृ.-६५
- ५७ए. नेशनलिस्ट हिन्दू : “पूर्वोद्धृत पृ.-१७
५८. जी.एच. जानसेन : “पूर्वोद्धृत पृ.-१७
५९. डॉ. मुशीरुल हक : “पूर्वोद्धृत पृ.-११-१२
६०. डॉ. तारा चंद : “पूर्वोद्धृत पृ.-२८७
६१. नंदा : “पूर्वोद्धृत पृ.-११४
६२. प्रो. डैनियल पाइप्स : “पूर्वोद्धृत पृ.-४६
६३. उपरोक्त पृ.-२३
६४. उपरोक्त
६५. उपरोक्त
६६. खुशीद अहमद : “इस्लामिक लॉ एंड कांस्टीट्यूशन” पृ.-१७७, डै.पा.-११४
६७. सयद कुत्ब : “अल-सलाम” पृ.-२३, २४, जॉ.एल.ए.-८४
६८. सयद कुत्ब : “फ्री-जिलाल” खंड-१० पृ.-१५४४, जॉ.एल.ए.-८२
६९. “प्रो. डैनियल पाइप्स” पूर्वोद्धृत पृ.-४३
७०. उपरोक्त पृ.-४४
७१. सयद कुत्ब : “म-आलिम” पृ.-११२, जॉ.एल.ए.-८५
७२. बात्यौर : “द जिम्मी” पृ.-४५
७३. उपरोक्त पृ.-४६ तथा प्रो. डै.पा. : “पूर्वोद्धृत पृ.-४४
७४. सबसे पहला दस्तूर जमायते-२/५८१ इस्लामी सन् १६४१-मु.बि.ला.
७५. बृज भूषण भटनागर : “पूर्वोद्धृत पृ.-७
७६. प्रो. डैनियल पाइप्स : “पूर्वोद्धृत पृ.-४६
७७. उपरोक्त
७८. बात्यौर : “पूर्वोद्धृत पृ.-४४
७९. तदैव
८०. पिक्टॉल : द मीनींग ऑफ ग्लोरियस कुरान
८१. सयद कुत्ब : “फ्री जिलाल खंड-१०” पृ.-१५४४, जॉ.एल.ए.-८२

८२. सयद कुत्ब : “अल सलाम” पृ.-२३-२४, जॉ.एल.ए.-८४
८३. सयद कुत्ब : “मराक्त” पृ.-७३-७४, “अल सलाम” पृ.-१२३, जॉ.एल.ए.-६२
८४. मौलाना मौदूदी : “जिहाद फीसबीलिल्लाह” पृ.-२२-२४ भाषण। १९३६ पुनः प्रकाशित फरवरी १९६८ व जनवरी १९८७ मरकजी मकतवा जमाअते इस्लामी हिन्द दिल्ली-६ बृ.भू.भ.-८-६
८५. सयद अहमद अरुज कादरी : “इकामते दीन फर्ज है” पृ.-५६-६० बृ.भू.भ.
८६. अध्यक्षीय भाषण मौलाना मोहम्मद यूसुफ प्रधान जमायते-इस्लामी-हिन्द २० फरवरी १९८१ हैदराबाद, बृ. भू.भ.-६
८७. सदरुद्दीन इस्लाही सदस्य अध्यक्ष मजलिसे तहरीर, जमाते-इस्लामी-हिन्द, बृ.भू.भ.-१०
८८. साप्ताहिक मुस्तकीम-देहली २७-७-१९७३, बृ.भू.भ.-११
८९. साप्ताहिक मुस्तकीम-देहली २७-७-१९७३, बृ.भू.भ.-११
९०. प्रो. मुकुट बिहारी लाल : “भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन भाग-२ पृ.-५८६”
९१. उपरोक्त पृ. ५८६-६०
९२. उपरोक्त पृ.-५१०
९३. उपरोक्त
- ९३क डॉ. अम्बेडकर : “पाकिस्तान” पृ.-३३०
९४. भारत सरकार : “लेट पाकिस्तान स्पीक फार हर-सेल्फ” पृ.-५
९५. उपरोक्त पृ.-६
९६. उपरोक्त पृ.-७
९७. बृज भूषण भटनागर : पूर्वोद्धृत पृ.-६
९८. उपरोक्त
९९. एम.आर.ए. बेग : पूर्वोद्धृत पृ.-८१
१००. प्रो. डैनियल पाइप्स : पूर्वोद्धृत पृ.-४३
१०१. प्रो. डैनियल पाइप्स : पूर्वोद्धृत पृ.-४४
१०२. उपरोक्त
१०३. उपरोक्त
१०४. उपरोक्त पृ.-४५
१०५. उपरोक्त
- १०५क बलजीत राय : मुस्लिम फंडामेन्टलिज्म इन द इंडियन सब-कॉन्टिनेन्ट-पृ-५२
१०६. (मौलाना मौदूदी) खुर्शीद अहमद : इस्लामिक लॉ एंड कान्स्टीट्यूशन पृ.-२६४, जॉएल.ए. ६-१२२
- १०६क एडवर्ड मॉर्टिमर : पूर्वोद्धृत पृ.-२०२
१०७. डॉ. मुशीरुल हक : पूर्वोद्धृत पृ.-१८
१०८. मुनीर कमीशन रिपोर्ट : उद्धृत बलजीत राय : मुस्लिम फंडामेन्टलिज्म इन द इंडियन सब कान्तीनेन्ट पृ.-४८
१०९. उपरोक्त
११०. उपरोक्त
१११. सर जदुनाथ सरकार : “हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब” खंड-३ पृ.-१६६
- १११क. हर्ष नारायण : “सम्मिश्र संस्कृति और सर्वधर्म समता के प्रवाद -पृ.-२
- १११ख. उपरोक्त-पृ.-८
११२. डॉ. हर्षनारायण : “जिजिया” पृ.-४
११३. उपरोक्त
- ११३क. उपरोक्त
११४. सयद कुत्ब : “म-आलिम” पृ.-८० “फीजिलाल” खंड-६ पृ.-१४३६ जॉ.एल ए.-६२
११५. हामिद दलवई : “मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेक्युलर इंडिया” पृ.-६६-६७
११६. उपरोक्त

११७. सर जदुनाथ सरकार : पूर्वोद्धृत पृ.-१६३
 ११८. उपरोक्त
 ११९. उपरोक्त पृ.-१६३-६४
 १२०. उपरोक्त पृ.-१६४
 १२१. उपरोक्त पृ.-१६४-६५
 १२२. उपरोक्त पृ.-१६५
 १२३. उपरोक्त
 १२४. उपरोक्त पृ.-१६६-६७
 १२५. उपरोक्त पृ.-१६८
 १२६. मौलाना असद मदनी सदर जमायते उलमाये हिन्द : कांग्रेस एम.पी.राज्य सभा : दुनिया के मुसलमानों के नाम पैगाम : “अलजमीयत दारुल उलूम देवबंद २६-३-१९८० पृ.-१५, बृ.भू.भ.-७
 १२७. फजलाये दारुल उलूम देवबंद का प्रस्ताव : अलजमीयत ८-४-१९८० बृ.भू.भ.-८
 १२८. हामिद दलवई : पूर्वोद्धृत पृ.-५२
 १२९. रैडियंस १७-५-१९७० पूर्वोद्धृत पृ.-७५
 १३०. हामिद दलवई : पूर्वोद्धृत पृ.-५८
 १३१. हामिद दलवई : पूर्वोद्धृत पृ.-५७
 १३२. मौलाना मौदूदी : “अलहसनात सालनामा १९७५” पृ.-१०१, मु.बि.ला.-२/५७०
 १३३. मैलन मैदूदी : “स्वप्ने बख्शू” जम्हते इलामी स्त १९४१ मुबिल.-२/५७०
 १३४. एम.आर.ए. बेग : पूर्वोद्धृत पृ.-५
 १३४क. राम गोपाल : इंडियन मुस्लिम-पृ.-१३८
 १३५. हो.वे. शेषाद्री : “और देश बंट गया”। पृ.-१३६
 १३५क. आर.ए. बेग : पूर्वोद्धृत पृ.-१७
 १३५ख. प्रो. डैनियल पाइप्स : पूर्वोद्धृत पृ.-१६३

अध्याय-४-पृ.-५३

१. भारत सरकार : “लेट पाकिस्तान स्पीक फार हर सेल्फ” पृ.-६
 २. आइ.ए.आर. १९६२ पृ.-४४७-गा.मु.कां.” १४
 ३. नंदा-पूर्वोद्धृत पृ.-११७
 ४. डैनियल पाइप्स - पूर्वोद्धृत पृ.-२६३
 ५. ए हिन्दू नेशनलिस्ट : “गांधी मुस्लिम कांसप्रेसी” पृ.-१२१-२२
 ६. उपरोक्त पृ.-१२१-२२
 ७. राम गोपाल : इंडियन मुस्लिम पृ.-१६६
 ८. हामिद दलवई : “मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेक्युलर इंडिया” पृ.-१४६
 ९. डॉ. तारा चंद : “हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट” खंड-३, पृ.-२८७
 १०. हामिद दलवई : पूर्वोद्धृत पृ.-३५
 ११. मौलाना हुसैन अहमद मदनी : अध्यक्षीय भाषण जमायतुल उलेमा अधिवेशन जौनपुर १९४०, बृ.भू.भ. पृ.-६
 १२. मौलाना हुसैन अहमद मदनी : अध्यक्षीय भाषण जमायतुल उलेमा अधिवेशन जौनपुर १९४०, बृ.भू.भ. पृ.-६
 १३. मौलाना हुसैन अहमद मदनी : पत्र संख्या-३३ मलतुबाते शेखउल इस्लाम जिल्द दोमम बृ.भू.भ.-पृ.-६
 १४. मौलाना हुसैन अहमद मदनी : “मुत्तहिदा कौमियत और इस्लाम”-उद्धरण प्रकाशित अल जमीयत २७-१-१९७२ बृ.भू.भ.-६
 १५. एडवर्ड मॉर्टिमर : पूर्वोद्धृत पृ.-२०२

१६. हामिद दलवई : पूर्वोद्धृत पृ.-६२
 १७ उपरोक्त
 १८. मौलाना अबुल कलाम आजाद : इंडिया विन्स फ्रीडम, पृ.-१४५
 १९. उपरोक्त
 २०. डॉ. मुशीरुल हक : पूर्वोद्धृत पृ.-१४५

सर्वधर्म समभाव

ऑकि गोयद जुम्लः हक्क अस्त अहमक स्त
 वैं कि गोयदः जुम्लः बातिल ऑ भी स्त
 जो कहता है कि सब (मज़हब) सच्चे है वह वज़्र मूर्ख है और जो कहता है कि सब झूठे हैं वह दुष्ट है।
 (अलाउद्दीन रुमी-)

सर्वांगमप्रमाणत्वे नन्वेवमुपपादिते
 अहमप्यद्य ये कन्विदागमं रचायामि चेत,
 तस्यापि हि प्रमाणात्वं दिनैः कतिपयर भवेत्।

२१. यदि सभी मत सच्चे हैं तो यदि मैं आज एक मत चला दूँ तो वह भी कालान्तर में सच्चा हो जावेगा।
 (जयन्त भट्ट, न्याय मन्जरी प्रमाण प्रकरण, पृ.-२५६)

विषय-सूची

आमुख

समर्पण

अध्याय १

इस्लाम का आध्यात्मिक पक्ष-१, मुसलमानों की दुविधा-२ शरीयः क्या है-३
 शरीयः का महत्त्वः राजनीति में इस्लाम की प्रचंड प्रेरणा शक्ति-३

अध्याय २

भारतीय संविधान क्या कहता है ?-५ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार-५
 संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार-५ मूल कर्तव्य-६ इस्लाम की मान्यता और मुस्लिम आचरण-६

अध्याय ३

मुसलमानों की मजबूरी : शरीयः इस्लाम के विद्वानों की दृष्टि में-८
 इस्लामी शरीयः में दया, मानवता, बंधुत्व तथा समरसता, धार्मिक अलगावाद तथा न्याय -११ इस्लामी शरीयः और धर्म निरपेक्षता (पंथ निरपेक्षता)-१७ इस्लामी शरीयः और राष्ट्रीयता (नेशनलिज्म)-१९
 इस्लामी शरीयः में मज़हब और राजनीति-२३ शरीयः का राजनीतिक ध्येय-२५
 जिहाद-२५ जमाते-इस्लामी और जिहाद-२८
 इण्डियन मुस्लिम लीग और जिहाद-२९ जमायत-ए-उलेमा और जिहाद-३३
 इस्लामी शरीयः में राज्य की परिकल्पना-३३ तुष्टीकरण निष्फल-३४ मुस्लिम देशों में गैर मुस्लिम-३५ शान्तिकाल में इस्लाम-३७ इस्लाम में धार्मिक स्वतन्त्रता-४०
 सर जदुनाथ सरकार के अनुसार मुस्लिम राज्य की परिकल्पना-४१ मुस्लिम राज्य का ध्येय-४२ मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिमों का राजनीतिक अधिकार हनन-४२ इस्लामी राजनीतिक चिंतन की कसौटी-४४ इस्लामी शरीयः और जनतंत्र : (लोकतंत्र)-४७ पाकिस्तान का मुनीर कमीशन-५० मुसलमान कौन-५१

अध्याय ४

२२. अंतिम भाग : संपूर्ण भारत के इस्लामीकरण की घोषणा-५३

